

केन्द्र अधीक्षकों को सिद्धांत
परीक्षाओं हेतु दिशा-निर्देश
(सितंबर-अक्टूबर, 2025)

**Guidelines for Centre Superintendents
for Theory Examinations
(September-October, 2025)**

परीक्षा और प्रमाणन की नियंत्रक उपविधियाँ 2012
(30 जुलाई, 2025 तक पुनरीक्षित एवं संशोधित)
Bye-Laws Governing Examination and Certification 2012
(Revised and Amended as on 30th July, 2025)



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
National Institute of Open Schooling

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution under Ministry of Education, Govt. of India)

**केन्द्र अधीक्षकों को सिद्धांत परीक्षाओं
हेतु दिशा-निर्देश
Guidelines
for Centre Superintendents
for Theory Examinations
(September-October, 2025)**

**परीक्षा और प्रमाणन की नियंत्रक उपविधियाँ-2012
(30 जुलाई, 2025 तक पुनरीक्षित एवं संशोधित)
Bye-Laws Governing Examination and Certification-2012
(Revised and Amended as on 30th July, 2025)**



**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
National Institute of Open Schooling**

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Ministry of Education, Govt. of India)
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उ.प्र.
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309

Printed on 70 GSM NIOS Water Mark Paper.

© **National Institute of Open Schooling**

Reprint : September, 2025 (2,500 copies)

Published by the Secretary, National Institute of Open Schooling, A-24/25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309 and Printed at M/s Goyal Stationers, B-36/9, GT Karnal Road, Indl. Area, Delhi-110033

विषय

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	महत्त्वपूर्ण जांच बिंदु	1
2.	केन्द्र अधीक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश	6
3.	स्टाफ की नियुक्ति और भुगतान के नियम	8
4.	निरीक्षकों के लिए निर्देश	12
5.	प्रश्न पत्रों का अनुरक्षण और संभालना	15
6.	अनुचित साधनों और सामूहिक नकल के मामलों पर कार्य करना	18
7.	उत्तर पुस्तिकाओं को संभालना और प्रेषण	23
8.	एनआईओएस परीक्षाओं के दौरान सामान्य एवं विशिष्ट छूट (अनुलग्नकों सहित)	26
केन्द्र अधीक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्र		
	अनुलग्नक - 1 : उपस्थिति पत्र	41
	अनुलग्नक - 2 : बैठने की योजना	42
	अनुलग्नक - 3 : यूएफएम मामले दर्ज करने के लिए प्रपत्र	43
	अनुलग्नक - 4 : एफ.आई.आर. दर्ज करने के आवेदन के लिए प्रपत्र	44
	अनुलग्नक - 5 : यूएफएम मामलों को एनआईओएस में अग्रेषित करने हेतु प्रपत्र	45
	अनुलग्नक - 6 : अनुपस्थित शिक्षार्थियों के विवरण के लिए प्रपत्र	46
	अनुलग्नक - 7 : प्रयोग की गई और प्रयोग न की गई उत्तरपुस्तिकाओं के लिए प्रपत्र	47
	अनुलग्नक - 8 : उत्तरपुस्तिकाओं के अग्रेषण के लिए प्रयोग की गई सील की छाप का प्रपत्र	48
	अनुलग्नक - 9 : उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण के लिए समेकित रिकॉर्ड	49
	अनुलग्नक -10 : परीक्षा का तिथि-वार/विषय वार समेकित विवरण	50
परीक्षा केन्द्र बिल प्रपत्र		
	प्रपत्र-1: परीक्षा केन्द्र खर्च के लिए समेकित बिल	51
	प्रपत्र-2: केन्द्र अधीक्षक के लिए मानदेय बिल	52
	प्रपत्र-3: उप केन्द्र अधीक्षक के लिए मानदेय बिल	53
	प्रपत्र-4: निरीक्षकों के लिए मानदेय बिल	54
	प्रपत्र-5: लिपिकीय और समूह -घ के कर्मचारियों के लिए बिल	56
	प्रपत्र-6: बैठने की व्यवस्था और फर्नीचर के खर्च के लिए बिल	57
	प्रपत्र-7: विविध व्यय के लिए बिल	58
	प्रपत्र-8: आने-जाने के खर्च और मानदेय के लिए बिल	59
	प्रपत्र-9: प्रश्न पत्रों के संरक्षक के लिए भंडारण प्रभार हेतु पावती	60
	क्षेत्रीय केंद्रों और उनके अंतर्गत आने वाले राज्यों की सूची	61
	मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय निदेशकों की सूची	

CONTENTS

S. No.	Title of Chapter	Page No.
1.	Important Check Points	65
2.	Instructions for Learners and Centre Superintendents	70
3.	Norms for Engagement of Staff and Rates of Payment	72
4.	Instructions for Invigilators	76
5.	Custody and Handling of Question Papers	79
6.	Dealing with Unfair Means and Mass Copying Cases	82
7.	Handling and Dispatch of Answer Books	87
8.	Provision for Learners with Disability during NIOS Examination alongwith Appendices	90
PROFORMA TO BE USED BY THE CENTRE SUPERINTENDENTS		
	<i>Annexure-1: Proforma for Attendance Sheet</i>	105
	<i>Annexure-2: Proforma for Seating Plan</i>	106
	<i>Annexure-3: Proforma for UFM Cases</i>	107
	<i>Annexure-4: Proforma for Application to Lodge F.I.R. to Police Station</i>	108
	<i>Annexure-5: Proforma for Forwarding of UFM Cases</i>	109
	<i>Annexure-6: Proforma for Absentees Statement</i>	110
	<i>Annexure-7: Proforma for Statement of Used and Unused Answer Books</i>	111
	<i>Annexure-8: Proforma for Impression of Seal Used while forwarding Answer Books</i>	112
	<i>Annexure-9: Proforma for Consolidated Record of Despatch of Answer Books</i>	113
	<i>Annexure-10: Date- wise/Subject- wise Consolidated Details of Examination</i>	114
EXAM CENTRE BILL PROFORMA		
	<i>Proforma-1: Consolidated Bill for Exam. Centre Charges</i>	115
	<i>Proforma-2: Remuneration Bill for Centre Superintendent</i>	116
	<i>Proforma-3: Remuneration Bill for Deputy Centre Superintendent</i>	117
	<i>Proforma-4: Remuneration Bill for Invigilators</i>	118
	<i>Proforma-5: Bill for Clerical and Group-D staff</i>	120
	<i>Proforma-6: Bill for Seating Arrangement and Furniture Charges</i>	121
	<i>Proforma-7: Bill for Contingent Charges</i>	122
	<i>Proforma-8: Bill for Claiming Conveyance and Remuneration</i>	123
	<i>Proforma-9: Receipt for Storage Charges</i>	124
	LIST OF REGIONAL CENTRES AND STATES COVERED	125
	LIST OF OFFICERS OF EVALUATION DEPT. AND REGIONAL DIRECTOR	

केन्द्र अधीक्षक ध्यान दें

- किसी भी परीक्षार्थी को एनआईओएस/क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा लिखित अनुमति के बिना दिए गए परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्रीय केन्द्र में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाए। यदि शिक्षार्थी एनआईओएस/क्षेत्रीय केन्द्र की अनुमति के बिना परीक्षा केन्द्र बदलता है तो उसका परिणाम रोका जाएगा और इसे अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले के रूप में माना जाएगा।
- अध्याय-4 में 'निरीक्षकों के लिए निर्देश' की प्रति, परीक्षा केन्द्र में नियुक्त सभी परीक्षकों को दी जाए। सभी परीक्षकों से यह प्रमाणपत्र लिया जाए कि परीक्षा में उस केन्द्र से उनका कोई निकट संबंधी परीक्षा में नहीं बैठ रहा है।
- यह सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका के सभी कॉलम भरे हैं और कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा है। निरीक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे एनआईओएस द्वारा जारी पहचान पत्र से शिक्षार्थी के रोल नंबर और फोटो का सत्यापन करने के बाद ही हस्ताक्षर करें।
- शिक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका संख्या सही ढंग से लिखी हो और उपस्थिति पत्र में केवल अपने नाम के सामने ही हस्ताक्षर किए हों।
- सभी अनुचित साधनों के प्रयोग वाले मामलों पर अध्याय-6 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाए। निरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक अनुलग्नक-3/अनुलग्नक-4/अनुलग्नक-4 पर दिए यूएफएम प्रपत्र अवश्य पूरे करें और हस्ताक्षर करें, चाहे शिक्षार्थी ओएसडी/निरीक्षण दल द्वारा पकड़ा गया हो। प्रत्येक यूएफएम मामले के साथ संबंधित प्रमाण संलग्न किए जाएं।
- शिक्षार्थी को कोई अतिरिक्त शीट नहीं दी जाएगी। शिक्षार्थियों को अपने उत्तर 32 पृष्ठों की एक ही उत्तरपुस्तिका में ही पूरे करने होंगे। निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा प्रतिदिन परीक्षा आरंभ होने के समय की जाए।
- परीक्षा कक्ष के दरवाजे परीक्षा आरंभ होने के समय से आधा पहले खोले जाएंगे।
- 30 मिनट से अधिक देरी से आने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी परीक्षा के लिए आबंटित समय में से आधा समय बीत जाने से पहले शिक्षार्थी को परीक्षा हॉल छोड़ने अथवा प्रश्न-पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि किसी शिक्षार्थी के पास सूचना पत्र नहीं है तो उसे एनआईओएस के पहचान पत्र पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इस शर्त पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए कि एनआईओएस पोर्टल से डाउनलोड किए गए उपस्थिति पत्र पर शिक्षार्थियों की सूची में उसका नाम भी शामिल है।
- केन्द्र अधीक्षक एनआईओएस द्वारा दी गई रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण विवरण तैयार रखें। केन्द्र अधीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण लेखा देने और प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाएँ संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को लौटाने के बाद ही उनके बिल का भुगतान किया जाएगा।
- परीक्षा संबंधी सामग्री अर्थात् प्रयोग की गई/प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाएं, उपस्थिति पत्र और बैठने की योजना अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति की होती है। अतः इन सामग्री को/इनकी प्रति को किसी व्यक्ति को तब तक देने की अनुमति नहीं है जब तक एनआईओएस मुख्यालय/क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्राधिकृत न हो।
- केन्द्र अधीक्षक परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष रूप से आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी है। संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कदाचारों में लिप्त होने की रिपोर्ट यदि एनआईओएस को प्राप्त हुई तो परीक्षा केन्द्र को सामूहिक नकल के अंतर्गत दर्ज कर लिया जाएगा और परिणाम रोक दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे केन्द्र अधीक्षकों/परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- केन्द्र अधीक्षक परीक्षा के दिन विशेष अनुपस्थिति रिकॉर्ड उसी दिन परीक्षा समाप्त होने के बाद ऑनलाइन द्वारा एनआईओएस को अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

To be noted by the Centre Superintendents

- No learner shall be allowed to appear in an Examination Centre other than allotted, unless permitted by the NIOS HQ/Regional Centre concerned in writing. If a learner changes Examination Centre without the permission of the NIOS HQ/Regional Centre, the result will be withheld and it will be treated as a case of use of unfair means.
- A copy of the 'Instructions for Invigilators' as given in Chapter-4 is provided to all the Invigilators appointed at the Examination Centre. A certificate should be obtained from all the Invigilators stating that no near relative is appearing in the examination from that centre.
- To ensure that the learner has filled in all the columns of Answer Book and no column is left blank. The invigilator should be instructed to sign the Answer Book after verifying the enrolment number and photograph from the Identity card.
- The learner has properly recorded the Answer Book Serial Number and signed against his/her name only in the attendance sheet.
- All unfair means cases are processed strictly as per Guidelines given under Chapter-6. The invigilators and Centre Superintendent must complete and sign the UFM performa as per Annexure-3/Annexure-4/Annexure-5 even if the learner is caught by OSD/Flying Squad. Relevant evidence should be attached with each UFM case.
- **No additional Answer sheet is to be provided to the learner. The learner will have to complete their answers in one Answer Book itself which contains 32 pages. This should be announced by the invigilator at the start of the examination everyday.**
- The doors are opened half an hour before the starting time on the day of examination.
- No Learner who is late by more than 30 minutes should be allowed to take the examination.
- No learner is allowed to leave the Examination Hall or take away the question paper before the expiry of half time allotted to a particular paper.
- If a learner does not have Intimation Letter, he/she may be allowed to appear in the examination on the basis of records available on the Identity Card of NIOS provided his/her name appears in the list of learners and attendance sheet of the concerned subject as downloaded from NIOS website.
- The Centre Superintendent should maintain complete account of Blank Answer Books supplied by the NIOS. The bill of Centre Superintendent will be cleared only after he/she renders a complete account of Answer Books and returns the unused Answer Books to the Regional Centre concerned.
- For disabled/differently abled learner, please read instruction mentioned in Chapter '8' carefully. Amanuensis or additional time etc. should be given to the examinees as permitted by the concerned Regional Director.
- Examination materials i.e. used/unused Answer Books, Attendance sheets and seating plan are very sensitive and confidential in nature and property of NIOS. Hence, the same or copy of these materials are not allowed to be given to any person unless authorized by NIOS HQ/Regional Director.
- The Centre Superintendent is responsible to conduct the examination in a free and fair manner. Any adverse report received by the NIOS for indulgence in malpractices during the course of entire evaluation process, the examination centre may be booked under mass-copying and the result will be withheld. Besides, appropriate action will be initiated against the Centre Superintendents/Examination Centres.
- The Centre Superintendent is responsible to forward the absentee record of a particular day of exam. through online on the same day after the examination are over.



महत्त्वपूर्ण जाँच बिंदु

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान प्रत्येक वर्ष दो सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है। परीक्षाओं का आयोजन एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें एनआईओएस के सभी अंग अर्थात्, मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र अथवा प्रत्यायित संस्थाएँ, सभी अपना योगदान देते हैं। केन्द्र अधीक्षक/उप अधीक्षक अपने परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के सुचारु आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियाँ बरतते हैं। फिर भी, परीक्षा आरंभ होने से पहले सभी विवरण जाँचने की आवश्यकता है। एकरूपता लाने के लिए एनआईओएस ने सिद्धांत परीक्षाओं हेतु केन्द्र अधीक्षकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निश्चित किए हैं। परीक्षा के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर जाने से पहले यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश/बिंदु दिए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाना है। परीक्षा से संबंधित सभी व्यक्ति परीक्षा आरंभ होने से पहले केन्द्र अधीक्षकों के लिए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

1.1 परीक्षा से पहले

1.1.1 बैंक में प्रश्न पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करना

- पर्याप्त समय पहले ही सुनिश्चित कर लें कि बैंक द्वारा प्रश्न-पत्र के पैकेट प्राप्त कर लिए गए हैं। यदि परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 10 दिन तक ये पैकेट प्राप्त नहीं होते तो कृपया निदेशक (मूल्यांकन) को फोन पर ई-मेल द्वारा अवश्य सूचित करें नहीं तो यह माना जाएगा कि बैंक द्वारा पैकेट प्राप्त कर लिए गए हैं और केन्द्र अधीक्षक ने इनकी जाँच की है।
- परीक्षा की तिथि सूची के अनुसार प्रश्नों को तिथिवार व्यवस्थित किया जाए और बैंक की सुरक्षित निगरानी में रखा जाएगा। सुनिश्चित करें कि पार्सल के बाहरी स्टिकर में उल्लिखित प्रश्न पत्रों की संख्या (विषयवार) उस परीक्षा के दिन की वास्तविक आवश्यकता से मेल खाती हो।

1.1.2 शिक्षार्थियों के लिए सुविधाएँ

- इस पुस्तिका के अध्याय-2 (2.3) में दिए अनुसार परीक्षा हॉल के बाहर शिक्षार्थियों के लिए तिथि सूचियाँ और निर्देश लगाएँ। साथ ही, अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों को स्वीकार्य सुविधाओं का लाभ लेने और परीक्षा हॉल तक पहुंचने में मदद करें।
- समय से पहले ही पर्याप्त मात्रा में लॉग टेबल खरीदे जाएँ और गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की परीक्षाओं में शिक्षार्थियों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए जाएँ। इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भावी परीक्षाओं के लिए भी प्रयोग किया जाए।

- iii. कृपया सूचित करें कि किसी विषय की परीक्षा में शिक्षार्थी को 32 पृष्ठों की केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी और शिक्षार्थी को विषय की परीक्षा में अपने उत्तर केवल एक ही उत्तर पुस्तिका में पूरे करने होंगे।

1.1.3 बैंक से प्रश्न पत्र प्राप्त करना

- i. परीक्षा के दिन के लिए पर्याप्त समय पहले प्रश्न-पत्रों के पैकेट प्राप्त कर लें और उस दिन के लिए निर्धारित पैकेट ही खोलें।
- ii. परीक्षा से पर्याप्त समय पहले शिक्षार्थियों की सूची और बैंक में प्राप्त हुए प्रश्न-पत्रों के साथ जाँच कर सुनिश्चित कर लें कि आवश्यक संख्या में प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं।

1.1.4 निरीक्षकों की नियुक्ति

- i. निरीक्षकों की नियुक्ति शिक्षण स्टाफ से की जानी चाहिए। जो निरीक्षक स्कूल के स्टाफ में से नहीं हैं, उनका विवरण स्कूल/एआई से नियुक्त किए गए शिक्षण स्टाफ के विवरण के साथ एक रजिस्टर में रखा जाए।
- ii. प्रत्येक निरीक्षक को आगमन और प्रस्थान के समय उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे जिसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। ड्यूटी कर रहे सभी निरीक्षक स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र अवश्य लगाएं।
- iii. हर उस केंद्र में जहाँ अक्षमताओं वाले शिक्षार्थी हैं, एक निरीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से भली भांति अवगत हो।

1.1.5 परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थियों की योग्यता

- i. केवल वे शिक्षार्थी, जिनके नाम एनआईओएस द्वारा दी गई शिक्षार्थियों की सूची में शामिल हैं, अथवा वे शिक्षार्थी जिन्हें क्षेत्रीय केन्द्रों/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मुख्यालय द्वारा लिखित अनुमति प्राप्त हुई है, उन्हें ही परीक्षा केंद्र में परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कृपया परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को अनुमति न दें।
- ii. यदि कोई शिक्षार्थी वर्तमान परीक्षा के सूचना कार्ड के साथ आबंटित परीक्षा केन्द्र में आता है जिसमें उसके योग्य विषय एवं तिथियाँ दर्शायी गयी हों तो, चाहे किसी त्रुटि के कारण उसका नाम शिक्षार्थियों की सूची से हट गया हो, उसके पहचान पत्र से सत्यापित करते हुए और उससे इस संबंध में वचन लेकर कि यदि वे योग्य नहीं हुए तो उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, तदर्थ आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

1.2 परीक्षा के दौरान

1.2.1 परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले शिक्षार्थियों की जांच

- i. शिक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति देने से पहले प्रवेश द्वार पर ही उनकी तलाशी ली जाएगी।
- ii. शिक्षार्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में परीक्षा से संबंधित पुस्तकें, कागज अथवा संदर्भ सामग्री ले जाने की अनुमति न दें।

- iii. सुनिश्चित करें कि कोई शिक्षार्थी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैल्क्यूलेटर, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल फोन, पेजर, ईयर फोन, ब्लू टूथ आदि को परीक्षा हॉल/कक्ष में न ले जाए। हालांकि अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के मामले में अध्याय-8 में दिए गए निर्देश देखें।
- iv. यद्यपि, शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन विज्ञान और भूगोल परीक्षा के लिए आउटलाइन नक्शे बनाने के लिए अपने साथ उपकरण और स्टेंसिल अथवा टेम्पलेट्स लाने की अनुमति है।

1.2.2 प्रश्न पत्रों को संभालना

- i. तिथि सूची में परीक्षा आरंभ होने के समय से थोड़ा समय पहले प्रश्न पत्र बांट दें। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ करने में देरी होती है तो इस प्रक्रिया में लगे समय का समायोजन किया जाएगा और इस संबंध में उसी दिन निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस एवं संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को एक प्रमाणपत्र भेजा जाए।
- ii. नेत्रहीन शिक्षार्थियों के लिए, माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान और गणित विषय और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के इतिहास विषय में मानचित्रों/आरेखों के प्रश्नों के बदले में वैकल्पिक प्रश्नों का प्रावधान है। इस प्रकार के मामलों में उत्तर पुस्तिका पर सबसे ऊपर “**नेत्रहीन शिक्षार्थी**” अवश्य लिखा होना चाहिए।

1.2.3 उपस्थिति पत्रों को संभालना

- i. उपस्थिति पत्र के लिए www.exams.nios.ac.in पर लॉग इन करें और केंद्र अधीक्षक की आईडी पासवर्ड का प्रयोग करें और nominal role पर उपस्थिति पत्र डाउनलोड करें। उपस्थिति पत्र प्रपत्र का नमूना परिशिष्ट – I पर संलग्न है।
- ii. सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन उपस्थिति पत्र शिक्षार्थियों द्वारा सही ढंग से भरे जाएं और हस्ताक्षर किए जाएं। साथ ही शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका संख्या भी लिखें।
- iii. अनुपस्थित शिक्षार्थियों के रोल नं. पर लाल स्याही से गोला बनाएं और उपस्थिति पत्रों में उनके हस्ताक्षर के स्थान पर “**अनुपस्थित**” लिखें।
- iv. जिन शिक्षार्थियों को अनुचित साधनों के उपयोग के अंतर्गत दर्ज किया गया है उनके नाम के सामने ‘यूएफएम’ लिखें।
- v. कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति पत्र पर अतिरिक्त/प्राधिकृत शिक्षार्थियों के नाम जैसे केन्द्र परिवर्तन मामले (क्षेत्रीय केन्द्र/एनआईओएस मुख्यालय द्वारा अनुमति प्राप्त) भी लिखें जिसमें उनके हस्ताक्षर लिए जा सकें।
- vi. परीक्षा के दिन ही उत्तर पुस्तिकाओं के पैकटों के साथ उपस्थिति पत्र संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों को भेजने से पहले सुनिश्चित करें कि उपस्थिति पत्रों पर केन्द्र अधीक्षक और क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा नियुक्त ओएसडी (पर्यवेक्षक) के हस्ताक्षर एवं रबड़ की मोहर अवश्य हों।
- vii. एनआईओएस द्वारा प्रदान की गई डाउनलोड की गई नामों की सूची प्रतिदिन शिक्षार्थियों की उपस्थिति लेने के लिए अवश्य उपयोग की जाए। जैसे ही परीक्षा समाप्त हो, इसे रिकॉर्ड के लिए संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेज दिया जाए।

1.2.4 उत्तर पुस्तिकाओं को संभालना

- i. शिक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएँ जारी करने से पहले कृपया उन पर केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर की अनुलिपि मोहर अवश्य लगाएँ। किसी भी स्थिति में, केन्द्र के पते वाली मोहर उत्तर पुस्तिकाओं पर न लगाई जाए और केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर फ्लैप क्षेत्र से बाहर न लगाए जाएं।

- ii. शिक्षार्थियों को निर्देश दें कि वे उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र अथवा कहीं भी अपना नाम, रोल नं. अथवा पहचाना जाने वाला निशान आदि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थान के अलावा कहीं न लिखें।
- iii. सभी उपयोग की गई और उपयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं का उपयुक्त हिसाब बनाएं (जैसा कि परिशिष्ट - 7 में है।) और उसकी एक प्रति ओएसडी (पर्यवेक्षक) से सत्यापित कराकर उपस्थिति पत्रों और मुहरबंद उत्तर पुस्तिकाओं के साथ प्रतिदिन भेजी जाए। इसकी एक प्रति केन्द्र अधीक्षक द्वारा रखी जाए जिसे ओएसडी, पर्यवेक्षकों अथवा फ्लाईंग स्क्वाड सदस्यों अथवा एनआईओएस द्वारा तैनात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षक और प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए उपलब्ध होंगी।

1.2.5 अनुचित साधनों (यूएफएम) के उपयोग के मामले

कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दौरान पाए गए अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों का सही ढंग से रिकॉर्ड तैयार किया जाए और एक अलग लिफाफे में पैक करके अध्याय-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक विवरणों और दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजा जाए। प्रत्येक मामले के साथ नकल की सामग्री भी संलग्न की जाए। कृपया यह पैकेट उत्तर पुस्तिकाओं वाले पैकेट के साथ उसी दिन ही भेजा जाए।

1.2.6 सामान्य प्रबंध

- i. परीक्षा के दौरान प्रत्येक घंटा पूरा होने के बाद एक घंटी बजाएं। परीक्षा पूरी होने से 10 मिनट पहले एक घंटी बजाएं और अंत में लंबी/अंतिम घंटी बजाएं। निरीक्षक परीक्षाओं के आरंभ होने से पहले ये निर्देश अवश्य बताएं। यद्यपि अक्षम शिक्षार्थियों को इस संबंध में अलग से बताए जाने की आवश्यकता होगी।
- ii. केन्द्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों सहित सभी शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए शौचालयों का प्रबंध करने का ध्यान रखें। यदि पास में कोई शौचालय न हो तो परीक्षा कक्ष के पास ही एक उपयुक्त स्थान पर कनात से घेर कर एक कमोड और पॉट रखा जा सकता है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए। अक्षम शिक्षार्थियों के लिए आसानी से पहुँचने योग्य शौचालय और सहायक की भी आवश्यकता होगी।
- iii. सुनिश्चित करें केन्द्र में पुलिस का उपयुक्त प्रबंध हो। केंद्र पर पुलिस की तैनाती के लिए समय से पहले ही स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
- iv. पर्यवेक्षकों/एनआईओएस क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा नियुक्त आकस्मिक जांच दल के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के बाद वहां आए दल के पास उनके क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस द्वारा उपयुक्त प्राधिकार पत्र है। रिकॉर्डों और परीक्षा हॉलों/कमरों का निरीक्षण करने दें।

1.3 बैठने का प्रबंध

- i. परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पहले, केन्द्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के लिए बैठने के संतोषजनक प्रबंध किए गए हैं। वे विशेष रूप से देखें कि शिक्षार्थी इस तरह बैठें कि वे आपस में बातचीत न कर सकें अर्थात् जब भी दो सीटों वाला डेस्क उपयोग किया जाए, उस समय उस पर केवल एक शिक्षार्थी को बैठाएं और चार सीटों वाले डेस्क हो तो केवल दो शिक्षार्थियों को ही उस पर बैठाया जाए।

- ii. अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए बेहतर होगा कि बैठने का प्रबंध भूतल पर ही किया जाए और रैम्प, लिफ्ट और पकड़ने के लिए बार आदि भी हों।
- iii. अक्षमताओं वाले कुछ शिक्षार्थियों को अकेले बैठने की भी आवश्यकता होगी और उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल फर्नीचर की आवश्यकता भी हो सकती है।
- iv. केन्द्र अधीक्षक परीक्षा हॉल और/अथवा कमरों की बैठने की योजना तैयार करेंगे जिसमें परिशिष्ट-II के अनुसार शिक्षार्थियों को आर्बिट्रि सीटों का क्रम तथा जिस दिशा में शिक्षार्थी बैठेंगे, यह दर्शाया जाएगा और उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ एनआईओएस क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रत्येक सत्र के लिए बैठने की योजना की एक प्रति भिजवाएँ। कृपया ध्यान में रखें कि खड़ी पंक्ति में सीट नं. 7, 10, 13, 16, 19 आदि हों।
- v. प्रत्येक शिक्षार्थी के रोल नंबर वाली एक पर्ची प्रत्येक डेस्क/मेज पर चिपकी हो अथवा रोल नंबर चॉक से लिखा जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों को अपनी आर्बिट्रि सीट खोजने में कोई कठिनाई न हो। शिक्षार्थी इतने दूर अवश्य हों जिससे टकराहट/संपर्क न हो सके।
- vi. प्रत्येक कमरे के लिए बैठने की योजना में अनुपस्थित शिक्षार्थी को लाल स्याही से अनुपस्थित लिख कर गोला लगाया जाए।

1.4 उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण

- (i) सिद्धांत परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएँ, उपस्थिति पत्र, स्कैन किए गए उपस्थिति पत्र एवं संबंधित सामग्री संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर अथवा दिशा-निर्देशों के अध्याय-7 में दिए गए निर्देशों के अनुसार एनआईओएस के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट स्थानों पर प्रेषित किए जाएंगे।
- (ii) अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के संबंध में निर्देश अध्याय-8 से लिए जाएँ।
- (iii) उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर और नीचे एक सख्त बोर्ड लगाकर पैकेट के कपड़े के कवर में रखे जाएँ ताकि ओएमआर शीट को कोई नुकसान न हो।

1.5 प्रायोगिक परीक्षा

- i. प्रायोगिक परीक्षा संबंधित अध्ययन केन्द्र अर्थात संबंधित प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) में आयोजित की जाएंगी।
- ii. शैक्षिक स्ट्रीम के अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक विषय के लिए प्रायोगिक परीक्षा संबंधित अध्ययन केन्द्र (एवीआई) में आयोजित की जाए। शिक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के विवरण के लिए अध्ययन केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।
- iii. अक्षम शिक्षार्थियों के लिए ठहरने का उपयुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए।

1.6 अनुपस्थित शिक्षार्थियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजना

केंद्र अधीक्षक परीक्षा के दिन, परीक्षा समाप्त होने के बाद अनुपस्थित शिक्षार्थियों का विवरण तैयार करेगा और एनआईओएस को ऑनलाइन जमा करेगा।

केन्द्र अधीक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए निर्देश

2.1 परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थी अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएँ लाएं :-

- (i) सूचना पत्र अथवा एनआईओएस मुख्यालय/क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मुख्यालय जारी विशेष अनुमति
- (ii) एनआईओएस द्वारा जारी वैध पहचान पत्र। यदि शिक्षार्थी का प्रवेश कार्ड/पहचान पत्र खो गया है तो परीक्षा में बैठने से पहले ई-सेवाओं द्वारा आवेदन करके शिक्षार्थी डैशबोर्ड से इसकी दूसरी प्रति डाउनलोड की जाए।
- (iii) परीक्षा के लिए शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पैन, पेंसिल, स्याही और अन्य स्टेशनरी की वस्तुएँ। वे गाढ़ी नीली अथवा नीली काली स्याही प्रयोग करें, इसके अतिरिक्त लाल स्याही उत्तरों के शीर्षक लिखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। किसी अन्य स्याही के प्रयोग की अनुमति नहीं है। बॉल प्वाइंट पैन प्रयोग करने की भी अनुमति है।

परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल फोन, पेजर, ईयर फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट घड़ी आदि की अनुमति नहीं है। अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के मामले में अध्याय 8 देखें।

2.2 प्रतिदिन परीक्षा हॉल परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खोला जाएगा।

30 मिनट से अधिक की देरी से आने वाले किसी भी शिक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.3 परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रत्येक कमरे के अनुसार बैठने की योजना, प्रत्येक कमरे में आबंटित शिक्षार्थियों के रोल नंबर के साथ एक बड़ा चार्ट लगाया जाए। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक सीट दी जाए जिस पर उसका रोल नंबर लिखा हो। शिक्षार्थियों को अपनी निर्धारित सीट खोज कर उस पर बैठना होगा। अक्षम शिक्षार्थी जिन्हें अपनी आबंटित सीट खोजने में कठिनाई आ रही हो, तो उनकी सहायता की जाए।

2.4 परीक्षा के दौरान कोई भी शिक्षार्थी निरीक्षकों की अनुमति के बिना अपनी सीट अथवा परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी। कोई शिक्षार्थी बिना अनुमति नहीं बोलेगा। यदि शिक्षार्थी को निरीक्षक से बात करना आवश्यक है, तो वह अपने स्थान पर खड़ा/खड़ी हो जाए और निरीक्षक उससे बात करेंगे। इस संबंध में अक्षम शिक्षार्थियों को छूट दी जाए।

2.5 अपना पर्चा आरंभ करने से पहले शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रमुख पृष्ठ पर (i) विषय, (ii) परीक्षा की तिथि, (iii) ओएमआर प्रथम पृष्ठ (पृष्ठ संख्या 1), (iv) परीक्षा का सेट सं., (v) प्रश्न पत्र, (vi) नया पाठ्यक्रम/पुराना पाठ्यक्रम पर कोड संख्या और उत्तर की भाषा लिखेगा/लिखेगी। वह प्रमुख पृष्ठ पर दिए गए स्थान में ही अपना रोल नं., और नाम लिखें, उसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका में और कहीं नहीं। उसे जैसे ही प्रश्न पत्र मिले, वह उस पर भी अपना रोल नंबर लिखें।

2.6 शिक्षार्थियों को किसी विषय की परीक्षा (भाषा के परचे को छोड़कर) में किसी एक अनुसूचित क्षेत्रीय भाषा में उत्तर लिखने की अनुमति है यद्यपि प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में ही दिया जाता है। शिक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान पर उत्तर का माध्यम लिखना होगा।

- 2.7** यदि शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में अपना रोल नंबर लिखता/लिखती है अथवा कोई विशेष चिह्न बनाता/बनाती है तो उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है।
- 2.8** परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को अवश्य सौंप दी जाए, चाहे शिक्षार्थी ने प्रश्न पत्र के किसी भाग का उत्तर न दिया हो।
- 2.9** शिक्षार्थी दी गई उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखे और पर्चे के दोनों ओर लिखे। कोई शिक्षार्थी कोई पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका से कोई पृष्ठ या कोई हिस्सा न फाड़े। कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
- 2.10** परीक्षा केन्द्र में धूम्रपान या तंबाकू चबाना या शराब का प्रयोग पूर्णतया निषिद्ध है। यदि शिक्षार्थी परीक्षा के दौरान ऐसा करते हुए पाया गया/पायी गई, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्र से निलंबित कर दिया जाएगा। शराब अथवा कोई नशीला पदार्थ का सेवन किए हुए पाए गए शिक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2.11** यदि कोई शिक्षार्थी निम्नलिखित कार्य करता हुआ पाया गया/पायी गई तो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए माना जाएगा और उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा :-
- उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट न किए गए स्थान पर नाम, रोल नंबर लिखना अथवा हस्ताक्षर अथवा कोई अन्य निशान बनाना जिससे किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी की पहचान पता चलती हो। नाम और/अथवा रोल नंबर केवल दिए गए स्थान में ही लिखे जाएं और अन्य किसी जगह नहीं।
 - एनआईओएस की अनुमति के बिना अपने एआई (अध्ययन केन्द्र) के अतिरिक्त किसी अन्य एआई से परीक्षा में बैठना।
 - मोबाइल फोन, ईयर फोन, ब्लू टूथ अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पुस्तक(कें), नोट्स, पर्चे अथवा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य सामग्री अपने पास रखना।
 - परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना अथवा देना अथवा उत्तर पुस्तिका का आदान-प्रदान करना।
 - परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका आदि चोरी से लाना अथवा ले जाना, और प्रश्न पत्रों अथवा उत्तर पुस्तिका से पृष्ठ/पृष्ठों को फाड़ना अथवा उत्तर पुस्तिका के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना या उत्तर पुस्तिका के साथ करेंसी नोट संलग्न करना।
 - केन्द्र अधीक्षक/परीक्षक/निरीक्षक के विरुद्ध मौखिक रूप से अपशब्द/अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अथवा उत्तर पुस्तिका में लिखना अथवा निरीक्षक अथवा केन्द्र अधीक्षक को धमकाना/हिंसा करना।
 - परीक्षा देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजना।
 - परीक्षक अथवा परीक्षा के साथ जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क इस उद्देश्य से करना कि उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके।
 - परीक्षा में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा जानबूझकर नकल करने का पहले से प्रबंध करना।
 - उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य कागज पर प्रश्न अथवा उत्तर लिखना।
 - प्रवेश के लिए आवेदन में गलत विवरण देना जैसे प्रमाणपत्र/अंक सूची आदि के साथ छेड़छाड़ करना अथवा किसी और के हस्ताक्षर करना।

उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दण्ड देने में यूएफएम समिति का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

- 2.12** परीक्षा से पहले अथवा परीक्षा के दौरान किसी भी समय एनआईओएस द्वारा तैनात केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षक/पर्यवेक्षक/जांच दल द्वारा भौतिक रूप से शिक्षार्थी की तलाशी ली जा सकती है।



कर्मचारियों को नियुक्त करने के नियम और भुगतान की दरें

एनआईओएस की परीक्षा के आयोजन के लिए एनआईओएस केन्द्र अधीक्षकों को उनके स्कूल/एआई अथवा पास की संस्थाओं से कर्मचारियों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार नियुक्त करने की अनुमति देता है।

3.1 स्टाफ को नियुक्त करने के लिए नियम

- 3.1.1 केन्द्र अधीक्षक :** प्रत्येक केन्द्र के लिए एक केन्द्र अधीक्षक होंगे और उनकी नियुक्ति एनआईओएस से अनुमोदित होगी।
- 3.1.2 उप अधीक्षक की नियुक्ति** यदि किसी केन्द्र में आबंटित शिक्षार्थियों की कुल संख्या 400 अथवा उससे अधिक है तो उसमें की जा सकती है।
- 3.1.3 निरीक्षक :** केंद्र के शिक्षकों में से निरीक्षकों को चुना जाए। प्रत्येक कमरे में दो निरीक्षक होंगे (उस स्थिति को छोड़कर जब कक्ष में 10 से कम अथवा समान शिक्षार्थी हैं, तब इस तरह के कमरे में केवल एक निरीक्षक होगा)। जिन कमरों/हॉलों में शिक्षार्थियों की संख्या 40 से अधिक है वहाँ प्रत्येक 20 शिक्षार्थियों के लिए एक अतिरिक्त निरीक्षक होगा। उदाहरण के लिए 39-40 शिक्षार्थियों वाले कक्ष/हॉल में केवल दो निरीक्षक होंगे। लेकिन 42 अथवा 59 शिक्षार्थियों वाले कक्ष में 3 निरीक्षक होंगे। इसी तरह 63 शिक्षार्थियों वाले हॉल में 4 निरीक्षक होंगे। यदि उस केंद्र में कोई अक्षम शिक्षार्थी भी परीक्षा दे रहा है तो दिव्यांगों के लिए विशेष देखभाल प्रत्येक कक्ष के लिए नियुक्त निरीक्षकों में से एक निरीक्षक को अक्षम लोगों की आवश्यकताओं के बारे में अभिविन्यास प्रदान किया जाए। (यदि उस केंद्र से परीक्षा दे रहे हैं)। यदि मौजूदा निरीक्षकों के अतिरिक्त, सांकेतिक भाषा का विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो कृपया अध्याय -8 देखें। इस प्रकार के शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था केवल भूतल पर ही की जाए। साथ ही, दो निरीक्षकों के अतिरिक्त वहाँ सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की आवश्यकता हो सकती है। (विवरण के लिए कृपया अध्याय-8 देखें)।
- 3.1.4** हर परीक्षा केंद्र में परीक्षा के सभी दिनों पर विशेष रूप से पहचान पत्र और उपस्थिति पत्र की जांच के लिए दो अतिरिक्त निरीक्षक (एक पुरुष और एक महिला) प्रदान किये जाएंगे।
- 3.1.5 लिपिक :** परीक्षा के लिए केंद्र को आबंटित 249 शिक्षार्थियों तक एक लिपिक होगा/होगी। यदि किसी दिन यह संख्या 250 अथवा उससे अधिक है तो उस दिन विशेष में लिपिकों की संख्या दो होगी।

3.1.6 चपरासी/पानी पिलाने वाला : आबंटित 249 शिक्षार्थियों तक एक चपरासी और एक पानी पिलाने वाला होगा। जिन विशिष्ट दिनों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या 249 से अधिक होगी, उन दिनों के लिए अतिरिक्त चपरासी और पानी पिलाने (एक-एक) वाले को लगाया जा सकता है।

3.1.7 चौकीदार/सफाई कर्मचारी : प्रायोगिक परीक्षाओं सहित परीक्षा के प्रत्येक दिन केंद्र में एक चौकीदार और एक सफाई कर्मचारी होगा, चाहे कितने ही शिक्षार्थी आबंटित किए गए हों।

3.2 स्टाफ को भुगतान के नियम

3.2.1 स्टाफ को मानदेय

(i) केन्द्र अधीक्षक	रु. 750/- प्रति दिन
(ii) उप अधीक्षक*	रु. 600/- प्रति दिन
(iii) निरीक्षक	रु. 500/- प्रति दिन
(iv) लिपिक/प्रयोगशाला सहायक	रु. 300/- प्रति दिन
(v) चपरासी	रु. 225/- प्रति दिन
(vi) पानी पिलाने वाला	रु. 225/- प्रति दिन
(vii) चौकीदार	रु. 225/- प्रति दिन
(viii) सफाईवाला	रु. 225/- प्रति दिन

* जब किसी केन्द्र पर आबंटित शिक्षार्थियों की कुल सं. 400 अथवा अधिक हो, तो देय होगी।

नोट : अक्षम शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्टाफ और अन्य सहायता के लिए उपयुक्त अधिकारी की विशेष अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली जाए। इसके लिए अध्याय-8 देखें।

3.2.2 फर्नीचर का रखरखाव और भवन का किराया

- (i) एनआईओएस के परीक्षा केंद्रों के रूप में निश्चित किए गए सभी प्रकार के स्कूलों/के.वि.सं./न.वि.सं. के स्कूलों/एनआईओएस के एआई/डिग्री कॉलेजों को संपूर्ण परीक्षा के लिए रु. 50/- प्रति शिक्षार्थी देय होगा।

3.2.3 बैंक/प्रश्न पत्र संकलन केंद्रों से प्रश्न पत्र एकत्र करने के लिए मानदेय और आने-जाने का खर्च

i) मानदेय

बैंक से प्रश्न पत्र एकत्र करने के लिए रु. 100/- प्रति दिन

ii) आने-जाने का खर्च

क) परीक्षा केन्द्र से बैंक तक

(i) यदि कार्य के स्थान/घर से बैंक/संकलन केन्द्र की दूरी 8 कि.मी. तक है तो प्रति दिन रु. 150/-

(ii) यदि कार्य के स्थान से दूरी 8 कि.मी. से अधिक है तो रु. 200/-

- ख) बैंक/संकलन केन्द्र से परीक्षा केन्द्र तक की वापसी यात्रा
- (i) राज्य परिवहन प्राधिकरण की दरों के अनुसार वास्तविक टैक्सी का खर्च। परीक्षा केन्द्र और बैंक के बीच की दूरी बिल फॉर्म में स्पष्टतापूर्वक लिखी जाए। (प्रोफॉर्म-8)

3.2.4 उत्तर पुस्तिकाओं को संकलन केन्द्र/डाक कार्यालय पर जमा करने और परीक्षा की बची हुई स्टेशनरी को एनआईओएस को लौटाने के लिए आने-जाने का खर्च

- i) उत्तर पुस्तिकाओं को संकलन केन्द्र/डाक कार्यालय पर जमा करने वाले व्यक्ति के लिए एक तरफ का ऑटो का वास्तविक खर्च (सबसे छोटे मार्ग का) और एक तरफ का बस का किराया देय होगा।
- ii) इसी प्रकार, एनआईओएस/संकलन केन्द्र/डाक कार्यालय को शेष स्टेशनरी लौटाने के लिए एक तरफ वास्तविक ऑटो का खर्च और एक तरफ का बस का किराया देय होगा।

केन्द्र के खर्च के बिल निर्धारित प्रोफॉर्म में ही तैयार किए जाएं। ये अन्य दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र/एनआईओएस के भेजने से पहले केन्द्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

3.2.5 एनआईओएस की परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र के भंडारण के लिए खर्च का तुरंत भुगतान प्रत्येक केन्द्र अधीक्षक केन्द्र अग्रिम में से अभिरक्षक को तुरंत करें जिसकी एनआईओएस अनुमोदित दरें नीचे दी गई हैं :

- | | | |
|------|--|-------------|
| i) | माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के भंडारण के लिए | रु. 5000/- |
| ii) | उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के भंडारण के लिए | रु. 6000/- |
| iii) | माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के भंडारण के लिए | रु. 10000/- |
| iv) | व्यावसायिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के भंडारण के लिए | रु. 5000/- |

* क्रम सं. (i), (ii) और (iii) के लिए ये राशि सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों अर्थात् हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू/ क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न पत्र के लिए हैं।

3.3 विविध खर्च

3.3.1 स्टेशनरी मदें : केन्द्र अधीक्षकों को अधिकार है कि वे छोटी वस्तुएँ खरीद सकते हैं जैसे आल पिन, धागे, सील करने का मोम, गोंद, सिलने की सुई, धागा, माचिस, कार्बन पेपर, फोटोस्टेट पेपर, फाइल कवर, स्याही, बॉल पेन, रिफिल (जॉटर पैन रिफिल नहीं), जूट डोरी, प्लास्टिक रस्सी, मोमबत्तियाँ, उत्तर पुस्तिकाएँ और बचे हुए प्रश्न पत्र रखने के लिए कपड़ा लगे लिफाफे, घड़े, कांच के गिलास, बर्फ, शौचालयों और अस्थायी शौचालयों (जहां आवश्यकता है) के लिए फिनाइल। इन मदों के लिए भुगतान रु. 8/- प्रति शिक्षार्थी (आर्बटित) की दर से एकमुश्त रूप में किया जाएगा जिसका न्यूनतम भुगतान रु.1000/- प्रति केन्द्र किया जाएगा।

3.3.2 चूंकि बहुत से अक्षम शिक्षार्थी अध्याय-8 में उल्लिखित किए अनुसार परीक्षा के लिए कम्प्यूटर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए केंद्र में कार्य कर रहा एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, कागज, भंडारण, उपकरण, तकनीकी सहायता और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए कोई अन्य सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। उत्तर का प्रिंटआउट शिक्षार्थी को दी गई उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। रसीदें दिए जाने पर वास्तविक डाक खर्च का भुगतान किया जाएगा।

3.3.3 पैकिंग के लिए कपड़ा : उपयुक्त खर्च का भुगतान किया जाएगा।

3.3.4 प्रश्न पत्रों का मुद्रण - रु. 10/- (प्रति शिक्षार्थी)

3.4 भुगतान के लिए दिशा-निर्देश

3.4.1 परीक्षाएँ समाप्त होने के 15 दिन के अंदर केन्द्र अधीक्षक प्रयोग और प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा विवरण जमा करें और निर्धारित प्रोफॉर्मा पर अपने समेकित दावे भेजें।

3.4.2 प्रोफॉर्मा स्पष्टता से भरा जाना चाहिए और काटने, मिटाने और लिखे हुए पर पुनः लिखने से बचें।

3.4.3 जहाँ कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक गतिविधि का विवरण प्रोफॉर्मा के पीछे लिखा जा सकता है।

3.4.4 भुगतान के दावे के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न किए जाने चाहिए :-

- i) परीक्षा केन्द्र भुगतान के लिए पूर्ण रूप से भरा गया प्रोफॉर्मा जिस पर केन्द्र अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर, केन्द्र का नाम और कार्यालयी मुहर हो,
- ii) सभी संलग्नकों/प्रोफॉर्मा पर केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर अवश्य हुए हों।
- iii) निर्धारित प्रोफॉर्मा पर परीक्षा के दौरान प्रतिदिन उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं का एक उपयुक्त विवरण दें।

3.4.5 यदि परीक्षा केन्द्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों के लिए है तो केन्द्र को भुगतान का निर्धारण संयुक्त सत्र/शिक्षार्थी/बैठने के प्रबंध/आने-जाने के खर्च आदि के आधार पर किया जाना चाहिए।

3.4.6 परीक्षा केंद्र को परीक्षा आयोजित करने के लिए दी जा रही राशि जेल को नहीं दी जाएगी। यद्यपि क्षेत्रीय निदेशकों को परीक्षा केंद्र के रूप में निश्चित की गई जेल द्वारा डाक खर्च और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित अभिरक्षण के लिए बैंक के खर्च के भुगतान के लिए बिल देने पर भुगतान करने का अधिकार है। एनआईओएस परीक्षा के आयोजित के लिए जेल को किसी प्रकार का परीक्षा केंद्र अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।



निरीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

4.1 प्रत्येक निरीक्षक द्वारा ध्यान दिया जाए

- 4.1.1 प्रत्येक निरीक्षक को केन्द्र अधीक्षक/एआई समन्वयक को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि केन्द्र की परीक्षा में उसके संबंधी/शिक्षार्थी नहीं बैठ रहे और केन्द्र में परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थियों में से किसी ने उससे प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है।
- 4.1.2 जिस अवधि के दौरान निरीक्षक इस प्रकार की ड्यूटी पर होंगे वे केन्द्र के अधीक्षक के नियंत्रण में होंगे। वे केन्द्र अधीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा केन्द्र से नहीं जाएं।
- 4.1.3 वे परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के लिए निश्चित समय से कम से कम 50 मिनट पहले केन्द्र में रिपोर्ट करेंगे।
- 4.1.4 यदि संयोग से, प्रश्न पत्रों के साथ कोई ऐसे प्रश्न पत्र मिलते हैं जो उस दिन की परीक्षा के लिए नहीं हैं तो उन्हें बिना पढ़े तुरंत केन्द्र अधीक्षक को लौटा दिया जाए।
- 4.1.5 जब भी जहाँ भी केन्द्र अधीक्षक को साक्षी की आवश्यकता हो, तो वे प्रश्न पत्रों के पैकेटों को खोलने और उत्तर पुस्तिकाओं के बैगों/पार्सलों को सीलबंद करते हुए साक्षी के रूप में कार्य करेंगे। प्रश्न पत्रों को खोलते हुए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करते हुए पैकेटों की संख्या की जांच एवं सत्यापन तिथि सूची के साथ कर लिया जाए। प्रश्नपत्रों के पैकेट आदि पर इस प्रकार के प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करते समय नाम और पता लिखा हो। यदि कोई संदेह हो, तो मामले की सूचना संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केन्द्र को फोन पर दी जाए।
- 4.1.6 किसी संक्रामक रोग जैसे चेचक, कर्णमूल आदि से ग्रस्त किसी शिक्षार्थी को अन्य शिक्षार्थियों के साथ परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं है। यदि इस प्रकार के मामले का संदेह हो, तो इसकी सूचना केन्द्र अधीक्षक को तुरंत दी जाए।
- 4.1.7 परीक्षा के दौरान शौचालय जाने की इच्छा करने वाले शिक्षार्थी के साथ एक निरीक्षक सदैव जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शौचालय आदि में कोई नकल की सामग्री न रखी गयी हो और शिक्षार्थी शौचालयों में अधिक समय न लगाएं। वे सामान्य समय में लौट आएँ।
- 4.1.8 निरीक्षक नोट करें कि किसी भी स्थिति में वे अनुचित साधनों के प्रयोग में शिक्षार्थी की सहायता नहीं करेंगे, और यदि इस प्रकार का मामला पाया गया, तो निरीक्षक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें उन्हें अनुशासनात्मक अथवा दण्ड की कार्रवाई के साथ-साथ किसी प्रकार के भुगतान/ एनआईओएस परीक्षा में आगे काम करने से रोका जा सकता है।

- 4.1.9** सभी निरीक्षक महिलाओं के प्रति संवेदनशील अवश्य हों, और अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की गरिमा बना कर रखें।

4.2 परीक्षा के दौरान निरीक्षकों के कार्य

- 4.2.1** यह जाँच करें कि शिक्षार्थी उनके निरीक्षण के कमरे में अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गए हैं और शिक्षार्थियों के पास कोई पुस्तकें, नोट्स अथवा कोई अन्य कागज नहीं हैं। इस संबंध में प्रत्येक सत्र के आरंभ में एक घोषणा की जाए और शिक्षार्थियों को इस प्रकार की पुस्तकों और कागजों को कमरे/हॉल के बाहर छोड़ते के लिए कहा जाए।
- 4.2.2** सुनिश्चित करें कि हर शिक्षार्थी को सही प्रश्न पत्र मिला है। इसके लिए सुझाव है कि परीक्षा के आरंभ में एक घोषणा की जाए। उन्हें यह बता दिया जाए कि यदि वे अपने लिए निर्धारित प्रश्न पत्र न करके कोई अन्य प्रश्न पत्र करते हैं तो ऐसा वे अपने जोखिम पर करेंगे। प्रश्नपत्रों की सभी अतिरिक्त प्रतियाँ वितरण के तुरंत बाद केन्द्र अधीक्षक को लौटा दी जाएं और देरी से आने वाले किसी भी शिक्षार्थी को केन्द्र अधीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी ने प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखा हो और हस्ताक्षर किया हो। विवरण जांचने के बाद निरीक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रश्न पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
- 4.2.3** परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान शिक्षार्थियों की तलाशी लें। महिला परीक्षार्थियों के लिए केवल महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी।
- 4.2.4** जांच करें कि प्रत्येक शिक्षार्थी ने अंग्रेजी अंकों का अपना सही रोल नंबर उत्तर पुस्तिका के प्रमुख पृष्ठ पर दिए गए स्थान पर लिखा है। वे यह भी देखें कि उत्तर पुस्तिका के प्रमुख पृष्ठ पर दिए गए कॉलमों में सभी अन्य विवरण सही ढंग से भरे गए हैं। शिक्षार्थी अपने प्रश्नपत्रों के उत्तर लिखना आरंभ करें, उससे पहले उन्होंने निर्धारित स्थानों पर रोल नंबर और अन्य विवरण अवश्य लिखे हैं। निरीक्षक अपने अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षार्थियों द्वारा प्रमुख पृष्ठ पर रोल नंबर और अन्य विवरण की उपयुक्तता को सत्यापित करने के रूप में उत्तर पुस्तिका पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। संदर्भ के लिए उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ में भरी हुई एक नमूना ओएमआर शीट उपलब्ध करायी गयी है।
- 4.2.5** अपने अंतर्गत शिक्षार्थियों की पहचान को एनआईओएस द्वारा जारी की गई शिक्षार्थियों की स्कैन की गई सूची, उनके पहचान पत्रों से जाँच करें और शिक्षार्थी की फोटो को स्कैन की गई सूची और पहचान पत्रों के साथ मिलान करें। किसी संदेह की स्थिति में शिक्षार्थी से पूछताछ की जाए और मामले की सूचना केन्द्र अधीक्षक को तुरंत दी जाए।
- 4.2.6** अपने अंतर्गत शिक्षार्थियों के एनआईओएस द्वारा जारी प्रवेश कार्ड, पहचान पत्रों की जांच द्वारा उनकी पहचान सत्यापित करें और शिक्षार्थियों के उपस्थित पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों का मिलान उनके प्रवेश कार्डों पर हस्ताक्षरों से करें। किसी संदेह की स्थिति में शिक्षार्थी से पूछताछ की जाए और मामले की सूचना केन्द्र अधीक्षक को तुरंत दी जाए।
- 4.2.7** सुनिश्चित करें कि परीक्षा में कोई शिक्षार्थी किसी अन्य शिक्षार्थी अथवा नोट्स/पुस्तकों आदि की सहायता से उत्तर की नकल न करें अथवा परीक्षा में किसी अन्य अनुचित साधनों का उपयोग न करें। यदि कोई शिक्षार्थी बातचीत करते हुए अथवा अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया तो प्रयोग की गई पुस्तक को निरीक्षक तुरंत लें और बिना देरी किए मामले की सूचना केन्द्र अधीक्षक को दें। वे केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। निरीक्षक इस प्रकार के मामलों के बारे में केन्द्र के अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट देंगे और केन्द्र अधीक्षक के निर्देशानुसार प्राप्त अन्य सामग्री दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

- 4.2.8** किसी भी शिक्षार्थी को एक घंटा बीत जाने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए गए कुल समय में से आधा समय बीतने से पहले परीक्षा कक्ष से जाता/जाती है, तो उसे अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 4.2.9** निरीक्षक परीक्षा हॉल में परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए उपयुक्त अनुशासन बनाकर रखें और इस प्रकार वे परीक्षा के दौरान निरंतर चौकन्ने रहें और कक्ष में घूमते रहें और बातचीत में न लगे और कोई पुस्तक, समाचार पत्र यहां तक कि प्रश्न पत्र भी न पढ़ें। महिला निरीक्षक बुनाई आदि में न लगे।
- 4.2.10** परीक्षा आरंभ होने पर परीक्षा कक्ष/हॉल के एक दरवाजे के अतिरिक्त अन्य सभी दरवाजे बंद कर दें। परीक्षा समाप्त होने से दस मिनट पहले सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब एक निरीक्षक दरवाजे पर खड़े हों और देखें कि कोई भी शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका दिए बिना हॉल/कक्ष से न जाए।
- 4.2.11** प्रत्येक दिन परीक्षा पूरी होने के बाद, निरीक्षक
- i.** सभी उत्तर पुस्तिकाएं तुरंत एकत्रित करें और शिक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएँ दिए बगैर जाने की अनुमति न दी जाए।
 - ii.** केन्द्र अधीक्षक को सौंपने से पहले उत्तर पुस्तिकाओं को रोल नंबरवार क्रम में लगाएं। यदि कोई शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका साथ लेकर चला गया है और उसकी उत्तर पुस्तिका नहीं मिल रही है, तो इसके लिए संबंधित निरीक्षक उत्तरदायी होगा।
 - iii.** परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ केन्द्र अधीक्षक को सौंप दें और इस प्रकार वे इसके लिए उपयुक्त सावधानियाँ बरतें।
- 4.2.12** परीक्षा केन्द्र में परीक्षा ड्यूटी का स्टाफ अपने पहचान-पत्र अवश्य लगाएं जिससे यह ज्ञात हो कि यह व्यक्ति परीक्षा ड्यूटी पर है। इससे बाहर के व्यक्तियों के प्रवेश की जांच करने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्र पर पर्यवेक्षकों की टीम भी अपने पहचान पत्र/प्राधिकार पत्र साथ में रखें जिससे उनकी पहचान ज्ञात हो।
- उपर्युक्त नियमों में शामिल न होने वाले मामलों में केन्द्र अधीक्षक का मार्गदर्शन और आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जाएं।



प्रश्न पत्रों की अभिरक्षा और संभाल

एनआईओएस परीक्षाओं में, प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका से अलग होते हैं। परीक्षा के प्रत्येक दिन शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ जारी की जाती हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद, शिक्षार्थियों को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होती है। प्रश्न पत्रों की उपयुक्त सुरक्षा और सुरक्षित ढंग से संभालने के लिए केन्द्र अधीक्षक और निरीक्षक निम्नलिखित निर्देशों पर ध्यान दें और पालन करें।

5.1 बैंक में प्रश्न पत्र प्राप्त करना

- 5.1.1 केन्द्र अधीक्षक प्रश्न पत्रों को भंडारण के लिए वास्तव में बैंक में भेजने से पर्याप्त समय पहले बैंकों और केन्द्र अधीक्षक को अलग से जारी किए गए “प्रश्न पत्रों का भंडारण करना और संभालने के लिए निर्देश” ध्यान से पढ़ें। वे बैंक प्रबंधक से निरंतर संपर्क में रहें और पुस्तिका में अधिसूचित निर्देशों का पालन भी करें।
- 5.1.2 केन्द्र अधीक्षक संबंधित बैंक से पता लगाएं कि क्या प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं।
- 5.1.3 यदि परीक्षा आरंभ होने के कम से कम 10 दिन पहले तक बैंक में प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं होते तो केन्द्र अधीक्षक निदेशक (मूल्यांकन)/उप निदेशक/सहायक निदेशक (मूल्यांकन) को टेलीफोन से अथवा ई-मेल द्वारा सूचित करें नहीं तो यह माना जाएगा कि संबंधित केन्द्र के लिए भेजे गए पैकेट बैंक में प्राप्त हो गए हैं।
- 5.1.4 प्रश्न पत्रों की जाँच करना और व्यवस्थित करना : वे इस संबंध में पुस्तिका के “प्रश्न पत्रों का भंडारण करना और संभालना” के अंतर्गत पैरा 10 से 15 में निर्दिष्टानुसार कार्रवाई करें।

5.2 बैंक से प्रश्न पत्र लेना

- 5.2.1 प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग एक घंटा पहले प्रश्न पत्र बैंक से ले लिए जाएं। समय सीमा परीक्षा केन्द्र और बैंक के बीच आने जाने की दूरी को देखते हुए आपस में निश्चित कर ली जाए।
- 5.2.2 प्रश्न पत्र लेने से पहले विषय और पाठ्यक्रम, परीक्षा की तिथि की अवश्य जाँच की जाए और प्रत्येक पैकेट के साथ दो प्रतियों में रखे गए निर्धारित प्रोफॉर्मा पर पावती प्रदान की जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्न पत्र का सही पैकेट ही बैंक से लिया गया है। केन्द्र अधीक्षक को परीक्षा की तिथियों के अनुसार प्रतिदिन बैंक से प्रश्न पत्र लेने होंगे।

- 5.2.3 यदि केन्द्र अधीक्षक किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्वयं बैंक पहुँचने में असमर्थ है तो वे अपनी ओर से प्रश्न पत्रों के पैकेट लेने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को उपयुक्त प्राधिकार पत्र के साथ भेजें।

5.3 परीक्षा केन्द्र में प्रश्न पत्रों को संभालना

- 5.3.1 प्रश्न पत्र के पैकेट परीक्षा आरंभ होने के 15 मिनट पहले खोले जाने चाहिए और प्रश्न पत्र पैकेट खोलते समय दो निरीक्षकों के हस्ताक्षर भी कराए जाएँ जिनके साथ प्रश्न पत्र खोलने का सही समय लिखा हो।
- 5.3.2 प्रश्न पत्रों को तिथि सूची में दिए गए समय पर ही वितरित किया जाए। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी दिन परीक्षा आरंभ होने में देरी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में लगे समय की पूर्ति की जाए।
- 5.3.3 प्रत्येक पैकेट में, सभी प्रमुख विषयों के प्रश्नपत्रों को ए, बी और सी सेटों में व्यवस्थित किया गया है। अतः निरीक्षकों को प्रश्न पत्र जारी करते समय यह क्रम भंग नहीं होना चाहिए। चाहे कोई शिक्षार्थी अनुपस्थित भी है, तो भी उसके लिए आबंटित सीट पर एक प्रश्न पत्र रखा जाए। जब देरी से आने का स्वीकार्य समय समाप्त हो जाने पर भी शिक्षार्थी न आए तो प्रश्न पत्र निरीक्षक द्वारा वापस लिया जा सकता है।
- 5.3.4 प्रश्न पत्र इस प्रकार बांटे जाएँ कि एक पंक्ति में बैठने वाले शिक्षार्थी को समान सेट प्राप्त न हों। शिक्षार्थियों को बैठने की योजना के अनुसार बैठाया जाए (अनुलग्नक-II पर प्रारूप संलग्न)
- 5.3.5 प्रश्न पत्र बांटने के बाद, शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखने के लिए कहा जाए। निरीक्षक को प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे।
- 5.3.6 केन्द्र अधीक्षक प्रयोग न किए गए प्रश्न पत्र एकत्र कराएँगे, उन्हें मुहर बंद करके अपनी निगरानी में रखेंगे उस प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने तक रखेंगे। शेष रहे प्रश्न पत्रों की जाँच परीक्षा होने के दौरान किसी भी समय एनआईओएस द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों के दल, ओएसडी अथवा जाँच दल के सदस्य भी कर सकते हैं।
- 5.3.7 किसी भी शिक्षार्थी को परीक्षा विशेष के लिए निर्धारित समय से आधा समय समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं होगी।

- 5.4 यदि केन्द्र अधीक्षक की जानकारी में कोई मुद्रण दोष अथवा कोई अन्य अस्पष्टता आती है तो वह तुरंत इसकी जानकारी निदेशक (मूल्यांकन) एनआईओएस को दें। यदि प्रश्न पत्र के अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरों में कोई अंतर पाया जाता है तो यदि आवश्यक हो तो अंग्रेजी रूपांतर को ही सही माना जाए।
- प्रश्न पत्र के पैकेटों को संभालने और भंडारण के लिए सभी पत्राचार निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस से किए जाएँ।

5.5 प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों के वितरण के लिए बैठने की योजना

एनआईओएस प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेट प्रदान करता है, अतः यह आवश्यक है कि साथ-साथ बैठने वाले किसी भी दो शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्रों को एक जैसा सेट नहीं मिलना चाहिए। एक चार पंक्तियों वाले एक कक्ष के लिए बैठने की मानक योजना नीचे दी गई है : अक्षम शिक्षार्थियों के बैठने की योजना के लिए कृपया अध्याय-8 देखें।

प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए बैठने की मानक योजना

कक्ष सं. _____ तल _____

परीक्षा केन्द्र संख्या _____

केन्द्र का नाम _____

विषय _____ पर्चा _____ दिनांक _____

प्रथम पंक्ति	द्वितीय पंक्ति	तृतीय पंक्ति
ए	सी	बी
बी	ए	सी
सी	बी	ए
ए	सी	बी
बी	ए	सी
सी	बी	ए
ए	सी	बी
बी	ए	सी

शिक्षार्थियों की कुल संख्या :

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर



अनुचित साधनों और सामूहिक नकल के मामलों का निपटान

परीक्षा शिक्षार्थी के जीवन की एक सामान्य गतिविधि है। शिक्षार्थियों को नियमों और विनियमों के अनुसार परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा के दौरान अनैतिक कार्य करने के प्रयास करने पर सख्त दंड दिए जायेंगे। प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से पहले केन्द्र अधीक्षक एवं निरीक्षण कर्मचारी शिक्षार्थियों को सावधान कर दें और थोड़े-थोड़े अंतराल पर घोषणाएँ करें जिनसे शिक्षार्थी अनुचित साधनों के उपयोग को लेकर हतोत्साहित हों।

6.1 अनुचित साधनों के उपयोग से बचने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली सावधानियाँ

- 6.1.1 परीक्षा से पहले अथवा परीक्षा के दौरान किसी भी समय केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षक/एनआईओएस/संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों के दल के सदस्य द्वारा शिक्षार्थियों की भौतिक रूप से तलाशी ली जा सकती है, लेकिन महिला शिक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला सदस्य द्वारा ही ली जाए।
- 6.1.2 सामान्य तौर पर जब एक शिक्षार्थी शौचालय आदि के लिए जाता है, तो निरीक्षक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका परीक्षा हॉल में उसकी सीट पर ही छोड़ी गई है।
- 6.1.3 परीक्षा के अंत में, किसी शिक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की तब तक अनुमति नहीं होगी, जब तक सभी उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित करके गिन के, सही नहीं पायी जातीं। यदि कोई शिक्षार्थी जबरदस्ती अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ बाहर निकल गया है तो यह स्पष्ट करते हुए एक पूर्ण विवरण तैयार किया जाए कि किन परिस्थितियों में शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के साथ चला गया है। **किसी भी स्थिति में प्रावधान का उपयोग उत्तर पुस्तिका के खोने को ढकने के लिए न किया जाए।** इस विवरण में घटना का समय और मामले के विवरण हों जैसे वह शिक्षार्थी किस प्रकार उत्तर पुस्तिका ले गया। उत्तर पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास भी लिखे जाएँ।
- 6.1.4 यूएफएम मामलों की रिपोर्ट करते हुए उपयुक्त प्रक्रिया अपनायी जाए।
- 6.1.5 यद्यपि, यदि कोई शिक्षार्थी निम्नलिखित अपराधों में से किसी में लिप्त पाया गया तो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए माना जाएगा और उसकी परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा। शिक्षार्थी द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड के संबंध में यूएफएम समिति का निर्णय उसके लिए अंतिम और मान्य होगा।

6.2 परीक्षा के दौरान अपराध

- 6.2.1 उत्तर पुस्तिका में नाम, रोल नंबर लिखना अथवा हस्ताक्षर अथवा कोई अन्य निशान बनाना जिसे किसी भी प्रकार से, शिक्षार्थी की पहचान पता चलती हो। नाम और/अथवा रोल नंबर केवल दिए गए स्थान में ही लिखे जाएं और अन्य किसी जगह नहीं।
- 6.2.2 एनआईओएस की अनुमति के बिना अपने एआई (अध्ययन केन्द्र) के अतिरिक्त किसी अन्य एआई में परीक्षा में बैठना।
- 6.2.3 परीक्षा से संबंधित प्राप्त सामग्री के अतिरिक्त मोबाइल फोन, ईयर फोन, ब्लू टूथ या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, पुस्तक(कें), नोट्स, पर्चे अथवा कोई अन्य सामग्री अपने पास रखना।
- 6.2.4 परीक्षा के दौरान नकल में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना अथवा देना या उत्तर पुस्तिकाओं का आदान-प्रदान करना।
- 6.2.5 परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका आदि चोरी से लाना अथवा ले जाना और प्रश्न पत्रों अथवा उत्तर पुस्तिका से पृष्ठ/पृष्ठों को फाड़ना अथवा किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़-छाड़ करना या उत्तर पुस्तिका के साथ रुपए के नोट संलग्न करना।
- 6.2.6 केन्द्र अधीक्षक/परीक्षक/निरीक्षक के विरुद्ध मौखिक रूप से अपशब्द/अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अथवा उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना अथवा धमकाना/किसी के साथ हिंसा करना।
- 6.2.7 परीक्षा देने के लिए वास्तविक शिक्षार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजना।
- 6.2.8 परीक्षक अथवा परीक्षा के साथ जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क इस उद्देश्य से करना कि उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके।
- 6.2.9 परीक्षा में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा एक जानबूझकर नकल करने का पहले से प्रबंध करना।
- 6.2.10 उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य कागज पर प्रश्न अथवा उत्तर लिखना।
- 6.2.11 प्रवेश के लिए आवेदन में गलत विवरण देना जैसे प्रमाणपत्र/अंक सूची आदि के साथ छेड़छाड़ करना अथवा नकली हस्ताक्षर करना।
- 6.2.12 शिक्षार्थी द्वारा कोई अन्य अनैतिक और अवैध गतिविधि।

6.3 यूएफएम के अंतर्गत दर्ज मामलों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

यूएफएम के अंतर्गत दर्ज शिक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र से न तो निकाला जाएगा और न ही उसे शेष परीक्षाओं में बैठने के लिए रोका जाएगा।

6.3.1 द्वितीय उत्तर पुस्तिका जारी करना

जैसे ही अनुचित साधनों का कोई मामला केन्द्र अधीक्षक की जानकारी में आता है, तो निम्नलिखित शीघ्र कार्रवाईयों की जाएंगी :-

- (i) शिक्षार्थी के पास पाए गए प्रश्न पत्र अथवा अन्य सामग्री सहित उत्तर पुस्तिका ले लेना,
- (ii) पहली उत्तर पुस्तिका पर वह समय लिखें जब यह मामला जानकारी में आया,
- (iii) शिक्षार्थी को तुरंत दूसरी उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाए,
- (iv) दूसरी उत्तर पुस्तिका पर वह समय लिखें जब शिक्षार्थी को यह दी गई।
- (v) दूसरी उत्तर पुस्तिका के ऊपर मोटे अक्षरों में, “दूसरी उत्तर पुस्तिका” लिखा जाए।

6.3.2 शिक्षार्थी का स्पष्टीकरण

द्वितीय उत्तर पुस्तिका जारी करते हुए केन्द्र अधीक्षक शिक्षार्थी से अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहें। यदि शिक्षार्थी बयान देने से मना करे तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, केवल उसके मना करने का तथ्य घटना के समय तैनात निरीक्षक द्वारा लिया जाए और केन्द्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाए।

6.3.3 निरीक्षक का बयान

जिस निरीक्षक ने शिक्षार्थी को यूएफएम का उपयोग करते हुए खोजा है वह भी अपना बयान लिखें जिसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षर किए जाएं। अपने बयान में निरीक्षक इस बारे में संक्षिप्त जानकारी दे सकता है कि यह सामग्री कहाँ से प्राप्त की गई (जेब, डेस्क, जूते आदि)

6.3.4 इस प्रकार पकड़ी गयी नकल की सामग्री

किसी निरीक्षक द्वारा पकड़ी गयी नकल की सामग्री के प्रत्येक पृष्ठ पर निरीक्षक के हस्ताक्षर और केन्द्र अधीक्षक के प्रति हस्ताक्षर हों और निरीक्षक एवं केन्द्र अधीक्षक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर की गयी उत्तर पुस्तिकाओं के शीर्ष में पकड़े गए पृष्ठों की कुल संख्या लिखी जाए।

6.3.5 यूएफएम के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

यूएफएम के सभी मामलों को अनुलग्नक-3 में दिए अनुसार यूएफएम की रिपोर्ट देने के लिए फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएं। फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भी हों :-

- (i) पहली और द्वितीय उत्तर पुस्तिकाएँ
- (ii) शिक्षार्थी का स्पष्टीकरण/बयान
- (iii) निरीक्षक का बयान
- (iv) शिक्षार्थी के पास पायी गयी सामग्री

नोट : प्रोफार्मा में दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद मामले को सशक्त करने के लिए प्रोफार्मा के सभी कॉलम सही ढंग से अवश्य भरे जाएं।

6.3.6 यूएफएम मामलों को क्षेत्रीय केन्द्र पर भेजना

- प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रोफार्मा **अनुलग्नक-3** के साथ लगाकर सभी यूएफएम मामले मुहरबंद लिफाफे में प्रतिदिन **अनुलग्नक - 5** के अनुसार क्षेत्रीय केन्द्र को भेजे जाएं।
- यदि यूएफएम के अंतर्गत कोई रोल नंबर विशेष पकड़ा गया है तो यह तथ्य प्रतिदिन उपस्थिति पत्र में और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र की उत्तर पुस्तिकाओं को प्रेषण के विवरण में लिखा जाए।
- पर्यवेक्षकों के दल के सदस्यों द्वारा पकड़े गए मामलों में केन्द्र अधीक्षक संबंधित शिक्षार्थी के स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देने के बाद उन मामलों को एनआईओएस संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेजें। इन मामलों के लिए भी केन्द्र अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा भरा जाएगा और परीक्षा केन्द्र द्वारा पकड़े गए इसी प्रकार के मामलों की तरह निपटा जाए।

6.4 चोरी से उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई

यदि कोई शिक्षार्थी बिना बताए उत्तर पुस्तिका बाहर ले गया है, तो केन्द्र अधीक्षक सीधे शिक्षार्थी को बुलाएंगे और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यदि उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं होती तो इस मामले की सूचना **अनुलग्नक-4** में दिए प्रारूप के अनुसार पुलिस में दी जाए और एफआईआर की एक प्रति कक्ष में उपस्थित निरीक्षकों और शिक्षार्थी के बयान के साथ एनआईओएस/संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय को भेजी जाए। चपरासी/पुलिस कांस्टेबल आदि कोई हो तो उनका बयान भी भेजा जाए।

6.5 शिक्षार्थी के स्थान पर कोई किसी अन्य व्यक्ति के परीक्षा देते हुए पकड़े जाने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई

- शिक्षार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा देते हुए पकड़े जाने के मामले में अन्य व्यक्ति का बयान, निरीक्षक(ि) और यदि संभव हो तो असली शिक्षार्थी के बयान एनआईओएस/क्षेत्रीय केन्द्र को भेजे जाएं।
- वे **अनुलग्नक-4** के प्रारूप के अनुसार पुलिस को मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
- तीन कोणों (सामने से और दोनों तरफ बायें और दायें से) से नकली शिक्षार्थी की फोटो लेने का प्रबंध करें और मामले के साथ भेजें।
- इस संबंध में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति एनआईओएस द्वारा की जाएगी।

6.6 दुर्यवहार के मामले में की जाने वाली कार्रवाई

- गंभीर प्रकृति के दुर्यवहार के मामले में, यदि आवश्यक हो तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए।
- निरीक्षक(ि) के बयान और संबंधित चपरासी/पुलिसवाले के बयान प्राप्त किए जाएं और आगे की कार्रवाई के लिए एनआईओएस/संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यालय को भेजा जाए।

6.7 सामूहिक नकल मामले

सामूहिक नकल वैयक्तिक यूएफएम मामलों से एक भिन्न अपराध है। यह एक सामूहिक गतिविधि है जो केन्द्र अधीक्षक और परीक्षा केन्द्र में कार्य कर रहे स्टाफ की मिली-भगत से होती है।

6.7.1 सामूहिक नकल के व्यापक क्षेत्र

सामूहिक नकल के व्यापक क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

- i) परीक्षा हॉल में बांटे गए मुद्रित कागज से नकल करना;
- ii) नकल की सामग्री याम पट्ट पर दर्शाना।
- iii) बाहर से लाउडस्पीकपर का उपयोग।
- iv) निरीक्षकों आदि द्वारा उत्तर लिखाना आदि।
- v) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग जो सामूहिक नकल को गतिविधि देता हो।
- vi) अन्य शिक्षार्थियों/निरीक्षकों अथवा बाहर के व्यक्तियों की सहायता से शिक्षार्थियों द्वारा अपनाया गया कोई अन्य माध्यम।

6.7.2 सामूहिक नकल के अंतर्गत पकड़े गए केन्द्रों के लिए दण्ड

- (i) यदि परीक्षा केन्द्र एनआईओएस का एक एआई है तो एआई का प्रत्यायन रद्द करना।
- (ii) एआई के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था के मामले में, परीक्षा केन्द्र सदैव के लिए रद्द करना अथवा एनआईओएस को जो उचित लगे।
- (iii) अनैतिक व्यवहारों के लिए संस्थान की मान्यता रद्द करने के लिए संबंधित बोर्डों को सूचित करना।
- (iv) यदि यह सिद्ध हो गया कि रिश्वत का लेन-देन हुआ है और इस ग्राइंडर में केन्द्र अधीक्षक और/अथवा निरीक्षकों की भी मिली भगत है तो मामले को पुलिस को सौंपना।
- (v) परीक्षा के दौरान अनैतिक व्यवहारों में लिप्त संस्थाओं के विरुद्ध प्रैस में प्रचार करके उन संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इंगित करना।
- (vi) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए यूएफएम समिति की संस्तुति से कोई अन्य दंड।

6.7.3 शिक्षार्थियों के लिए दंड

विषय की परीक्षा या पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी अथवा मामले की गंभीरता को देखते हुए और यूएफएम समिति की संस्तुति से शिक्षार्थी का प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है।



उत्तर पुस्तिकाओं को संभालना और भेजना

7.1 परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं को संभालना

7.2 परीक्षा के हर रोज स्टॉक में से आवश्यक संख्या की उत्तर पुस्तिकाएं क्रमवार प्रयोग की जाएं। परीक्षा में अनुपस्थित शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं अगली परीक्षा के दिन प्रयोग न की जाएं और पूरी परीक्षा समाप्त होने पर शेष उपयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं के साथ एनआईओएस को लौटाने के लिए केंद्र अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी जाएं।

7.2.1 परीक्षाओं के दौरान, निरीक्षक यह सुनिश्चित करें :-

- (i) प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर ओएमआर शीट पर निर्धारित स्थान पर केन्द्र अधीक्षक की अनुलिपि लगी है। केन्द्र अधीक्षक की अनुलिपि बिना पते के होगी।
- (ii) शिक्षार्थी ने ओएमआर शीट के सभी उपयुक्त कॉलम उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ में भरे हों और कोई कॉलम खाली न छूटा हो।
- (iii) इस तथ्य की पुष्टि के बाद निरीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर किए हों।
- (iv) शिक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका की संख्या उपस्थिति पत्र पर अवश्य विधिवत रिकॉर्ड की हो।

7.2.2 परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद

- (i) उत्तर पुस्तिकाएँ एकत्रित की जाएं और उत्तर पुस्तिकाओं को रोल नंबर और मूल उपस्थिति पत्र के आधार पर क्रमवार रूप में लगाया जाए।
- (ii) परीक्षार्थियों को तब तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति न दी जाए जब तक उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र करके, गिनकर, सत्यापित न किया जाए।
- (iii) उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण से पहले उस दिन, उस विषय की परीक्षा में बैठने वाले की सूची, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करें।
- (iv) माध्यमिक परीक्षा के मामले में जैसे तेलुगू, गुजराती आदि के मामले में अलग बंडल तैयार किए जाएं।
- (v) अक्षम शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का भी अलग बंडल बनाया जाए।

7.2.3 केन्द्र अधीक्षक प्रारूप (अनुलग्नक - 7) के अनुसार एक दैनिक विवरण तैयार करें जिसमें प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या और क्रम सं. प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाएँ, एनआईओएस को लौटाई गई उत्तर पुस्तिकाएँ शामिल हैं।

7.2.4 उत्तर पुस्तिकाओं का क्रम और लेखा-जोखा अवश्य रखा जाए। किसी दिन विशेष की प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं को अगले दिन पहले प्रयोग न किया जाए।

7.2.5 कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं हैं। शिक्षार्थियों को पहली उत्तर पुस्तिका में ही अपने उत्तर समाप्त करने होंगे जो 32 पृष्ठों की है कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी।

7.2.6 अक्षमत शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रिंटआउट संभालने के लिए अध्याय-8 देखें।

7.3 परीक्षाओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण :-

7.3.1 परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद सभी प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र/संकलन केन्द्र को प्रतिदिन भेजी जाएं। प्रयोग की गयी उत्तर पुस्तिकाएँ भेजते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए :

- क) प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाएँ एक कागज के थैले में डाली जाएं, जिसे 'सुतली' से बांधकर उत्तर पुस्तिका के बंडल के ऊपर और नीचे दोनों जगह सख्त बोर्ड लगाया जाए और मुहरबंद किया जाए।
- ख) थैलों/पैकेटों को मुहरबंद करने के लिए प्रयोग की गई धातु की मोहर की नमूना छाप, (केवल परीक्षा के पहले दिन अथवा जब मुहर बदली जाए, तब भेजी जाए)।
- ग) एक अलग लिफाफे में उस दिन की मूल उपस्थिति पत्र रखा जाए और लिफाफे के ऊपर 'माध्यमिक/उच्च. माध्यमिक, दिनांक विषय के लिए उपस्थिति पत्र' लिखा जाए, और दिया जाए।
- घ) प्रत्येक कमरे की बैठने की योजना (अनुलग्नक-2) निरीक्षकों की उपस्थिति की प्रति
- ड.) अनुचित साधनों के प्रयोग वाली उत्तर पुस्तिकाओं की पहली और दूसरी प्रति, यदि कोई हो तो, अनुचित साधनों की प्रक्रिया में निर्धारित विवरणों और संलग्नकों (अनुलग्नक 3, 4 और 5) के साथ, दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में डाल दिए जाएं। इस लिफाफे पर 'अनुचित साधनों के मामले' लिखा जाए और संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों के उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल के साथ भेजा जाए।
- च) तब निम्नलिखित प्रारूप में उस दिन की परीक्षा रिपोर्ट का सारांश तैयार किया जाए :-

..... को परीक्षा की संक्षिप्त रिपोर्ट

- i) परीक्षा केन्द्र संख्या :
- ii) पाठ्यक्रम : माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक
- iii) तिथि :
- iv) विषय :
- v) उपस्थिति पत्र के अनुसार केन्द्र में इस दिन परीक्षा के लिए पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या :
- vi) एनआईओएस/क्षेत्रीय केन्द्र (उपर्युक्त के अतिरिक्त) की अनुमति से यदि कोई शिक्षार्थी परीक्षा में बैठे हों तो अतिरिक्त शिक्षार्थियों की संख्या
- vii) परीक्षा में बैठे कुल शिक्षार्थी :
- viii) अनुपस्थित शिक्षार्थियों की कुल संख्या (उपस्थिति पत्र के संदर्भ में)
- ix) अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों की संख्या :
- x) प्रयोग की गयी और पैकेट में मुहरबंद की गई उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या

7.3.2 केंद्र अधीक्षक उत्तर पुस्तिका के पैकेट के ऊपर और नीचे एक सख्त बोर्ड शीट लगाकर कपड़े में बांधकर न कि कागज के लिफाफे में रखकर मुहरबंद करें। पर्यवेक्षक यदि हो तो, और कम से कम दो निरीक्षकों की उपस्थिति में जो गवाह के रूप में हस्ताक्षर करें कि उत्तर पुस्तिकाएँ उनकी उपस्थिति में को प्रातः/सायं पैक की गई।

7.3.3 उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण के लिए जिस कपड़े का प्रयोग किया जाए उस पर निम्नलिखित सूचना लिखी जाए

परीक्षा केन्द्र सं. और नाम _____

पाठ्यक्रम: _____ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक

विषय और विषय कोड _____

परीक्षा की तिथि _____

सत्र _____

सेवा में

(प्रेषिती का पता) _____

7.3.4 इसे उसी दिन संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को 1000/- रु. (एक हजार रुपए केवल) के बीमा किए हुए स्पीड पोस्ट द्वारा उसी दिन भेजा जाए। जहाँ कोई स्पीड पोस्ट सेवा नहीं है, वहाँ सामग्री बीमाकृत पार्सल के रूप में दर्ज की जाए। किसी भी मामले में उत्तर पुस्तिकाएँ केन्द्र पर न रखी जाएं।

7.3.5 आपातकाल स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पास के पुलिस स्टेशन में उपयुक्त रसीद लेकर रखे जाएं। ये पैकेट पहले की तरह डाक कार्यालय द्वारा भेजने के लिए अगले दिन वापस ले लिए जाएं। पुलिस स्टेशन से प्राप्त मूल रसीद क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेजी जाए।

7.4 क्षेत्रीय केन्द्रों को जमा किए जाने वाले रिकॉर्ड

- (i) केन्द्र अधीक्षक के बिल का भुगतान परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद एनआईओएस को प्रयोग की गई और प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण जमा करने और प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाएँ वापस करने के बाद ही कर दिया जाएगा।
- (ii) एनआईओएस इन निर्देशों का पालन न करने वाले परीक्षा केन्द्र पर उपयुक्त दंड लगा सकता है।



एनआईओएस परीक्षा के दौरान सामान्य और विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार)

दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता, वाकबाधिता, गति अक्षमता और अन्य प्रकार की अक्षमता वाले जिन (अक्षमतानुसार) अक्षम शिक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में कठिनाई होती है उनके लिए आवश्यकता के आधार पर लेखक, तकनीकी उपकरणों आदि की सुविधा का प्रावधान है। एनआईओएस की समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उनकी अक्षमताओं के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रावधान है। स्पष्टता के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को खण्डों तथा उप-खण्डों में परिभाषित किया गया है।

8.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ

विकलांगता अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में निर्दिष्ट शिक्षार्थियों की अक्षमता तथा वे शिक्षार्थी जिन्हें अधिगम में विशेष परेशानियाँ हैं और वे विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्हें परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है वे परीक्षा आरंभ होने के कम से कम चार सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को दिए गए प्रारूप में आवेदन जमा करें जिसमें शिक्षार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हो और साथ ही एक उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दें जिसमें उसकी अक्षमता की प्रकृति तथा अक्षमता की सीमा दर्शाई गई हो। यह आवेदन परीक्षार्थी के माता-पिता या अभिभावक द्वारा परीक्षा पंजीकरण फार्म के साथ भरा जाएगा।

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए निम्नांकित में से किसी के द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

- केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।
- राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, स्पैस्टिक, सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।
- संबंधित राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ पंजीकृत चिकित्सकों/केंद्र सरकार/संबंधित राज्यों की राज्य सरकार द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

परीक्षा में बैठने के दौरान शिक्षार्थी प्रमाणपत्र में दर्शाए अनुसार उत्तर पुस्तिका के ऊपर अपनी अक्षमता लिखेगा/गी। इसे उसके केंद्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

8.2 सामान्य प्रावधान

8.2.1 प्रतिपूरक समय का प्रावधान : अक्षम शिक्षार्थियों के लिए प्रतिपूरक समय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अक्षमताओं वाले सभी शिक्षार्थियों की स्थिति 8.1 में वर्णित अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाए।

- i) लेखक द्वारा पढ़ने, प्रश्नपत्रों को समझने, लेखक को डिक्टेशन देते हुए लगातार बैठे रहने के कारण थकान आदि की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक विषय¹ की परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।
- ii) यदि 8.1 पर निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित लघु अंतराल की आवश्यकता हो तो उपर्युक्त के अतिरिक्त दस मिनट प्रति घंटे के लघु अंतराल की अनुमति दी जाएगी।

8.2.2 लेखक का प्रावधान : लेखक, रीडर, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का लाभ केवल संबंधित विषय की आवश्यकतानुसार उठाया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षार्थी इस सुविधा के पात्र होंगे :

- क. आटिज़्म से ग्रसित शिक्षार्थी
- ख. मानसिक पक्षाघात
- ग. मंदबुद्धि सहित दिमागी अक्षमता
- घ. बहुविध अक्षमताएँ
- ड. देखने में अक्षम, दृष्टि बाधित
- च. बोलने तथा सुनने की कमी।
- छ. 8.1 की प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित अन्य क्षमताओं वाले शिक्षार्थी, विशेष रूप से अधिगम में अक्षमताएँ जैसे डाइस्लेक्सिया, डाइस्ग्राफिया, डायस्कैलकुलिया, डायस्प्राक्सिया तथा स्वर विकास की अक्षमता।
- i) ऐसे शिक्षार्थी जिन्हें हाथ चलाने में कठिनाई हो और जिन्हें बोलने तथा सुनने में भी कठिनाई हो, वे सांकेतिक भाषा समझने वाले विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं जो संकेतों की भाषा समझते हों।
- ii) हाथ में चोट लगने पर शिक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकती है।
- iii) अचानक बीमार होने के मामले में जहां अस्थायी प्रकृति की अक्षमता हो, लेखक की सेवा की अनुमति 8.1 में निर्धारित विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के बाद दी जाएगी।
- iv) ऐसे अक्षम शिक्षार्थी जिसने लेखक की सुविधा का चयन किया है, यदि वह शिक्षार्थी इच्छुक है तो उन्हें चित्र आदि स्वयं बनाने की अनुमति दी जाए।
- v) अक्षम शिक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय की आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान की जाए।
- vi) अक्षम शिक्षार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर रीडर की सुविधा प्रदान की जाए।
- vii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में एक सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रारूप में पहले से आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।
- viii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में पहुंचने तथा उसकी सीट ढूंढने में सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रारूप में पहले से आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।

- ix) विशेष मामलों में शिक्षार्थी को केवल प्रेरित करने तथा समर्थन के लिए उसके निकट संबंधी, सहायक अथवा संबंधित अध्यापक परीक्षा हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नोट :

- i) **लिपिक तथा लेखक** एक दूसरे के पर्याय हैं और इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा कोई अन्य नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में इसके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है।
- ii) यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को भिन्न विषयों के लिए भिन्न-भिन्न लेखकों का चयन करने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।
- iii) परीक्षा केंद्र परिसर में देखभाल करने वाले की प्रविष्टि हेतु आवेदन प्रोफार्मा देखें।
- iv) लेखक/लिपिक का प्रबंध शिक्षार्थी द्वारा किया जा सकता है और केंद्र अधीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया तथा लेखकों की पात्रता इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।
- v) प्रयोगशाला सहायक केवल केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

8.2.3 (क) एक लेखक के रूप में पात्रता

- i) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक परीक्षार्थी का संबंधी नहीं होना चाहिए।
- ii) लेखक किसी भी आयु अथवा कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है।
- iii) आपातकालीन अवस्था में लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक में परिवर्तन करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में लिखने के लिए एक से अधिक लेखकों, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की अनुमति होगी।
- iv) शिक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में लेखक से मिल भी सकता/सकती है।
- v) केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षार्थी को ये सुविधाएँ दी गई हैं और क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस को इसके पालन की सूचना देंगे। संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक जहां तक संभव हो, स्कूल से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे और उनका नाम एवं फोटो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को शीघ्र ही भेजेंगे जिसके साथ शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

8.2.3 (ख) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक, चिह्न भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिण के लिए शुल्क

- (i) परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा प्रत्येक दिव्यांग शिक्षार्थी की परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए लेखक को रु. 100/- का शुल्क दिया जाएगा। पाठक, प्रयोगशाला सहायक तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिण को मानदेय, स्टाफ के 3.2.1 भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा। 8.2.2 (iv) के अतिरिक्त) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों को किसी प्रभार/शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) जो शिक्षार्थी अस्थायी अक्षमताओं के कारण लेखक की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, वे स्वयं उसका शुल्क देंगे।

8.2.4 कम्प्यूटरों का प्रयोग : ऐसे शिक्षार्थी जिनके हाथ न्यूनतम कार्य करते हैं, देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित, सीखने में अक्षम, मानसिक पक्षघात, ऑटिज्म तथा अन्य किसी अक्षमता वाले शिक्षार्थी को कम्प्यूटर प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही इसके लिए अनुरोध करेंगे।

- i) यदि वे कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को सहायक उपकरणों सहित अपना कम्प्यूटर लाना होगा।
- ii) उत्तर देने के लिए उन्हें आवश्यक सॉफ्टवेयर (टैक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) भी लाना होगा।
- iii) केंद्र अधीक्षक पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए प्रिंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नोट: केंद्र अधीक्षक को मशीनों की जांच करने का अधिकार है कि पहले से फीड की गई जानकारी मशीनों में न हो। शिक्षार्थी को इन सब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा।

केंद्र अधीक्षक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा रिमूवेबल स्टोरेज उपकरणों सहित आवश्यक कम्प्यूटरों की संख्या सुनिश्चित करेंगे।

8.2.5 बैठने की व्यवस्थाएँ तथा अन्य सहायता

- क. यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं है तो व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले एवं आने जाने में अक्षम शिक्षार्थियों को भूमि तल पर परीक्षा लिखने की सुविधा दी जाएगी।
- ख. भवन में पहुँचना आसान तथा उचित रैम्प हो और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों। केंद्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- ग. केंद्र अधीक्षक निरीक्षण हेतु एक अलग परीक्षा कक्ष में अधिकतम चार शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे जिसमें अलग से एक निरीक्षक होगा।
- घ. फिर भी यदि आवश्यक हो तो, विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक सहित एक अलग कक्ष का प्रबंध किया जाएगा।
- ड. परीक्षा कक्ष शोरगुल से दूर तथा पूर्ण रूप से प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए।

8.2.6 केंद्र अधीक्षक अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रिंट लेंगे और एक अलग लिफाफे में परीक्षार्थी की क्रम संख्या के अनुसार पैक करके एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यलय को भेजेंगे। लिफाफे पर “अक्षम शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ” लिखा होना चाहिए। तालिका 8.1 के अनुसार अक्षमता की श्रेणी इंगित करते हुए उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दिया जाएगा।

तालिका सं. 8.1 विभिन्न अक्षमताओं के लिए बनाए गए कोड

क्र.सं.	दिव्यांगता की श्रेणी	कोड
1.	देखने में अक्षम	बी
2.	दृष्टि बाधित	एलबी
3.	गति/चलने में अक्षम	एल
4.	सुनने और बोलने में अक्षम	एचआई
5.	कुष्ठ रोग मुक्त	एलसी
6.	मानसिक बीमारी	एमआई
7.	मानसिक पक्षाघात	एमआर
8.	ऑटिज्म	ऑट
9.	प्रमस्तिष्क घात	सीपी
10.	बहु विध अक्षमताएँ	एमडी
11.	विशेष रूप से सीखने में अक्षम	एसएलडी

8.2.7 वंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थाएँ (एसएआईडी) के अंतर्गत पंजीकृत विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के अध्ययन केन्द्र ही उनके परीक्षा केन्द्र भी होंगे। परीक्षा के दौरान एनआईओएस द्वारा तैनात निरीक्षक परीक्षा का आयोजन मॉनीटर करेंगे। संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए चुने हुए स्कूलों को विशेष शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा। यद्यपि एनआईओएस को शिक्षार्थियों के हित में तथा व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए एसएआईडी के अलावा किसी अन्य केंद्र के आबंटित का अधिकार है। फिर भी एसएआईडी केंद्रों के अलावा अन्य केंद्र में परीक्षा में बैठने वाले अक्षम शिक्षार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

8.3 विशेष प्रावधान¹ : 8.2 में वर्णित सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी हैं।

8.3.1 देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित

- देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जहां कहीं लागू हो सिद्धांत परीक्षाओं में ज्यामिति के चित्र बनाने में, मानचित्रों के अंकन एवं लेबल करने संबंधी प्रश्नों के विकल्प प्रश्न प्रदान किए जाएंगे।
- देखने में अक्षम शिक्षार्थियों को लेखक की सहायता लेने/ब्रेल टाइपराइटर अथवा कंप्यूटर का परीक्षा में प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए अपने ब्रेल, टाइपराइटर, इत्यादि स्वयं लाने होंगे।
- टेलर फ्रेम तथा ज्यामिति ड्राईंग किट इत्यादि उपकरणों को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पहले ही अनुमति ली जाए।

¹ बहुत से अक्षम शिक्षार्थी अब वैकल्पिक प्रारूप में प्रश्नपत्र अनुरोध करते हैं। इसमें नीतिगत निर्णय और समय से पहले ही तैयार की आवश्यकता होती है। जैसे ही इस बारे में कार्य होगा, एनआईओएस इसकी घोषणा करेगा।

8.3.2 सुनने में अक्षम शिक्षार्थी

- i. दुभाषिये (इशारों की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति) को सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों को प्रश्न समझाने के लिए परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ii. एक परीक्षा कक्ष में एक दुभाषिया पर्याप्त होगा। दुभाषिए के प्रबंध के बारे में केन्द्र अधीक्षक निर्णय ले सकते हैं।

नोट : यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न लिपिक/लेखक चुनने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

8.3.3 ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) और बहुविध अक्षमताएँ :

- i. माउस के स्थान पर ट्रैकबॉल, संचार बोर्ड इत्यादि समरूप हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी।
- ii. बौद्धिक अक्षमता (मंदबुद्धि) शिक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा के विकल्प के रूप में परियोजना कार्य चुन सकते हैं।
- iii. यदि शिक्षार्थी विशेष रूप से अक्षम हों और यदि उन्हें आवश्यकता हो, तो उन्हें आरामदायक कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- iv. जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ प्रश्नपत्र पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नोट : शिक्षार्थी अपने उपकरणों का स्वयं प्रबंध करेंगे।

8.3.4 सीखने में अक्षम शिक्षार्थी

8.1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सामान्य शर्तों में भी उल्लिखित किए अनुसार लेखक, कम्प्यूटर का प्रयोग और अतिरिक्त समय के प्रावधान की अनुमति है।

8.3.5 कुष्ठ रोग मुक्त शिक्षार्थी

जैसा कि 8.1 में उल्लिखित है चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने पर कुष्ठ उपचारित हुए शिक्षार्थियों के लिए सामान्य छूट लागू होगी।

नोट :

- i. यदि कोई ऐसा अक्षम शिक्षार्थी है जो उपर्युक्त किसी श्रेणी में शामिल नहीं हो, वह परीक्षा के दौरान कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से कम से कम चार सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से संपर्क करें।

अथवा

निदेशक (मूल्यांकन)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश

- ii. तालिका 3.2.1 में जहां भी मानदेय का उल्लेख नहीं किया गया है, निरीक्षक का मानदेय होगा।
- iii. शिक्षार्थी अपनी आवश्यकतानुसार उपर्युक्त खंडों में एक से अधिक खंडों का विकल्प चुन सकते हैं।

परिशिष्ट - I

अभिभावक द्वारा आवेदन

नाम : _____

परीक्षार्थी के साथ संबंध : _____

अभिभावक/शिक्षक/देखभालकर्ता/कोई अन्य (कृपया लिखें।) _____

पता : _____

संपर्क सं. _____

ई-मेल आईडी _____

दिनांक: _____

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

क्षेत्रीय केंद्र : _____

विषय : एनआईओएस परीक्षा के दौरान प्रदान किए जाने वाले आवश्यकताधारित प्रावधानों के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया,

यह प्रस्तुत है कि मेरा बेटा/बेटी/संतान, एक अक्षम/विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं जो ब्लॉक-1/ब्लॉक-2/जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) के लिए ----- से ----- तक आयोजित होने वाली एनआईओएस परीक्षाओं में बैठ रहा/रही है।

परीक्षार्थी का विवरण

1. नाम : _____

2. नामांकन संख्या _____

3. जिस कार्यक्रम में नामांकित हैं : माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक/ओबीई/जीवन समृद्धि/जीवन कौशल कार्यक्रम (उपर्युक्त विकल्प पर √ लगाएँ)

4. अक्षमता की प्रकृति:

5. प्रमाणपत्र के जारीकर्ता : अस्पताल का नाम (केवल सरकारी अस्पताल/सरकारी मेडिकल संस्थान ही

6. चिकित्सा प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक : _____

7. चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रति, संस्तुतियों सहित :

8. विषयवार, आवश्यक विशिष्ट प्रावधान :

क्र.सं.	विषय और कोड	आवश्यक विशिष्ट प्रावधान परिशिष्ट में वर्णित प्रावधानों का खंड निर्दिष्ट करें		स्व-प्रबंध किए जाने वाले सहायक उपकरणों का विवरण संलग्नक-2 पर दिए गए प्रारूप में लेखक/ देखभाल कर्ता का विवरण
		केंद्र अधीक्षक से	स्वयं प्रबंध किए गए	

आपसे अनुरोध है कि मेरे बेटे/बेटी/संतान को परीक्षा के दौरान ऊपर निर्दिष्ट सामान्य और विशिष्ट प्रावधान प्रदान करें।
आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न हैं।

भवदीय,

संलग्न : सत्यापित प्रतियाँ

1. चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रति
 2. परीक्षार्थी के पहचान पत्र की प्रति
 3. वास्तविक प्रमाणपत्र जिस पर लेखक की फोटो चिपकी हो और प्राचार्य से हस्ताक्षरित हो।
 4. लेखक के पहचान पत्र की प्रति।*
 5. कोई अन्य व्यक्ति जो परीक्षार्थी के साथ होगा, उसके पहचान पत्र की प्रति।*
- * लेखक और साथ में आने वाले व्यक्ति को परीक्षा के दौरान वही पहचान का प्रमाणपत्र लाना होगा।

अध्ययन केंद्र द्वारा जारी किया जाने वाला लेखक/प्रयोगशाला सहायक/
रीडर से संबंधित जानकारी के लिए प्रपत्र
(परीक्षा आरंभ होने से दो सप्ताह पहले क्षेत्रीय निदेशक को जमा किया जाए।)

नाम : _____

माता/पिता/अभिभावक का नाम : _____

शैक्षिक योग्यता का विवरण :

क्या लेखक ने वही विषय पढ़े हैं ? हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो लेखक परीक्षार्थी से एक कक्षा कनिष्ठ होना चाहिए। खंड 8.2.3 (iii) देखें।

उपर्युक्त व्यक्ति निम्नांकित परीक्षार्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य करेगा :-

परीक्षार्थी का नाम :

नामांकन सं. :

अध्ययन केंद्र का नाम :

अध्ययन केंद्र सं.:

परीक्षा का विषय एवं दिनांक :

1. _____

2. _____

3. _____

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केंद्र अधीक्षकों के लिए एनआईओएस दिशा-निर्देश (सिद्धांत परीक्षाओं के लिए) का खंड 8.2 विवरणिका का अध्याय-6 पढ़ा है और लेखक का चयन नियमानुसार किया गया है।

संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

नाम

पदनाम

मुहर

अध्ययन केंद्र द्वारा विशिष्ट मामलों में परीक्षाओं के दौरान विशेष अक्षमताओं वाले
शिक्षार्थियों के साथ आने वाले निकट संबंधी, देखभाल कर्ता अथवा संबंधित
शिक्षक के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र
(परीक्षा से दो सप्ताह पहले, क्षेत्रीय निदेशक को जमा किया जाए)

नाम : _____

परीक्षार्थी के साथ संबंध : _____

उपर्युक्त व्यक्ति सहायक के रूप में कार्य करेगा/करेंगी जिसमें परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी
को प्रेरित करना और परीक्षार्थी को उसका परीक्षा कक्ष ढूंढने में सहायता करना है।

परीक्षार्थी का नाम :

नामांकन सं. :

अध्ययन केंद्र का नाम :

अध्ययन केंद्र सं. :

परीक्षा का विषय एवं दिनांक :

1. _____

2. _____

3. _____

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने केंद्र अधीक्षकों के लिए एनआईओएस दिशा-निर्देशों (सिद्धांत परीक्षाओं के लिए)
का खंड 8.2.2 (ix) विवरणिका का अध्याय-6 पढ़ा है और उपर्युक्त द्वारा वर्णित व्यक्ति को सूचित और स्पष्ट भी किया
है।

संस्था के अध्ययन का नाम :

नाम

पदनाम

मोहर

चिकित्सा प्रमाणपत्र

दिनांक : _____ ओपीडी सं. _____

बच्चे का नाम : _____

जन्मतिथि : _____ आयु : _____ लिंग _____

पंजीकरण की तिथि: _____ एलडी नं. : _____

पिता का नाम : _____

माता का नाम : _____

विद्यालय का नाम : _____ जिस कक्षा में पढ़ रहा/रही है _____

मनोवैज्ञानिक आकलन : _____ तिथि _____

आईएससी मौखिक आईक्यू : _____ निष्पत्ति आईक्यू _____ वैश्विक आईक्यू _____

व्याख्या : _____

केबीआई निष्पत्ति आईक्यू : _____

शैक्षिक मूल्यांकन _____ तिथि : _____

डाइस्लेक्सिया, डायग्राफिया, डाइस्कैल्कूलिया, मंद शिक्षार्थी, बुद्धिगत अक्षमता, ऑटिस्टिक एडीएचडी

निदानात्मक : _____

संस्तुतियाँ

1. उपचारात्मक शिक्षा
2. एडीडी के लिए उपचार
3. प्रावधान
- क.
- ख.
- ग.
- घ.

डॉक्टर की मुहर सहित हस्ताक्षर

अधिक विवरण के लिए कृपया विवरणिका का अध्याय-6 केंद्र अधीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश (सिद्धांत परीक्षाओं के लिए) का अध्याय-8 पढ़ें :

अतिरिक्त समय का प्रावधान

- ◆ परीक्षा के प्रति घंटे के लिए अतिरिक्त 20 मिनट
- ◆ परीक्षा के हर घंटे में अधिकतम 10 मिनट का लघु अंतराल
- ◆ सीखने में अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के अतिरिक्त समय दिया जाए।

लेखक का प्रावधान

- ◆ ऐसे दुभाषियों की सेवाएं, जो हाथों की अक्रिया और बोलने और सुनने की बाध्यताओं वाले शिक्षार्थियों के संकेत भाषा सहित संप्रेषण समझा सकें।
- ◆ हाथ में चोट वाले शिक्षार्थियों के लिए लेखक/दुभाषिए की सेवा।
- ◆ सीखने में अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए लेखक/दुभाषिए की सेवा।
- ◆ अस्थायी अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए लेखक/दुभाषिए की सेवा।
- ◆ आरेख आदि खींचने की अनुमति जिन्होंने लेखक की सेवाएं लेनी चुनी हैं।
- ◆ अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों को किसी विषय विशेष की आवश्यकताओं, जब भी आवश्यकता हो रीडर की सेवा प्रदान की जाए।
- ◆ अस्थायी अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थी को परीक्षा के प्रत्येक सत्र का रु.100/- शुल्क देना होगा
- ◆ दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के लिए लेखक
- ◆ निर्देशों को समझने के लिए श्रवण बाधित शिक्षार्थियों की सहायता के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिये।
- ◆ सीखने में अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए लेखक की सेवाएं।

टिप्पणी : यदि आवश्यक हो तो शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए भिन्न लेखक चुनने की अनुमति दी जाए। शिक्षार्थी के स्पष्ट रूप से लिखना होगा उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

लेखक की व्यवस्था शिक्षार्थी भी कर सकता/सकती है और केंद्र अधीक्षक भी प्रदान कर सकता है।

प्रयोगशाला सहायक/रीडर केंद्र अधीक्षक द्वारा ही प्रदान किया जाए।

सहायक उपकरण

- ❖ यदि शिक्षार्थी चाहें तो सहायक उपकरणों सहित अपने कम्प्यूटर ला सकते हैं।
- ❖ वे अपने उत्तर लिखने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर (टेक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) ला सकते हैं।

- ❖ दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को ब्रेल टाइपराइटर अथवा कम्प्यूटर का प्रयोग करते हुए परीक्षा लिखने की अनुमति है। यद्यपि शिक्षार्थी स्वयं अपना ब्रेल टाइपराइटर लाएं। परीक्षा कक्ष में बोलते कैल्क्यूलेटर, अबैकस, टेलर फ्रेम और ड्राइंग किटर जैसे उपकरणों का प्रयोग करने की अनुमति क्षेत्रीय निदेशक से ली जाए।
- ❖ कम्प्यूटरों को माउस के बजाय ट्रेक बॉल, ऑगमेंटेड कम्प्यूनिंग बोर्डों (प्रदर्शनात्मक, विशद नहीं) जैसे संयोजनात्मक हार्डवेयरों के साथ प्रयोग करने की अनुमति।
- ❖ डायसकैल्कूलिया वाले शिक्षार्थी के लिए कैल्क्यूलेटर के प्रयोग की अनुमति। यद्यपि शिक्षार्थी अपने उपकरणों का प्रबंध स्वयं करें।
- ❖ बुद्धि संबंधी अक्षमता (मंद बुद्धि) वाले शिक्षार्थी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के विकल्प के रूप में परियोजना कार्य चुनने की अनुमति।
- ❖ विशिष्ट अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के मामले में परीक्षा कक्ष में संयोजित कुर्सी, मेज, बैड आदि का प्रयोग करने की अनुमति।
- ❖ जहाँ कहीं आवश्यक हो, जोर से पढ़ने के लिए प्रावधान।
- ❖ सीखने में अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने का प्रावधान।

टिप्पणी : शिक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करें जिससे उनके द्वारा परीक्षा में लाए गए सहायक उपकरणों की पूर्व जांच की जा सके।

शिक्षार्थी अपने सहायक उपकरण का स्वयं प्रबंध करें।

बैठने के प्रबंध और अन्य सहायता

- क) यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं तो व्हील चेयर प्रयोगकर्ता और चलने फिरने में बाधित शिक्षार्थियों को भूतल में परीक्षा लिखने का प्रावधान।
- ख) रैंप का प्रावधान।
- ग) आसानी से जाने योग्य शौचालय
- घ) विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक वाले एकल कक्ष का प्रावधान।

वैकल्पिक प्रश्नों का प्रावधान

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दृष्टिहीनता और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के लिए मानचित्रों को चिह्नित करने, लेबल करने, ज्यामितीय आकृतियों और आरेख/ग्राफ आदि बनाने के लिए।

निकट संबंधियों, देखभाल करने वालों अथवा संबंधित शिक्षक

- ❖ परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में देखभाल करने वाले की उपस्थिति के लिए अनुमति।
- ❖ देखभाल कर्ता को परीक्षा कक्ष तक पहुँचने और उसकी सीट खोजने में शिक्षार्थी की सहायता करने के लिए अनुमति।
- ❖ विशेष मामलों में निकट संबंधी, देखभाल कर्ता अथवा संबंधित शिक्षक केवल प्रेरणा और समर्थन के उद्देश्य से परीक्षा कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नोट :

- ✓ शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट खंडों से एक खंड से अधिक खंड चुन सकते हैं।
- ✓ वह शिक्षार्थी जो कुष्ठ रोग से मुक्त है, वह अतिरिक्त समय, लेखक, कम्प्यूटर, बैठने के प्रबंध के प्रावधानों और छूटों का लाभ लेने के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र अवश्य जमा करें।
- ✓ ऐसा कोई शिक्षार्थी जो अक्षम है और जो उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल नहीं होता/होती, वह परीक्षा के दौरान विशेष समन्वय प्राप्त करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से कम से कम चार सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से संपर्क करें।

उपस्थिति पत्रक के लिए प्रपत्र*

(अप्रैल/अक्टूबर 20..... माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

परीक्षा केन्द्र सं. _____ केंद्र का नाम _____

विषय	पर्चा	दिनांक
------	-------	--------

रोल नं.	शिक्षार्थी का नाम	उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या	शिक्षार्थी के हस्ताक्षर

निरीक्षक के हस्ताक्षर जिस पर एनआईओएस के केन्द्र अधीक्षक एवं ओएसडी के प्रतिहस्ताक्षर हों

टिप्पणी :

1. निरीक्षक द्वारा शिक्षार्थी के नमूना हस्ताक्षर को पहचान पत्र/प्रवेश कार्ड पर किए गए शिक्षार्थी के नमूना हस्ताक्षर से अवश्य सत्यापित करना होगा।
2. यदि शिक्षार्थी अनुपस्थित है, तो निरीक्षक शिक्षार्थी के हस्ताक्षर के कॉलम में लाल स्याही से 'अनुपस्थित' लिखें और उसके रोल नं. पर गोला बनाएं।

* केवल तभी प्रयोग किए जाएं यदि केन्द्र में कम्प्यूटीकृत उपस्थिति पत्रक प्राप्त नहीं हुए हैं।

बैठने की योजना का प्रपत्र
(प्रश्न पत्र के एकाधिक सेट का वितरण)

कक्ष सं. _____ तल _____

परीक्षा केन्द्र का नाम _____ केन्द्र का नाम _____

विषय _____ पेपर _____ दिनांक _____

प्रथम पंक्ति	द्वितीय पंक्ति	तृतीय पंक्ति	चतुर्थ पंक्ति
ए	बी	सी	ए
बी	सी	ए	बी
सी	ए	बी	सी
ए	बी	सी	ए
बी	सी	ए	बी
सी	ए	बी	सी
ए	बी	सी	ए
बी	सी	ए	बी
सी	ए	बी	सी
ए	बी	सी	ए
बी	सी	ए	बी

शिक्षार्थियों की संख्या : _____

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

ओएसडी द्वारा सत्यापित

‘यूएफएम मामलों’ के लिए प्रारूप (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक)

1. केन्द्र सं. _____ केन्द्र का नाम _____
2. रोल नं. _____ शिक्षार्थी का नाम _____
3. शिक्षार्थी का बयान रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।
4. विषय _____
5. घटना की तिथि और समय _____ दिनांक _____ समय _____
6. परीक्षा में प्रयोग किए गए अनुचित साधनों का माध्यम और वे परिस्थितियाँ जिनमें वह पकड़े गए _____
7. परीक्षार्थी से बरामद की गई सामग्री की प्रकृति अर्थात् सहायक पुस्तिका, खुले मुद्रित/हस्तलिखित कागज/बरामद किए गए पृष्ठों/खुले कागजों की संख्या भी लिखी जाए _____
8. नकल की सामग्री बरामद किए जाने का स्थान : उदाहरण के लिए पैट की जेब, कमीज की जेब, डेस्क के नीचे अथवा उत्तर पुस्तिका, जूतों/जुराबों आदि के अंदर _____
9. कोई अन्य जानकारी _____

शिक्षार्थी निरीक्षण दल के सदस्य
के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर

निरीक्षण दल के सदस्य
के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर

केन्द्र अधीक्षक/प्रभारी/
पर्यवेक्षक के साक्षी के
हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण

1. कृपया रिपोर्ट दो प्रतियों में बनाएं, एक प्रति शिक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न की जाए और अन्य प्रति उसी दिन आवश्यक कार्रवाई के लिए उप निदेशक (परीक्षा)/संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेज दी जाए।
2. यदि शिक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा गया है तो उत्तर पुस्तिका और नकल सामग्री में नकल किये गये भाग पर गोला बना दें और उसकी पृष्ठ सं. उत्तर पुस्तिका और नकल सामग्री के ऊपर लिख दें।
3. शिक्षार्थी का बयान रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।
4. शिक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका तुरंत जारी की जाएगी और शिक्षार्थी को भविष्य में आयोजित होने वाली किसी परीक्षा, यदि कोई हो तो, उसमें बैठने के लिए रोका नहीं जाएगा। यदि शिक्षार्थी दूसरी प्रति स्वीकार नहीं करता है तो कृपया यह तथ्य उपर्युक्त पैरा 6 में और शिक्षार्थी की पहली उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर लिखें।
5. एआई के परीक्षक/केन्द्र अधीक्षक/एआई के समन्वयक शिक्षार्थी का रोल नं., बरामद की गई सामग्री पर लिख दें और उसका संख्यांकन करने के बाद हस्ताक्षर करेंगे।
6. एआई के समन्वयक उत्तर पुस्तिका पर यूएफएम मामले के तथ्य और संक्षिप्त विवरण लिख लें।

पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन का प्रपत्र

संदर्भ सं. _____

दिनांक _____

स्टेशन हाउस अधिकारी

विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की परीक्षा में रोल नं. _____
द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग

प्रिय महोदय,

(नाम) _____ रोल नं. _____ द्वारा राष्ट्रीय मुक्त
विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा हमारे केन्द्र में आयोजित की जा रही माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में आज
(दिन) _____ तिथि _____ विषय _____
में बैठ रहा/रही है।

इस शिक्षार्थी ने अनुचित साधनों की सहायता ली है जिसका विवरण निम्नवत है :-

- क) निरीक्षक/अधोहस्ताक्षरी के साथ दुर्व्यवहार;
 - ख) उत्तर पुस्तिका को फाड़ना और परीक्षा केन्द्र से भाग जाना;
 - ग) उत्तर पुस्तिका जमा न कराना और उत्तर पुस्तिका लेकर भाग जाना;
 - घ) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा देने की अनुमति देना।
- आप से निवेदन है कि कृपया इस मामले को देखें और विधि अनुसार कार्रवाई करें।

भवदीय,

नाम : _____

पदनाम : _____

पता : _____

परीक्षा केन्द्र सं. _____

शिक्षार्थी का अन्य विवरण इस प्रकार है :-

नाम _____

पुत्र/पुत्री श्री _____

पता _____

अनुचित साधनों के अग्रेषण के लिए प्रपत्र

(अप्रैल/अक्टूबर 20____ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

1. शिक्षार्थी का नाम _____
2. रोल नंबर _____
3. परीक्षा _____ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक _____
4. तिथि _____
5. विषय और पेपर _____
6. घटना का समय _____
7. परिस्थितियां जिनमें शिक्षार्थी को पकड़ा/पकड़ी गया/गयी _____
8. बरामद की गई अनुचित सामग्री _____
9. क्या शिक्षार्थी का बयान प्राप्त किया गया? हाँ/नहीं _____
10. क्या उत्तर पुस्तिका की दूसरी प्रति दी गई थी? हाँ/नहीं _____
11. क्या परीक्षक का बयान प्राप्त किया गया? हाँ/नहीं _____
12. केन्द्र अधीक्षक/एआई के समन्वयक की टिप्पणी

केन्द्र अधीक्षक/एआई के समन्वयक की मोहर

दिनांक : _____ केन्द्र अधीक्षक/एआई के समन्वयक का नाम _____

परीक्षा केन्द्र सं. _____ पता _____

संलग्नक :

1. उत्तर पुस्तिका की पहली/दूसरी प्रतियाँ _____
2. परीक्षार्थी का बयान _____ संलग्न/संलग्न नहीं _____
3. परीक्षक का बयान _____ संलग्न/संलग्न नहीं _____
4. बरामद की गई अनुचित सामान/सामग्री पृष्ठ _____
5. संलग्नक-2 के अनुसार यूएफएम का भरा गया प्रारूप
(नोट : प्रत्येक मामले के लिए अलग प्रोफार्मा का प्रयोग करें)

अनुपस्थित शिक्षार्थियों के विवरण का नमूना
(अप्रैल/अक्टूबर 20_____ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

केन्द्र/एआई का नाम _____ परीक्षा केन्द्र संख्या _____ दिनांक : _____

1. पूर्ण रूप से अनुपस्थित शिक्षार्थियों के रोल नंबरों का विवरण _____

2. आंशिक रूप से अनुपस्थित मामलों का विवरण

क्रम सं.	रोल नं.	विषय

3. अनुचित साधनों के मामलों का विवरण

क्रम सं.	रोल नं.	विषय

4. परीक्षा में बैठे स्थानांतरण मामलों का विवरण

क्रम सं.	रोल नं.	जिन विषयों की परीक्षा दी	केन्द्र सं. से स्थानांतरण	
			केन्द्र सं. से	केन्द्र सं. को

5. शिक्षार्थियों द्वारा परिवर्तित विषयों का विवरण

क्रम सं.	रोल नं.	परिवर्तित विषय	
		से	परिवर्तित

एनआईओएस के ओएसडी के हस्ताक्षर

केन्द्र अधीक्षक/एआई के समन्वयक के हस्ताक्षर
(रबड़ की मोहर सहित)

नोट : इसे परीक्षा समाप्त होने के बाद ही केन्द्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित उपस्थिति पत्रों के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को लौटा दिया जाए। इसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए अलग से तैयार किया जाए।

प्रयोग न की गई और प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण का प्रपत्र

1. प्राप्त रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या _____
2. क्रम संख्या _____ से _____ तक
3. प्रयोग न की गई उत्तर पुस्तिकाओं की तिथि वार स्थिति माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक

[illegible]

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर
केन्द्र अधीक्षक का नाम

उत्तर पुस्तिकाओं का अग्रेषण करते हुए सील की छाप
का प्रोफॉर्मा
माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

परीक्षा केन्द्र सं. _____

केन्द्र का नाम _____

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम : _____

केन्द्र का पता : _____

नोट : यदि सील में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तुरन्त एनआईओएस/संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों को दी जाए।

डाक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण का समेकित रिकॉर्ड

(अप्रैल/अक्तूबर, 20..... माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

अप्रैल/अक्टूबर _____ परीक्षा

परीक्षा केन्द्र संख्या _____ परीक्षा केन्द्र का नाम _____

डाक खाना का पता जहाँ से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत बीमाकृत पार्सल भेजा जा रहा है।

[illegible]

परीक्षा केन्द्र सं. _____

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर
और मोहर

**परीक्षा का तिथिवार और विषयवार समेकित
विवरण के लिए प्रपत्र**

परीक्षा केन्द्र संख्या _____ स्तर : उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक _____

केन्द्र का नाम और पता _____

तिथि	विषय एवं कोर्ड	शिक्षार्थियों की संख्या (माध्यम सहित)		यूएफएम का प्रयोग करते हुए पाए गए शिक्षार्थियों की संख्या	नियुक्त किए गए परीक्षक/ निरीक्षकों की संख्या	पर्यवेक्षकों/ जाँच दल द्वारा किए गए दौर	टिप्पणी
		आबटित	बैठे				
1	2	3	4	5	6	7	8

- नोट : 1. यदि आपके केन्द्र पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों स्तर के शिक्षार्थी हैं, तो प्रत्येक स्तर के लिए अलग विवरण तैयार किया जाएगा।
2. दो प्रतियाँ तैयार की जाएँ, एक प्रति क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाए, और दूसरी प्रति केन्द्र अधीक्षक द्वारा रखी जाए।

_____ द्वारा तैयार किया गया

_____ द्वारा जाँच की गई
केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर _____
मोहर सहित

**परीक्षा केंद्र के खर्च के लिए समेकित बिल
(केंद्र अधीक्षक द्वारा भरा जाए)**

(अप्रैल/अक्टूबर, 20..... माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

1. परीक्षा _____ परीक्षा केंद्र संख्या _____
2. केंद्र अधीक्षक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) एवं पता _____
3. केंद्र अधीक्षक का पदनाम _____
4. परीक्षा के आयोजन के बाद पत्राचार के लिए केंद्र अधीक्षक का स्थायी पता _____
5. परीक्षा के लिए पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या _____
6. परीक्षा केंद्र के खर्च के लिए दावे का विवरण

विवरण	परीक्षा केंद्र द्वारा दावित राशि/रु.	एनआईओएस द्वारा स्वीकृत राशि
(क) केंद्र अधीक्षक का मानदेय (बिल प्रोफार्मा-2)	_____	_____
(ख) उप अधीक्षक का मानदेय (बिल प्रोफार्मा-3)	_____	_____
(ग) निरीक्षकों का मानदेय (बिल प्रोफार्मा-4)	_____	_____
(घ) लिपिकीय एवं वर्ग IV के कर्मियों का मानदेय (बिल प्रोफार्मा-5)	_____	_____
(ङ) बैठने के प्रबंध संबंधी फर्नीचर खर्च (बिल प्रोफार्मा-6)	_____	_____
(च) आकस्मिक खर्च (बिल प्रोफार्मा-7)	_____	_____
(छ) प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए लाने, ले जाने और मानदेय का खर्च (बिल प्रोफार्मा-8)	_____	_____
(ज) प्रश्न पत्र की निगरानी करने वाले को दिया गया खर्च (रसीद की मूल प्रति संलग्न करें)	_____	_____
(झ) डाक व्यय	_____	_____
(ञ) भुगतान के लिए बैंक विवरण (विद्यालय के बैंक का विवरण)		
i) परीक्षा केंद्र/संस्थान की खाता संख्या	_____	_____
ii) बैंक का नाम और पता	_____	_____
iii) बैंक का आईएफसी कोड	_____	_____
कुल =	_____	_____
अग्रिम घटाकर =	_____	_____
दावा की गई निवल राशि =	_____	_____

(केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं मोहर)

(एनआईओएस कार्यालय के प्रयोग के लिए)

दावा की गई कुल राशि = _____ घटा : भुगतान की गई अग्रिम राशि _____

घटा : कटौती (यदि कोई हो तो) _____

श्री _____ को कुल देय राशि _____

लेखा अधिकारी

‘केन्द्र अधीक्षक के लिए मानदेय बिल’

1. परीक्षा का नाम : माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक
2. परीक्षा केन्द्र की संख्या एवं नाम : _____
3. एनआईओएस परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए _____ दिनों का मानदेय
750/- रुपये प्रति सत्र की दर पर रुपये _____
4. परीक्षाओं के दौरान कार्य का विवरण

क्रम सं.	परीक्षा की तिथि	विषय एवं पेपर	टिप्पणी
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक : _____

डाक का पता _____

(कार्यालयी प्रयोग के लिए)

‘उप केन्द्र अधीक्षक के लिए मानदेय बिल’

1. परीक्षा का नाम : माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक
2. परीक्षा केन्द्र की संख्या एवं नाम : _____
3. एनआईओएस परीक्षा के उप केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए _____ दिनों का मानदेय 600/- रुपये प्रति सत्र की दर पर रुपये _____
4. परीक्षाओं के दौरान कार्य का विवरण

क्रम सं.	परीक्षा की तिथि	विषय एवं पेपर	टिप्पणी
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

उप केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक : _____

डाक का पता _____

(कार्यालयी प्रयोग के लिए)

निरीक्षकों के लिए मानदेय बिल
माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक परीक्षा

1. परीक्षा का नाम : _____
2. परीक्षा केन्द्र की संख्या एवं नाम : _____

क्र.सं.	निरीक्षक का नाम	कार्य की तिथियां	दिनों की संख्या	दी गई राशि (500 रु. प्रति दिन की दर पर)	निरीक्षक के हस्ताक्षर

भुगतान की गई कुल राशि _____

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर _____

परीक्षा केन्द्र संख्या _____

कार्यालयी मोहर _____

(कृपया पीछे दिया गया मुद्रित विवरण भरें)

तिथि	शिक्षार्थियों की संख्या	निरीक्षकों की संख्या	कमरों की संख्या	विषय एवं पेपर	टिप्पणी

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर _____

अप्रैल/अक्तूबर, 20..... माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए
लिपिकीय एवं वर्ग- IV कर्मचारियों' के लिए बिल
(केन्द्र अधीक्षक द्वारा भरा जाए)

1. केन्द्र का नाम _____ परीक्षा केन्द्र संख्या _____
2. केन्द्र अधीक्षक का नाम _____
3. परीक्षा का नाम : _____ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक _____ में आयोजित

क्र.सं.	तैनात कर्मियों के नाम	पदनाम	दिनों की संख्या	दर	दी गई राशि	हस्ताक्षर
	लिपिकीय कर्मी			300/- रुपए प्रति सत्र		
1.						
2.						
3.						
4.						
	वर्ग- IV कर्मी चपरासी/सफाईकमी/ पानी पिलाने वाले			225/- रुपए प्रति सत्र		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर)

केन्द्र सं.
कार्यालयी मोहर

बैठने के प्रबंध और फर्नीचर खर्च के लिए बिल

1. परीक्षा का नाम माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/व्यावसायिक _____
2. परीक्षा केन्द्र संख्या _____
3. केन्द्र अधीक्षक का नाम _____
4. केन्द्र का नाम _____

परीक्षा की तिथि/माह				
कुल				
प्रतिदिन पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या				
कुल				
				कुल योग

5. आवंटित शिक्षार्थियों की संख्या (व्यक्तिगत) (विषयवार अथवा सामूहिक गणना न की जाए)

दावा की गई कुल राशि

6. फर्नीचर का खर्च

दावा की गई राशि = आवंटित शिक्षार्थियों की सं. _____ × रु. 50.00 = रु. _____

कुल योग : = रु. _____

(केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मोहर _____

नोट :

1. बैठने का प्रबंध नियमानुसार प्रत्येक सत्र में परीक्षा के आरंभ होने से पहले सूचना बोर्ड पर दर्शाए गए बैठने के प्रबंध के अनुसार ही होना चाहिए। कृपया प्रत्येक कक्ष के लिए परीक्षा के प्रतिदिन की बैठने की योजना की प्रतियाँ संलग्न करें।
2. किराए पर लिए गए फर्नीचर का विवरण और केन्द्र से ही प्रयोग किए गए फर्नीचर का विवरण संलग्न करें।

आकस्मिक व्यय के लिए बिल

(अप्रैल/अक्टूबर, 20..... माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)

1. परीक्षा केन्द्र संख्या _____
 2. केन्द्र का नाम _____
 3. केन्द्र अधीक्षक का नाम _____
 4. आबंटित शिक्षार्थियों की संख्या _____
 5. परीक्षा का नाम माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक _____
 6. आकस्मिक व्यय दर रु. 8.00 × (आबंटित शिक्षार्थियों की सं.) = रु. _____ (संख्या)
 7. *पैकिंग के लिए कपड़ा रु. _____ की नकद रसीद द्वारा खरीदा गया _____
(नकद रसीद सं. _____ दिनांक _____ के _____ से)
- कुल रु. _____

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावा की गई राशि प्रत्येक के समक्ष दिए गए उद्देश्य के लिए वास्तव में खर्च की गई और परीक्षा के आयोजन में ये वस्तुएँ पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से उपयोग की गई और शेष (यदि कोई हो तो) इसके साथ दर्शायी गयी हैं। (कृपया नीचे निर्देश पढ़ें)

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

(कार्यालय की मोहर)

* केवल दिल्ली से बाहर के केन्द्रों के लिए

निर्देश

1. केन्द्र अधीक्षक आवश्यक वस्तुएँ जैसे साधारण और कपड़ा लगे लिफाफे, सुतली, माचिस, मोमबती, प्लास्टिक की रस्सी, धागे की लच्छियाँ, धागे, सुई, सील करने की वैक्स, सेलोटैप्स, गोंद, पेंसिलें, पैक करने का कागज पार्सल स्याही और अन्य प्रेषण सामग्री आदि जिसके लिए आबंटित आकस्मिक खर्च का भुगतान रु. 8.00 प्रति शिक्षार्थी की दर पर एक मुश्त किया जाएगा, बशर्ते प्रत्येक केन्द्र के लिए अधिकतम राशि रु. 1000/- हो। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थियों वाले परीक्षा केन्द्र को केवल एक केन्द्र जाना जाएगा।
2. दिल्ली से बाहर के केन्द्रों के लिए उपर्युक्त पैकिंग के कपड़े और डाक खर्च का मूल्य देय होगा।

आने जाने के खर्च और मानदेय का दावा करने के लिए बिल (प्रश्न पत्रों के संकलन/उत्तर पुस्तिकाओं के जमा करने के लिए)

1. परीक्षा केन्द्र संख्या _____
2. केन्द्र अधीक्षक का नाम _____
3. बैंक से परीक्षा केन्द्र की दूरी _____
4. डाकघर से परीक्षा केन्द्र की दूरी _____
5. बैंक से प्रश्न पत्रों को एकत्र कराने के लिए आने जाने का खर्च
 - (i) _____ दिन/दिनों के लिए मानदेय रु. 100/- प्रति दिन की दर पर : रुपए _____
 - (ii) _____ दिन/दिनों के लिए मानदेय रु. 150/200 प्रति दिन की दर पर : रुपए _____

(आगे की यात्रा के लिए)

- (iii) _____ बैंक से परीक्षा केन्द्र तक की वापसी यात्रा के लिए आने-जाने का खर्च
(वास्तविक टैक्सी का खर्च) रुपए _____

उप योग राशि : रुपए _____
6. उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करने/स्टेशनरी वापस करने के लिए आने जाने का खर्च
 - (i) _____ दिनों के लिए आटो का खर्च (वास्तविक)
परीक्षा केन्द्र से केन्द्र/डाक खाते में जमा करना : रुपए _____
 - (ii) _____ दिनों के लिए वापसी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च : रुपए _____

उप योग राशि : रुपए _____
7. आने जाने के खर्च के लिए दावा की गई कुल राशि : रुपए _____

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर
(कार्यालयी मोहर के साथ)

प्रश्न पत्रों के संरक्षक के लिए भंडारण प्रभार हेतु पावती

(परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रों के संरक्षक को केन्द्र अग्रिम से भुगतान किया जाए)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र _____
 _____ की मार्च-अप्रैल/अक्टूबर-नवंबर की माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक/
 व्यावसायिक की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के भंडारण हेतु नीचे दिए अनुसार धनराशि प्राप्त हुई :

प्राप्त रु. _____ (शब्दों में _____) (नकद / चेक)

दिनांक _____ बैंक _____

(केन्द्र अधीक्षक का नाम) _____

(परीक्षा केन्द्र का नाम) _____ केन्द्र सं _____

दिनांक: _____

बैंक की मोहर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर _____

प्राप्तकर्ता का नाम _____

पदनाम _____

बैंक का नाम _____

शाखा का पता _____

संपर्क नंबर _____

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

क्षेत्रीय और प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में शामिल राज्य

क्षेत्र का नाम	पता	राज्य
1. बेंगलुरु	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक कार्यालय (व्यावसायिक शिक्षा), तीसरी मंजिल, पीयूई भवन, 18वां क्रॉस सेमपिज रोड, मालेश्वरम, बेंगलुरु- 560012, कर्नाटक फोन: 23464223, ईमेल: rcbengaluru@nios.ac.in	कर्नाटक
2. भोपाल	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मानस भवन, श्यामला हिल, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश फोन: 0755-2661842, 2660331 ई-मेल: rcbhopal@nios.ac.in	मध्य प्रदेश
3. भुवनेश्वर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, ईएलटीआई, कैम्पस, मैत्री विहार, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर - 751023 फोन: 0674-2302688, ई-मेल: rcbbbsr@nios.ac.in	उड़ीसा
4. चंडीगढ़	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, वाईएमसीए कॉम्प्लेक्स सेक्टर-11सी, चंडीगढ़-160011 फोन : (का) 0172-2744915, 3950979 ई-मेल: rcchandigarh@nios.ac.in; nosrcchd@eth.net	हरियाणा (गुडगांव, फरीदाबाद, झज्जर और पलवल जिलों को छोड़कर), पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश
5. चेन्नई	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, लेडी विलिंगटन कैम्पस, कामराजर सलाई, ट्रिपलीकैन, चेन्नई-600005 फोन: 044-28442237 ई-मेल: rcchennai@nios.ac.in	तमिलनाडु, पांडिचेरी
6. दिल्ली	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) फोन : (का) 0120-2404914-15 ई-मेल: rcdelhi@nios.ac.in	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा इसके उ.प्र. एवं हरियाणा के नजदीकी जिले जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा), गाज़ियाबाद, गुडगाँव, फरीदाबाद, झज्जर और पलवल।
7. देहरादून	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, बी.एस.एन.एल. टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, टर्नर रोड, आईएसबीटी के पास, क्लीमेंट टॉउन, देहरादून-248002, फोन: 0135-2532566, 2532592 ई-मेल: rcdehradun@nios.ac.in	उत्तराखंड, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, संभल, शामली, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तथा जे.पी. नगर (अमरोहा) और उत्तर प्रदेश के जिले
8. गांधीनगर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डी विंग, सातवां तल, सेक्टर-11, पथिका आश्रम के पास, गांधीनगर-382011, फोन: 079-23220410 ई-मेल: rcgandhinagar@nios.ac.in	गुजरात

9. गंगटोक	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, ओल्ड ब्याँज हॉस्टल, एसएनटी कॉलोनी, दारागांव, गंगटोक सिक्किम-737102 फोन : 03592-291089 ई-मेल: rcgangtok@nios.ac.in	सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी और दार्जिलिंग जिले
10. गुवाहाटी	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, असम प्रकाशन बोर्ड का भवन, (असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास) प्रथम तल, बामुनी मैदान, गुवाहाटी-781021 (आसाम) फोन : 0361-2650541 2340497 ई-मेल: rcguwahati@nios.ac.in; nosghy1@sancharnet.in	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
11. हैदराबाद	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, IV तल, श्रीकृष्ण देवराय, तेलुगू भाजा निलयम, ट्रस्ट नं. 4-4-8, 2, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 फोन : 040-24162859;	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
12. जयपुर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, श्री कृष्णम 5-6, पदमावती कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान) -302006 फोन : (का) 0141-2812418, ई-मेल: rcjaipur@nios.ac.in	राजस्थान
13. जम्मू	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र मकान नं. 187, पी/बी, सेक्टर-1 त्रिकूट नगर, जम्मू-180020 ई-मेल: rcjammu@nios.ac.in	जम्मू एवं कश्मीर लेह और लद्दाख
14. कोची	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, 6वीं मंजिल, केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग पनामपिल्ली नगर, कोची- 682036, फोन : (का) 0484-2310032, मो. 9746888988 ई-मेल: rckochi@nios.ac.in	केरल एवं लक्षद्वीप
15. कोलकाता	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, सीएल-18ए, सेक्टर-2, साल्ट लेक सिटी (सी.के. बाजार), टैन्क नं. 9, करुणामयी बस स्टैंड के पास, कोलकाता-700 091 (पश्चिमी बंगाल) फोन : (का) 033-24797714; ई-मेल: rckolkata@nios.ac.in	पश्चिमी बंगाल (सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग को छोड़कर) और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
16. प्रयागराज	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, 19/17, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कचहरी रोड, प्रयागराज-211002 (उत्तर प्रदेश), फोन : (का) 0532-2548154; ई-मेल: rcallahabad@nios.ac.in	उत्तर प्रदेश

क्षेत्र का नाम	पता	राज्य
17. पटना	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना - 800001, बिहार फोन : (O) 0612-2545051, 0612-2545470 ई-मेल: rcpatna@nios.ac.in	बिहार
18. पुणे	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2 जेपी नाइक रोड, श्री निकेतन सोसायटी (सोलारिस क्लब के पास), कोथरूद, पुणे - 411029 (महाराष्ट्र) फोन : (का) 020-25444667, 25439763; ई-मेल: rcpune@nios.ac.in	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव दादर एवं नागर हवेली
19. रायपुर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, बी.टी.आई, ग्राउंड, डाइट परिसर, शंकर नगर, रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़ फोन: (O) 0771-2442147, 2442167 ई-मेल: chhatisgarh@nios.ac.in	छत्तीसगढ़
20. रांची	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, पुरानी बी.एड. बिल्डिंग, भूतल, जिला स्कूल परिसर, शहीद चौक के पास, रांची - 834001 ई-मेल: rcranchi@nios.ac.in	झारखंड
एनआईओएस सैल		
21. दरभंगा	एनआईओएस प्रकोष्ठ दरभंगा मोहल्ला कादिराबाद, बस अड्डे के पास (पशुपालन विभाग के पश्चिम) चूड़ी बाजार के पास, जिला दरभंगा (बिहार), फोन : 0627-2250628	
22. शिलांग	एनआईओएस सैल शिलांग क्षेत्रीय केन्द्र, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग केम्पस (डी.ई.आर.टी.), लेथुमखर्म, शिलांग, मेघालय-793001 ई-मेल : trilokes@gmail.com	मेघालय
23. पोर्ट ब्लेयर	उप-क्षेत्रीय सेल पोर्ट ब्लेयर निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन शिक्षा सदन अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर

टिप्पणियाँ

1. प्रावधानों, व्यवहारों और नियमों की व्याख्या में उत्पन्न संदेह की स्थिति में अध्यक्ष, एनआईओएस का निर्णय अंतिम होगा।
2. एनआईओएस के पास इन नियमों में संशोधन, सुधार अथवा परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है और अधिसूचना द्वारा इन्हें प्रभाव में लाया जाएगा। एक बार अधिसूचित होने पर, इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश, शनिवार, रविवार होगा तो इसके लिए अगले कार्य दिवस को स्वतः ही अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा।
4. इन प्रावधानों, व्यवहारों और नियमों अथवा इनसे उत्पन्न मामलों के अनुपालन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उ.प्र. के न्यायालयों में निपटाए जाएंगे।
5. यद्यपि प्रत्येक स्तर पर सही जानकारी के मुद्रण का पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी विवरणिका के मुद्रण एवं प्रकाशन के दौरान अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए एनआईओएस उत्तरदायी नहीं होगा।



IMPORTANT CHECK POINTS

The National Institute of Open Schooling conducts two full-fledged Public Examinations every year. Conduct of Examination is a very important activity in which all constituents of NIOS contribute i.e. Headquarters, Regional Centres or Accredited Institutions. The Centre Superintendent/Deputy Superintendent takes all precautions to ensure smooth and fair conduct of examination at the Examination Centre. However, there is need to check all the details before the commencement of Examination. For the sake of uniformity, NIOS has laid down detailed Guidelines for Centre Superintendents for Theory Examinations. Before moving on to various aspects of the conduct of examination, important instructions/points which have to be strictly adhered to, **All persons concerned with examinations should read the Guidelines for Centre Superintendents carefully before the commencement of examination.**

1.1 BEFORE THE EXAMINATION

1.1.1 Ensuring Receipt of Question Papers in Bank

- i. Ensure receipt of the Question Paper Packets by the bank well in advance. In case of non-receipt of the packets at least 10 days before the commencement of Examination, please inform the Director (Evaluation) telephonically or through e-mail, otherwise it will be presumed that the packets have been received by the bank and checked by the Centre Superintendent.
- ii. The sealed Question Papers packets should be arranged date-wise as per the date-sheet and kept under safe custody of the Bank. Ensure that number of Question Papers (Subject-wise) mentioned in the outer sticker of the parcel met the actual requirement of the particular day of examination.

1.1.2 Facilities for the learners

- i. Display date-sheets and Instructions for the Learners as given in Chapter-2 (2.3) of this booklet, outside the Examination Hall. Also, assist the learners with disabilities to avail the facilities accorded and to access the examination hall.
- ii. Purchase sufficient quantity of Log Tables well in advance and make available the same for use of learners in Mathematics, Physics and Chemistry examinations. These should be used in the subsequent examinations of National Institute of Open Schooling.
- iii. Please notify that only one Answer Book containing 32 pages will be issued to the

learner in a subject. No additional Answer Book shall be issued and the learner has to complete the answer of a subject in one Answer Book only.

1.1.3 Receiving of question paper from bank

- i. Ensure receipt of Packet(s) of Question Papers well in time for the day and open the same which is/are meant for that particular day.
- ii. Ensure the availability of requisite number of Question Papers well in advance of the actual examination by verifying with the list of learners and Question Papers received in the Bank.

1.1.4 Appointment of Invigilators

- i. The invigilators should invariably be appointed from the teaching staff. The details like Educational qualification, designation etc. of invigilators, who are not from the staff of the School should be kept in a register along with details of teaching staff appointed from School.
- ii. Every invigilator is required to sign in the attendance register, the time of arrival and departure in a register to be specially maintained by the Centre Superintendent. All the invigilators on duty must carry Identity Card issued by the school.
- iii. For every centre having learners with disabilities, one invigilator should be well versed with the needs of learners with disabilities.

1.1.5 Eligibility of the learners to appear in Examination

- i. Only those learners, whose names appear in the list of eligible learners and subject wise attendance sheet of examinees supplied by the NIOS or those who have got written permission from the Regional Centres/ National Institute of Open Schooling Headquarters, be allowed to appear for examinations at examination Centre. Please do not allow any other person to appear in the examinations.
- ii. If any learner approached the allotted Examination Centre with Intimation Card of the current examination showing eligible subjects and dates, he/she may be allowed even if his/her name is omitted from the list of learners due to some error after verifying the details of intimation letter from NIOS website and the concerned subject from his/her Identity Card on provisional basis and after obtaining an undertaking subject to his/her being eligible otherwise.

1.2 DURING THE EXAMINATION

1.2.1 Checking the Learners before Entry in the Examination Hall

- i. Frisking of the learners should be undertaken thoroughly at the entrance gate itself before the learners are allowed to enter the examination hall.
- ii. Do not permit the learners to bring books, papers or reference material of any kind in connection with the examination into the Examination Hall/Room.

- iii. Ensure that no learner brings any electronic equipment like Calculators, Tape Recorders, Cellular Phones, Pager, Ear Phone, Bluetooth etc. in the examination hall/room. However, in the case of learners with disabilities, refer instructions given in Chapter 8.
- iv. However, the learners are permitted to bring the drawing instruments and pencils or templates for drawing outline maps for Physics, Chemistry and Geography examination.

1.2.2 Handling of Question Papers

- i. Distribute the Question Papers at the precise time of commencement of Examination given in the date-sheet. In case, due to some unforeseen circumstances, there is delay in the commencement of examination at the scheduled time, the time so lost in the process must be compensated and a certificate to this effect should be communicated to the Regional Centre concerned as well as to the Director (Evaluation), NIOS on the same day.
- ii. For blind learners, there will be alternative questions in the subjects of Social Science and Mathematics of Secondary Examination and History of Senior Secondary Examination in lieu of questions of maps/diagrams. In such cases, on the top of the Answer Script, the words "THE BLIND LEARNER" must be written.

1.2.3 Handling of Attendance Sheets

- i. For Attendance Sheet, Centre Superintendent has to log in to www.exams.nios.ac.in and using Centre Supdt. id password, download the attendance sheets and nominal roll. Sample of the Attendance Sheet proforma is given in Annexure-I.
- ii. Ensure that Attendance Sheets are correctly filled in and signed by the learners daily also ensure that Answer Book number mentioned by the learner.
- iii. Encircle the Roll Numbers of absent learners with Red Ink and mark them ABSENT in place of their signatures in Attendance Sheets.
- iv. Mark 'UFM' in case of learners who have been booked under use of unfair means.
- v. Add the names of additional/authorized learners such as centre change cases (permitted by Regional Centre/NIOS Headquarters) on the computerized attendance sheet for obtaining their signatures.
- vi. Ensure that the Attendance Sheets bear the signatures with rubber stamp of the Centre Superintendent and OSD (Observer) appointed by RC (NIOS) before these are sent to the Regional Centres concerned on the same day of the examination along with the packets of Answer Books. Retain a copy of attendance sheet for Centre Supdt. record.
- vii. The downloaded nominal roll provided by the NIOS website must also be used for obtaining the attendance of learner daily. As soon as all the examinations are over, the same be sent to the Regional Centre concerned for record.

1.2.4 Handling of Answer Books

- i. Please affix facsimile stamp of the signature of the Centre Superintendent with Centre No. on the OMR Sheet of the Answer Books at the appropriate place before these are issued to the learners. Under no circumstances, address stamp of the Centre should be used on the answer books and the signature of the Centre Superintendent should not be put outside the specifies area.
- ii. Instruct the learners not to write his/her name, roll no. or make any distinguishable sign or mark anywhere in the Answer Book/Graph/Map except at the places specified for the purpose.
- iii. Maintain a proper account of all the used and unused Answer Books (as in **Annexure-7**) and send a copy of the same duly verified by the OSD (Observer) of NIOS along with the Attendance Sheets and sealed answer books daily. One copy may be retained by the Centre Superintendent in his records which would be open for Inspection and for physical verification of unused answer books by OSDs, Observers or Flying Squad Members or any other person deputed by NIOS.

1.2.5 Handling of Unfair Means (UFMs) Cases

Please ensure that the unfair means cases detected during the course of examination are properly recorded and packed in a separate envelope and sent to the Regional Centre concerned with requisite statements and documents as per procedure laid down in **Chapter-6**. The copying material found with each of the cases should also be enclosed. Please send this packet along with the packet containing the Answer Books for that day.

1.2.6 General Arrangements

- i. Give a bell sound after completion of each hour during the examination. One bell sound should also be given 10 minutes before completion of the paper and long/final bell at the end. The Invigilators should communicate these indications to the learners before commencement of examinations. However, learners with disabilities may require individualized indications in this regard.
- ii. Centre Superintendent should be careful about making arrangements for toilets for the use of learners including learners with disabilities. A commode and pot might be placed at a suitable place surrounded by kanats near the Examination Hall, in case there is no pakka latrine or a urinal nearby. Separate toilets are required for boys and girls. Accessible toilets and human assistance may also be required for learners with disabilities.
- iii. Ensure proper police arrangement at the Centre. Please inform the Local Police Station in advance for deployment of Police at the centre.
- iv. Allow the Observers/Members of Surprise Visit Team appointed by the NIOS/ Regional Centre to inspect the records and the Examination Halls/rooms after ensuring that the visiting team is having proper authority letter from their Regional Director/ Director (Evaluation), NIOS.

1.3 SEATING ARRANGEMENT

- i. A day before the commencement of the examination, the Centre Superintendent shall ensure that satisfactory seating arrangements for the examination have been made. He/ She shall particularly see that the learners are seated in such a way that they are not able to communicate with each other **i.e. whenever a two-seat desk is used, only one learner should be seated and in case of availability of four-seat desk, only two learners should be seated on it.**
- ii. Seating arrangement for learners with disabilities should preferably be done on the ground floor and easy access to the places such as ramps, lifts, grab bars etc. must be ensured.
- iii. Some learners with disabilities also need to be seated alone and may require adapted furniture as per their specific needs (refer to Chapter-8).
- iv. The Centre Superintendent shall prepare a seating plan of Examination Hall and/or rooms showing the order of seats allotted to learners and the direction in which the learners sit as per Annexure-II and shall send a copy of the seating plan for each session to the NIOS Regional Centres along with the bundle of answer books. Please keep in mind that the vertical row should contain the seats No. 7, 10, 13, 16, 19 and so on.
- v. A slip giving the Roll Number of each learner should be pasted or the Roll No. should be written with chalk on each desk/table, so that the learner has no difficulty in finding out his allotted seat. Learners must be seated sufficiently apart to prevent collusion/contact.
- vi. In the seating plan for each room, learner who is absent be encircled with RED ink indicating ABSENT.

1.4 DISPATCH OF ANSWER BOOKS

- i. The Answer Books, Attendance Sheets, and other related materials pertaining to Theory Examination in a particular day of examination will be dispatched to the concerned Regional Centre or to specified places as per direction from the NIOS on the same day, and as per instructions in **Chapter-7** of Guidelines.
- ii. With regard to learners with disabilities to be taken from Chapter-8.
- iii. A hard board sheet may be placed both at the top and bottom of the answer books inserted the cloth cover of a packet to protect the OMR sheet not to be damaged.

1.5 PRACTICAL EXAMINATION

- i. The Practical Examination will be conducted at the respective study centre i.e. Accredited Institution (AI).
- ii. The Practical examination for each Vocational subject under academic stream will be conducted at the respective Study Centre/ Accredited Vocational Institution (AVI). The learners may approach their Study Centres for details of Practical Examination Centre.
- iii. Reasonable accommodations may be ensured for learners with disabilities.

1.6 SENDING OF ABSENTEE RECORDS ONLINE.

The Centre Superintendent is to record and submit the absentee records of a particular day of examination online on the same day after the examination are over.



INSTRUCTIONS FOR LEARNERS AND CENTRE SUPERINTENDENTS

2.1 THE LEARNER SHOULD BRING THE FOLLOWING FOR APPEARING IN THE EXAMINATION

- (i) *Intimation Letter or special permission issued by the NIOS HQ/Regional Centre can be downloaded.*
- (ii) *Valid Identity card issued by NIOS.* If Admission card/Identity card of the learner is lost, duplicate copy of the same should be downloaded from the learners dashboard after applying through e-services before appearing in the examination.
- (iii) *Pen, pencil, ink and other stationery items required to be used by the Learners for the examination.* Only royal blue or blue black ink is to be used, except that red ink may be used for writing heading in the answers. No other ink is permissible. Ball point pens are also allowed.

Electronic equipments like calculators, tape recorders, mobile phones, pagers, Ear Phone, Bluetooth, Smart Watches etc. are not allowed in the Examination Hall. However, in the case of learners with disabilities refer Chapter 8.

2.2 The Examination Hall will be opened 30 minutes before time on each day specified for the commencement of the examination. No learner who is late by more than 30 minutes shall be allowed to appear in the examination.

2.3 A chart depicting the Room wise Seating Plan with Roll No. of the learners allotted to each room should be prominently displayed at the entrance of the Exam Centre. A seat marked with his Roll Number will be allotted to each learner. Learners will be required to find out and occupy their allotted seats. Learners with disabilities having difficulty in locating the same may be provided assistance.

2.4. No learner, without the permission of the Invigilators shall leave his/her seat or the Examination Hall during the examination. No learner shall speak without permission. If it is necessary for the learner to communicate with the Invigilator, he/she shall stand up in his/her place and the Invigilator will see to his/her requirement. However, relaxation in this regard may be given to learners with disabilities.

2.5 Before beginning his/her paper, he/she should write on the title page of his/her Answer-Book the (i) subject, (ii) date and day OMR front page (Page No.1) of examination, (iii) Question Paper set no. (✓), (iv) Question Paper Code No., (v) Medium of Answer, (vi) New Course/Old Course. Learners shall write his/her Roll No. and name in the space provided on OMR front page and nowhere else in the answer book. Learners shall also write his/her Roll No. on his/her question paper as soon as it is received by him/her.

2.6 The learners are also allowed to write the answer in any one schedule regional language (except language paper) in a subject although the Bilingual Question Paper is supplied. The

learner has to write the medium/language of answering questions on the specified space in the Answer Book.

- 2.7** If a learner writes his/her Roll No. or puts any special mark in any part of the Answer-Book other than the space provided for the purpose, he/she will render himself/herself liable to have his paper cancelled.
- 2.8** **On the expiry of time, the answer book must be handed over to the Invigilator** even though the learner may not have answered any part of the paper.
- 2.9** **Answers shall only be written in the answer book supplied to the learner and on both sides of the paper.** No learner shall tear out a leaf or part thereof from the answer book. No additional Answer Book shall be issues.
- 2.10** **Smoking or Chewing tobacco or use of alcohol is strictly prohibited at the Examination Centre.** Learners found doing so during the course of the Examination shall be liable to be expelled from the Examination Centre by the Centre Superintendent. Learners found drunk alcohol or any intoxicating drug will not be allowed into the examination hall.
- 2.11** **A learner found committing any of the following acts shall be deemed to have used unfair means and his/her examination result shall be withheld:**
- (i) Writing name, roll number or putting signature or any other mark at any other places not specified in the answer book which may disclose, in any way, the identity of the learner. Name and/or roll No. is to be written only in the space provided for it and no where else.
 - (ii) Appearing in the Examination Centre other than the allotted to the learner without the permission of NIOS.
 - (iii) Having in possession of Mobile phone, Ear Phone, Bluetooth or any other electronic devices, book(s), notes, papers or any such materials connected with the examination.
 - (iv) Receiving or giving assistance in copying in any form or exchanging of Answer Book during the course of the examination.
 - (v) Smuggling in or out of the examination hall question papers, answer book etc. and tearing leaf/leaves from the question papers, answer book or tampering with the answer book in any way or attaching currency note with the Answer Book.
 - (vi) Using abusive/derogatory language orally or in the answer book/against the Centre Superintendent/ Examiner/ Invigilator or threatening/ using violence towards Invigilator or Centre Superintendent.
 - (vii) Impersonation i.e. sending some other person to take the examination in place of actual learners.
 - (viii) Communicating with the examiner or any other person connected with the examination, with the object of unduly influencing him in any way.
 - (ix) Any other type of misconduct or a deliberate previous arrangement to cheat in the examination.
 - (x) Writing questions or answers on any paper other than the answer book.
 - (xi) Wrong statement in the application for admission such as tempering with the certificate/ statement of marks etc. or forging a signature.
- The decision of the UFM Committee in imposing penalty for the offence committed by him/her shall be final and binding on him/her.
- 2.12** A learner can be physically searched by the Centre Superintendent/ Invigilator/ Observer/ Flying Squad deputed by the NIOS before or during the examination at any time.



NORMS FOR ENGAGEMENT OF STAFF AND RATES OF PAYMENT

In order to conduct the NIOS examination, NIOS allows the Centre Superintendent to engage the staff from their school/AI or from other nearby institutions as per the following norms.

3.1 NORMS FOR ENGAGING STAFF ON DUTY

- 3.1.1 Centre Superintendent:** There will be one Centre Superintendent for each Centre and his/her appointment shall be approved by the NIOS.
- 3.1.2 Deputy Superintendent:** may be appointed when the total number of learners allotted to a Centre is 400 or more.
- 3.1.3 Invigilators:** The invigilators should invariably be appointed from the teaching staff of the Centre. **For each room, there shall be two invigilators (Except when the learners in room is less than or equal to 10 , then only one invigilator in such room/s).** For rooms/halls where number of learners is more than 40, there will be one additional invigilator for every 20 learners. **Example:** Room/Hall having 39-40 learners, shall have only two invigilators, but room with, say 42 or 59 learners shall have 3 invigilators. Likewise Hall will 63 learners shall have 4 invigilators.
- Special Care for Divyangs:** Of these invigilators appointed for each room, one invigilator should be oriented to needs of learner with disability (if appearing in that centre). In case there is need for sign language interpreter, in addition to the existing invigilators, the provisions in Chapter 8 may please be referred. **Such of those learners' seating arrangements should be made in the Ground floor only.**
- 3.1.4** *All examination centres will be provided two additional Invigilators (One male and one female) exclusively for checking Identity cards and attendance sheet on all the days of examinations.*
- 3.1.5 Clerks:** There will be one clerk upto 249 learners allotted at the Examination Centre. If the number is 250 or more, in particular day the number of clerks will be two.
- 3.1.6 Peon/Waterman:** There will be one peon and one waterman upto 249 learners allotted. Additional peon and waterman (One each) may be engaged for the specific days on which the number of learners registered exceeds 249.

- 3.1.7 Chowkidar/Sweeper:** There will be one Chowkidar and one Sweeper in the Centre on each day of examination including practicals irrespective of number of learners allotted.

3.2 PAYMENT NORMS TO THE STAFF

3.2.1 Remuneration for the Staff

(i) Centre Superintendent	Rs. 750/- Per Day
(ii) Dy. Superintendent*	Rs. 600/- -do-
(iii) Invigilators	Rs. 500/- -do-
(iv) Clerk/Laboratory Assistant	Rs. 300/- -do-
(v) Peon	Rs. 225/- -do-
(vi) Waterman	Rs. 225/- -do-
(vii) Chowkidar	Rs. 225/- -do-
(viii) Sweeper	Rs. 225/- -do-

** Admissible when the total number of learners allotted to a centre is 400 or more.*

Note : Special Permission of appropriate authority may be taken in advance for additional staff and other support required for conducting examination for learners with disabilities. Refer to Chapter 8 for the same.

3.2.2 Maintenance of Furnitures and Rent of building

- (i) Maintenance of furnitures and rent of the building @Rs.50/- per learner for whole examination will be admissible to all type of schools/KVS/NVS/AIs of NIOS/Degree colleges and any other institutions fixed as examination centre of NIOS.

3.2.3 Remuneration and Conveyance for Collection of Question Papers From the Bank / Paper Collecting Centres

i) Remuneration

For the collection of Question paper from bank : Rs. 100/- per day.

ii) Conveyance Charges

a) From the Examination Centre to the Bank

- (i) Rs. 150/- per day if the distance from the place of duty/residence to the Bank/Collecting Centres is upto 8 kms and
- (ii) Rs. 200/- if the distance is more than 8 kms from place of duty.

b) For return journey from Bank/Paper Collecting Centre to Examination Centre

- (i) Actual taxi charges as per the State Transport Authority rates. The distance between examination centre and Bank should be mentioned clearly in the bill form (**Proforma-8**)

3.2.4 Conveyance for Depositing the Answer Books to the Collection Centre/Post Office and Returning the Balance of Examination Stationery to NIOS.

- i) One way actual auto charges (by the shortest route) and one way bus charges are admissible to a person for *depositing the Answer books at collection centres/ Post office*.
- ii) Similarly, one way actual auto charges and one-way bus charges are admissible *for returning the balance stationery to NIOS/Collecting Centre/Post Office*.

Bills for Centre charges should be prepared on the prescribed proforma. All the bills should to **be verified by the Centre Superintendent before sending to concerned Regional Centre/NIOS along with other documents.**

3.2.5 The charges for storage of Question Paper should to be paid by the per Exam. Centre Superintendent to the custodian Bank out of the centre advance immediately after completion of the examination at NIOS approved norms as given under :

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | For storage of question papers of Secondary Examination | Rs. 5000/- |
| (ii) | For storage of question papers of Senior Secondary Examination | Rs. 6000/- |
| (iii) | For storage of question paper of both Secondary/
Senior Secondary Examination | Rs. 10000/- |
| (iv) | For storage of question paper of Vocational Examination | Rs. 5000/- |

* N.B. for S.No. (i), (ii) and (iii) the charges are for all academic courses i.e. for Hindi/English/ Urdu/ Regional Language Question Paper.

3.3 CONTINGENT EXPENDITURE

3.3.1 Stationery Items: Centre Superintendents are authorized to purchase petty articles, Alpines, Tags, Sealing Wax, Gum, Sewing Needle, Thread, Match Box, Carbon Paper, Photostat Paper, File Covers, Ink, Ball Pens, Refills (Not jotter pen refills), Jute Twine, Plastic Ropes, Candles, Wrapping paper, Cloth Lined Envelopes for putting Answer Sheets and balance of Question Papers, Pitchers, Glass tumblers, Ice, Phenyl for cleaning urinals and construction of temporary toilets (if needed). ***Payment for these items will be made at the lump sum rate of Rs. 8/- per learner (allotted) subject to a minimum of Rs. 1000/- per centre.***

3.3.2 Since many learners with disabilities might use computers for examination purposes as mentioned in Chapter 8, a functional computer with printer, paper, storage device, technical assistance and any other support for printing their answer scripts should be made available at the centre. The print out of the response should be attached with the answer sheet allotted to the learner. **Postage Charges:** *Actual postage charges* shall be payable subject to production of original receipts.

3.3.3 Packing Cloth: *Actual cost of packing cloth* reasonable price will be paid on production of cash memo.

3.3.4 Printing of Question Paper - Rs. 10/- per learner.

3.4 GUIDELINES FOR PAYMENTS

- 3.4.1** Immediately after the examinations are over, the Centre Superintendents are required to submit complete account of used and unused answer books and send their consolidated claim in the prescribed proforma within 15 days of last date of exam.
- 3.4.2** Performa should be filled up neatly and clearly and cutting, erasing and over writings should be avoided.
- 3.4.3** Details of each activity may be written over the back of Performa wherever required.
- 3.4.4** It should be clearly mentioned in the forwarding letter, in whose name the cheque or the amount claimed has to be prepared and sent, by intimating the complete address.
- 3.4.5** Following details should be enclosed with the claim:
- i) Duly filled up proforma for claim of the examination centre payment and signed by the Centre Superintendent mentioning the name of the centre with office seal,
 - ii) All the enclosures should be duly signed by the Centre Superintendent.
 - iii) A proper account of answer books used daily during examination on the proper proforma.
- 3.4.6** If the Examination Centre is both for Secondary and Senior Secondary, the payment to the Centre will be determined on the basis of combined session/learner/seating arrangement/ conveyance etc.
- 3.4.7** No payment towards examination centre charges is to be made to Jail for conduct of examination. However, the Regional Directors are authorized to pay postal charges and bank charges for safe custody of question papers on production of bill by the Jail fixed as Examination Centre. No examination centre advance payment is to be made to Jail for conduct of NIOS examination.



INSTRUCTIONS FOR INVIGILATORS

4.1 TO BE NOTED BY EACH INVIGILATOR

- 4.1.1 **Each invigilator is required to give a Certificate to the Centre Superintendent to the effect that none of his/her relation is appearing** in the Examination at the Centre and that none of the learners appearing at the Centre has received private coaching from him/her.
- 4.1.2 **Invigilators are under the control of Superintendent of the Centre** during the period they are on such duty. They should not leave the examination centre without the permission of the Centre Superintendent.
- 4.1.3 **They should report at the centre at least 50 minutes before the time** fixed for commencement of examination.
- 4.1.4 If by chance, any Question Paper which is not scheduled for the session is found mixed up with the Question Papers, for the day it should be returned to the Centre Superintendent immediately without reading.
- 4.1.5 **They should act as witnesses, as and when desired by the Centre Superintendent,** to the opening of the question paper packet(s) and sealing and bags/parcels of answer books. Before signing as witness to the opening of question papers, the number of packets should be carefully examined, verified with the date sheet. Name and address should be mentioned while signing such certificates on the question paper packets etc. In case of any doubt, the matter be reported to the NIOS Regional Centre concerned on the telephone.
- 4.1.6 **No learner suffering from any infectious disease like small-pox, mumps be allowed** to sit in the examination hall/room with other learners. If such case is suspected, it should be reported to the Centre Superintendent immediately.
- 4.1.7 **One of the Invigilators should always accompany a learner wishing to make use of the urinal, latrine** while the examination is in progress. It should be ensured that there is no copying material kept in the toilets etc. and the learners do not prolong their stay in the toilets. They should come back within the normal time.

4.1.8 Invigilators should note that under no circumstances he/she should help the learner for using unfair means and if such a case is found, strict action will be taken against the invigilator which may debar him/her from any kind of payment/further duties at the NIOS examination, besides the disciplinary or penal action.

4.1.9 All the invigilators must be sensitive to the gender concern and maintain the dignity of the learners with disabilities.

4.2 DUTIES OF THE INVIGILATORS DURING EXAMINATION

4.2.1 Check that the learners occupy their allotted seats in the room under their supervision and the learners do not possess any books, notes or any other papers. An announcement to this effect should also be made at the beginning of each session and the learners should be asked to leave such books and papers outside the room/hall.

4.2.2 Ensure that every learner gets the correct question paper. It would be advisable to make an announcement to this effect at the commencement of the examination. They should be directed that if they attempt any other paper not meant for them they would do so at their own risk. All spare copies of question papers should be returned to the Centre Superintendent immediately after distribution and no late comer be allowed to enter the examination hall/room except with the permission of the Centre Superintendent.

Ensure that learner writes his/her roll number and signature etc. on the Question Paper. After verifying the details, invigilators should also sign on the question paper of each learner.

4.2.3 Search the learners physically before or during the course of examination. Female examinees should be searched only by lady invigilators.

4.2.4 Check that every learner has written his/her correct roll number in English numerical in the space provided on the OMR Sheet of the Answer Book. They should also see that all other particulars both on the OMR Sheet and the front page of the Answer Book have been correctly filled in the columns provided on the title page of Answer Book. Roll number and other particulars must be written by the learners at the proper places before they begin to answer the question papers. The invigilator should put his signature on the space provided on the answer book as token of having verified the correctness of the Roll No. and other particulars written on the title page by the learners in his/her charge. A specimen filled in OMR sheet is made available in the last page of the Answer Book for reference.

4.2.5 Verify the identity of learners under their charge by checking the scanned list of the learners, their identity Cards issued by the NIOS and by matching the photograph of the learners on the scanned list with the identity cards. In case of any doubt, the learner may be questioned and matter reported to the Centre Superintendent immediately.

4.2.6 Verify the identity of learners under their charge by checking their Identity Cards and Examination Hall Tickets issued by the NIOS and by tallying their signatures on learners attendance sheets with the signatures on their identity cards.

In case of any doubt, the learner may be questioned and matter reported to the Centre Superintendent immediately.

- 4.2.7 Ensure that no learner copies answer with the help of another learner or notes/books etc. or makes use of any other unfair means at the examination.** If a learner is found talking or using unfair means or exchanging Answer Books, the book or material so used should be taken in possession by the Invigilator and matter be reported to the Centre Superintendent without delay. He should then act according to the instructions given by the Centre Superintendent. The invigilator is also expected to make a written report to the Superintendent of the Centre about all such cases and put his/her signature on the answer book and other material, document(s) found with the learners as per direction of the Centre Superintendent.
- 4.2.8 No learner should be allowed to leave the examination hall before the expiry of one hour** and further, if any learner leaves before expiry of half of the total time allowed for the question paper, he/she shall not be allowed to take away the question paper with him or her.
- 4.2.9 Maintain proper discipline, in the room for smooth conduct of examination** under their supervision and as such they should constantly be watchful and move about in the room and not indulge in talks and read any book, newspaper or even the question paper during the time of the examination. Lady Invigilators should not engage themselves in knitting etc.
- 4.2.10 Close all exits of the Examination Room/Hall, except one at the commencement of examination. All exits should be closed ten minutes before the paper ends.** One of the invigilators should then stand at the door and see that no learner leaves the hall/room without handing over the Answer Book.
- 4.2.11 After completion of the examination on each day, the invigilators should**
- i. collect all answer books immediately and the learners should not be allowed to leave the room without handing over the answer books.**
 - ii. arrange the answer books roll number wise serially before delivering to the Centre Superintendent** In case of a learner running away with the answer book and answer book being not detected, the Invigilator concerned shall be held responsible for the same.
 - iii. deliver the answer books of the learners under their charge to the Centre Superintendent after the examination is over** and, as such, they should take proper precautions for the same.
- 4.2.12 The staff on examination duty at the examination centre must display their I-Cards indicating** that the individual is on examination duty. This would help to check the entry of outsiders. Similarly, the team of the observers will also carry their I-Cards/Authority Letter for disclosing their identity at the examination centre.

Cases not covered under the above rules should be referred to the Centre Superintendent for obtaining his guidance and necessary instructions.



CUSTODY AND HANDLING OF QUESTION PAPERS

In NIOS Examinations, the Question Papers are separate from the Answer Books. The learners are issued Question Papers and Answer Books at the beginning on each day of examination. After the examination is over, learners are allowed to carry the Question Paper with them. For proper custody of the question papers and their safe handling, the following instructions should be noted and complied with by the Centre Superintendent and the Invigilators.

5.1 RECEIVING OF THE QUESTION PAPERS IN THE BANK

- 5.1.1 The Centre Superintendent Should carefully go through the “Instructions for Storage and Handling of Question Papers” issued to banks and Centre Superintendent separately well before the question papers are actually sent to the bank for storage. They should remain in touch with the Manager of the bank and also to comply with the instructions notified in the booklet.
- 5.1.2 The Centre Superintendent should find out from the bank concerned whether the question papers have been received or not.
- 5.1.3 In case of **non-receipt of Question papers in Bank, the Centre Superintendent should inform Director (Evaluation)/ Dy. Director/Asstt. Director (Evaluation)** telephonically or by email **at least 10 days before the commencement of examination** otherwise it will be presumed that the packets meant for centre concerned have been received in the bank.
- 5.1.4 **Checking and arranging the question papers:** He/She should take action in this regard as specified in paragraphs 10 to 15 of booklet under “**Instruction for storage and Handling of Question Papers**”.

5.2 COLLECTION OF QUESTION PAPERS FROM THE BANK

- 5.2.1 **Question Papers should be collected from the bank an hour or so before** the commencement of each day of the examination The time limit can be mutually fixed depending upon the distance to be covered to and from between the Examination Centre and the bank.
- 5.2.2 **The subject, course and date of the examination must be checked before taking delivery** and giving receipt on the prescribed **proforma** placed with each packet in duplicate to the bank Manager, so as to ensure that the correct packet of the question paper is taken out from the bank.

The Centre Superintendent is required to collect the question paper of each day from the Bank as per examination date sheet.

- 5.2.3 If the Centre Superintendent himself is unable to reach the bank on account of unavoidable circumstances,** he may depute his deputy with a proper authority letter to collect the question paper packets on his behalf.

5.3 HANDLING THE QUESTION PAPERS IN THE EXAMINATION CENTRE

- 5.3.1 The question paper packets should be opened 15 minutes before the start** of the examination and signature of two invigilators should be obtained at the time of opening of the question paper packets recording the exact time of opening.
- 5.3.2 The question papers must be distributed at the precise time given in the date-sheet.** In case, due to unforeseen circumstances there is delay in the commencement of examination on a particular day, the time lost in the process may be compensated.
- 5.3.3 The question papers of all major subjects are arranged in the order of set A, B and C in each packet.** Therefore, while issuing the question papers to the invigilators, this order should not be disturbed. Even if a learner is absent, a question paper should be kept on the seat allotted for him. After the permissible late arrival time is over and still the learner does not turn up, the Question Paper can be collected back by the invigilator.
- 5.3.4 The question papers should be distributed in such a way that each learner in a row does not get the same set of question paper.** Learner should be made to sit as per the seating plan (format enclosed as Annexure II).
- 5.3.5 After distribution of question papers, the learner should be instructed to write his/her Roll No. on the 1st page of the question paper.** The Invigilator should sign in the space provided on the 1st page of Question Paper.
- 5.3.6 The Centre Superintendent should get the unused question papers collected, sealed and kept in his safe custody** till the examination in that paper is over. The balance of question papers can be verified by the Team of Observers, OSDs or flying squad members or any other person deputed by the NIOS at any time during the course of the paper.
- 5.3.7** No learner should be allowed to leave the examination hall before the expiry of half of the time allotted to a particular examination.

- 5.4 If any misprint or other ambiguity in a question comes to the notice of the Centre Superintendent,** he should immediately draw the attention of the Director (Evaluation), NIOS. In case any difference between English and Hindi version of the question paper is found then the English version should be relied upon unless otherwise considered necessary.

All correspondence regarding handling and storage of the Question Paper Packets will be made to the Director (Evaluation), NIOS.

5.5 SEATING PLAN FOR DISTRIBUTION OF MULTIPLE SETS OF QUESTION PAPERS

The NIOS provides multiple sets of question papers; therefore, it becomes necessary that no two learners sitting side by side should get same set of question paper. A standard seating plan for a room having four rows is given below: For seating plan of learners with disabilities please refer to Chapter 8.

STANDARD SEATING PLAN FOR DISTRIBUTION OF QUESTION PAPERS

Room No. _____ Floor _____

Examination Centre No. _____ Name of Centre _____

Subject _____ Paper _____ Date _____

I Row	II Row	III Row	IV Row
A	C	B	A
B	A	C	B
C	B	A	C
A	C	B	A
B	A	C	B
C	B	A	C
A	C	B	A
B	A	C	B

Total No. of Learners:

Signatures of Centre Superintendent



DEALING WITH UNFAIR MEANS AND MASS COPYING CASES

Examination is a normal activity in the life of a learner. The learner should take examination as per the rules and regulations. Any attempt to use unethical practices during examination will invite stringent penalties. Prior to the start of the examination every day, the Centre Superintendent & Invigilation staff should caution the learners and make frequent announcements to discourage the learner from using unfair means.

6.1 PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO AVOID USE OF UNFAIR MEANS

- 6.1.1 The Learners can be physically searched by the Centre Superintendent/ Invigilators/ Member of the team of Observers deputed by the NIOS/Regional Centre concerned before or during the examination at any time except that a female learner should be searched by a female member only.
- 6.1.2 Normally when a learner goes out to toilet etc. the invigilators must ensure that the question paper and answer book of the learner have been left on his seat in the examination hall.
- 6.1.3 At the end of the examination, no learner should be allowed to leave the room till all the answer books are collected, counted and found correct. If a learner forces his way out with the answer book, the complete statement explaining the circumstances under which the learner left with the answer book should be made out. **In no case this provision should be used to cover up the loss of Answer Book.** The statement should also contain the time of the incident and details of the case as to how the learner took away the Answer Book. Efforts made to recover the Answer Book should also be stated.
- 6.1.4 Proper procedure must be followed while reporting the UFM cases.
- 6.1.5 However, a learner found guilty of any of the following offences shall be deemed to have used unfair means and his/her examination result shall be withheld. The decision of the UFM Committee in imposing penalty for the offence committed by the learner shall be final and binding on him/her.

6.2 OFFENCES DURING THE EXAMINATION

- 6.2.1 Writing name, roll number or putting signature or any other mark in the Answer Book which may disclose, in any way, the identity of the learner. Roll No. is to be written only in the space provided for it and nowhere else.
- 6.2.2 Appearing in the Exam Centre other than the allotted to the learner without the permission of NIOS.
- 6.2.3 Having in possession of Mobile phone, Ear Phone, Bluetooth or any other electronic devices, book(s), notes, papers or any such materials connected with the examination.
- 6.2.4 Receiving or giving assistance in copying or in any form or exchanging Answer Books during the course of the examination.
- 6.2.5 Smuggling in or out of the examination hall Question Paper, Answer Book etc. and tearing leaf/leaves from the Answer Book or tampering with the Answer Book in any way or attaching currency note with the Answer Books.
- 6.2.6 Using abusive/ derogatory language orally or in the Answer Book against the Centre Superintendent/ Examiner/ Invigilator or threatening/ using violence towards Invigilators or Centre Superintendent
- 6.2.7 Impersonation, i.e. sending some other person to take the examination , on behalf of original learner.
- 6.2.8 Communicating with the Examiner or any other person connected with the Examination with the object of unduly influencing him in any way.
- 6.2.9 Any other type of misconduct or a deliberate previous arrangement to indulge in unfair practices in the examination.
- 6.2.10 Writing questions or answers on any paper including the questions paper other than the Answer Book.
- 6.2.11 Wrong statement in the application for admission such as tampering with the certificate/statement of marks etc. or forging a signature.
- 6.2.12 Any other unethical and unlawful activity by the Learner.

6.3 PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR THE BOOKING OF UFM CASES

The learner booked under UFM is not to be expelled from the examination centre in that paper nor be debarred from appearing in the remaining papers

6.3.1 Issuance of Second Answer Book

As soon as any case of unfair means comes to the notice of the Centre Superintendent, following immediate actions are to be taken:

- (i) Take possession of the Answer Book of the learner along with paper or other material found in his possession,
- (ii) Record on the first Answer Book the time when the case was brought to the notice,

- (iii) Provide the learner with a second Answer Book immediately,
- (iv) Record the time on the second Answer Book when it was issued to the learner,
- (v) On the top of the second Answer Book, it should be super scribed “Second Answer Book”.

6.3.2 Explanation of the Learner

While issuing the second answer book, the learner shall be asked by the Centre Superintendent to submit his explanation. In case the learner refuses to give statement, he/she should not be forced to do so, only the fact of refusal should be re-corded by the invigilator(s) on duty. The statement of the learner if any and the statement of the invigilators be attested by the Centre Superintendent with UFM proforma.

6.3.3 Statement of the Invigilator

The invigilator who detects the use of UFM by a learner shall also record his statement which shall be verified and signed by the Centre Superintendent In his statement the invigilator should mention precise information as to *where from the material was found* (in the pocket, desk, shoes etc.).

6.3.4 Copying Material recovered from the learner

As far as possible precise information as to from where the material was recovered (in the pocket, desk, shoes etc.) should be mentioned in the statement of the Invigilator/s. The copying material so detected by an Invigilator should also be signed by the Invigilator and countersigned by the Centre Superintendent on each page and the total number of pages detected should be mentioned on the title of the Answer Book duly signed by the Invigilator and Centre Superintendent.

6.3.5 Document required to be enclosed with UFM cases

All cases of UFM should be recorded in the form for reporting UFM cases as given in **Annexure-3**. The form shall be accompanied by the following documents:

- (i) First and Second Answer Books
- (ii) Explanation/Statement of the learner
- (iii) Statement of the Invigilator
- (iv) Using material found from the possession of Learner.

Note : All the columns of the proforma must invariably be filled in properly in order to strengthen the case after complying with the instructions given in the proforma.

6.3.6 Despatch of UFM Cases to the Regional Centre

- i. All the UFM cases along with the prescribed proforma **Annexure-3** in each case should be sent to the Regional Centre as per **Annexure-5** in a separate sealed cover daily.

- ii. The fact that a particular roll no. was booked under UFM should be recorded daily in the attendance sheet as well as in the statement for despatch of Answer Books to the Regional Centre concerned.
- iii. In respect of the cases detected by the members of the team of observers, the Centre Superintendent should forward the same to the NIOS/Regional Centre Concerned after giving an opportunity to the learner concerned to give his explanation. For these cases also, requisite proforma should be filled in by the Centre Superintendent and dealt with like cases detected by the Examination Centre.

6.4 ACTION TO BE TAKEN IN CASE OF SMUGGLING OUT OF AN ANSWER BOOK

In case a learner has smuggled out an answer book, the Centre Superintendent should call the learner directly and try to secure the answer book. In case of non-recovery of the answer book, the matter should be reported to the police in the format as per **Annexure - 4** and a copy of the FIR be sent to the office of the NIOS/ Regional Centre Concerned along with the statement of the Invigilators present in the room and also of the learner, if possible. The statement of the peon/ police constable etc. if any should also be forwarded.

6.5 ACTION TO BE TAKEN IN CASE OF IMPERSONATION

- i. In case of impersonation, the Concerned Centre Superintendent should send to the NIOS/ Regional Centre, the statement of the person found to be Impersonating, the Invigilator(s) and the original/actual learner, if possible.
- ii. He may also report the matter to the police in the format as **Annexure – 4**
- iii. Arrange for taking electronic photograph of the Impersonator from 3 angles (front and two sides, left & right), and send along with the case.
- iv. The expenditure incurred in this connection shall be reimbursed by the NIOS.

6.6 ACTION TO BE TAKEN IN CASE OF MISCONDUCT

- i. In case of misconduct of a serious nature, the matter should be reported to the police, if necessary.
- ii. Statement of the Invigilator(s) and that of the peon/policeman concerned may be obtained and be sent to the office of the NIOS/ Regional Centre Concerned for further action.

6.7 MASS COPYING CASES

Mass Copying is a different offence from the individual UFM cases. It is a group activity resorted to with the connivance of the Centre Superintendent and the staff on duty at the examination centre.

6.7.1 Broad areas of the Mass Copying

- i) Copying from the printed sheet circulated in the examination hall,
- ii) Displaying copying material on the blackboard.

- iii) Use of loudspeaker from outside.
- iv) Dictating answers by the Invigilators etc.
- v) Use of Electronic devices resulting into Mass Copying
- vi) Any other mode adopted by learners with the help of other learners/ invigilators or outsiders.

6.7.2 Penalties against the Centres booked under Mass Copying

- (i) De-accreditation of the AI, if the examination centre is an AI of the NIOS.
- (ii) In the case of Institution/Examination Centre other than Accredited Institutions of NIOS, the Institution/Examination Centre shall be blacklisted as recommended by the UFM Committee.
- (iii) Intimation to the respective boards for de-affiliation of the institution for resorting to unethical practices
- (iv) Handing over the case to the Police wherein the acceptance of bribe is established as also the involvement of the Centre Superintendent/Invigilators.
- (v) Publicity in the press against the institution involved in unethical practices during the conduct of examination indicating action taken against those institutions.
- (vi) Any other penalty as recommended by the UFM committee for approval of the competent authority.

6.7.3 Penalty against learners

The examination in the subject or the entire examination is cancelled or the admission of the learner may also be cancelled depending upon the gravity of the case and recommendation of UFM Committee.



HANDLING AND DESPATCH OF ANSWER BOOKS

7.1 HANDLING OF THE ANSWER BOOKS DURING EXAMINATIONS

7.2 The required number of Answer Books may be used serially out of the stock on each day of examination. The Answer Books of the learners absent in the examination may not be used on other day of examination and may be kept in the safe custody of the Centre Superintendent for return to the NIOS after all the examination are over along with the balance unused Answer Books.

7.2.1 During the examination, the invigilators should ensure that

- (i) the facsimile of the Centre Superintendent with Centre No. is put at the specified space on the OMR Sheet on each answer book. The facsimile of the Centre Superintendent should be without address.
- (ii) the learner has filled in all the appropriate columns of OMR Sheet and page of the Answer Book and no column is left blank.
- (iii) the invigilator has signed on the Answer Books after verifying all the details.
- (iv) the learner has properly recorded the Answer Books No. on the Attendance Sheet.

7.2.2 Immediately after the examination is over

- (i) the answer books will be collected and arranged serially according to the Enrolment No. as per attendance sheet.
- (ii) the examinees should not be allowed to leave the examination hall unless all the answer books have been collected, counted and verified.
- (iii) check the answer books with the list of learners appeared in the examination in that subject on that day before their despatch.
- (iv) separate bundles be made for each medium in the case of Secondary examination like Telugu, Gujarati etc.
- (v) Answer books of learners with disabilities should also be bundled separately.

7.2.3 The Centre Superintendent should prepare a daily statement as per format (**Annexure 7**) indicating the number and serial number of answer books received, the number of answer books used and unused answer books being returned to the NIOS.

7.2.4 The sequence and account of Answer Books should be maintained. Unused Answer Books of one particular day should not be used in other day of examination

7.2.5 There will be no continuation answer sheets. The learners will have to complete their answer in main Answer Book itself which containing 32 pages. No additional Answer Book shall be issued.

7.2.6 For handling of the printout of answer scripts of learners with disabilities refer to Chapter 8

7.3 PACKING AND DESPATCH OF THE ANSWER BOOKS AFTER THE EXAMINATIONS

7.3.1 All the used answer books should be sent to the concerned Regional Centre/ Collection Centre daily immediately after the examination is over. **While dispatching the used answer books, the bundle of answer books should have the following items:**

- a) **Used Answer Scripts** be put in a paper bag a hard board sheet may be places both in top and bottom of the Answer Book Bundle, which should be tied with a `Sutli' and sealed.
- b) **Sample impression of metal seal used for sealing the bags/packets**, (to be sent only on the 1st day of examination or when the seal is changed.)
- c) **Original Attendance sheet(s) of the day** placed in separate envelope and on top of the envelope should be marked "Attendance sheet for Secondary/ Sr. Secondary date subject....." should be given.
- d) Seating plan of each room (**Annexure 2**). Copy of attendance of Invigilators.
- e) First & Second copy of answer books of unfair means, if any, along with statements and enclosures (Annexure, 3, 4 & Annexure 5) as laid down in the procedure of unfair means should be put in an envelope with the documents. This envelope should be marked as `Unfair Means Cases' and sent along with the bundle of answer books to the Regional Centres concerned.
- f) **A summary of the day's examination report** in the following format should then be prepared.

SUMMARY REPORT OF EXAMINATION ON

- i) **Examination Centre No. :**
- ii) **Course :** Secondary/Sr. Secondary
- iii) **Date :**
- iv) **Subject :**
- v) **No. of learners registered** for exam on this day at the Centre as per the Attendance Sheet
- vi) **No. of Additional Learners**, if appeared, with the Permission of NIOS/Regional Centre (in addition to above)
- vii) **Total learners appeared**
- viii) **No. of learners absent** (with reference to Attendance Sheet)
- ix) **No. of UFM cases :**
- x) **No. of Answer Books used & sealed** in the Packet

- 7.3.2** *The Centre Superintendent should seal the packet of Answer Book with one hard board sheet both in top and bottom of the bundle inside the cloth cover in cloth and not in paper envelope* in the presence of observer, if any, and at least two Invigilators, who should sign as witness to the effect that the answer books were packed in their presence on at a.m./p.m.
- 7.3.3** *The following information will be written on the cloth wrapped to dispatch the answer books.*

“Examination Centre No. and Name _____ Course: _____ Secondary/Sr. Secondary Subject & Subject Code _____ Date of Examination _____ Session _____ To (Address of the Addressee) _____

- 7.3.4** This should be sent to the Regional Centre concerned on the same day by Speed Post insured for Rs. 1000/- (Rupees one thousand only). Where there is no Speed Post service, the material will be booked as Insured Parcel. In no case the Answer Books be retained at the centre.
- 7.3.5** In emergent situation, the answer books packets be kept in the nearest Police Station, against proper receipt. These packets be taken back on the next day for booking the same through post office as usual. Original receipt obtained from the Police Station be sent to the Head, Regional Centre concerned.

7.4 SUBMISSION OF RECORDS TO THE REGIONAL CENTRES

- (i) The Bill of Centre Superintendent will be cleared only after submission of Account of used and unused Answer Books and return of the unused Answer Books to the NIOS immediately after the examination is over.
- (ii) The NIOS may impose suitable penalty on Examination Centre for not adhering to these instructions.



PROVISIONS FOR LEARNERS WITH DISABILITIES DURING NIOS EXAMINATIONS

Learners with disabilities like blindness, low vision, speech impairment, locomotor disability and any other disability which cause difficulty in writing the examinations are to be provided with need based provisions such as amanuensis, technological devices etc. The provisions shall be according to the disabilities as per the procedure notified by NIOS from time to time.

The provisions made have been precisely defined in clauses and sub-clauses for clarity.

8.1 PROCEDURAL REQUIREMENTS

Learners with disabilities as defined in the Persons with Disabilities Act 1995 and the National Trust Act, 1999 and those with specific learning difficulties who wish to avail certain facilities or need some reasonable accommodations in the examination are required to submit an application in the given format to the concerned Regional Director at least four weeks prior to the commencement of examination clearly indicating the support required by the learner along with certificate issued by an appropriate authority indicating the nature of his/her disability and the extent of the disability. This application will be filled along with the Examination Registration Form by the parent or guardian of the learner.

The medical certificate issued by any of the following is required for specific provisions to learners with disability:

- i) Disability Certificate(s) issued by government hospitals under central or state governments.
- ii) Disability Certificate(s) issued by recognized institutes of national level such as National Association for the Blind, Spastic Society of India etc.
- iii) Disability Certificate(s) issued by non- governmental organizations/ practitioners registered with Rehabilitation Council of India/ central government/ state government of the respective states.

While appearing in the examination, the learner will write his/her disability on the top of the answer book as mentioned in the certificate. This will be authenticated by his/her Centre Superintendent.

8.2 GENERAL PROVISIONS

8.2.1 Provision of Compensatory Time: The condition of all learners with disabilities will have to be certified as per approved procedure as mentioned in 8.1 for determining requirement of additional time.

- i) *An additional 20 minutes per hour of examination for each of the subject¹ will be provided to compensate for compensatory time required for reading by the amanuensis, understanding the question, fatigue while dictating to the Amanuensis, sitting continuously etc.*
- ii) *If the condition indicated in the medical certificate specified at 8.1 requires short break, a break of not more than ten minutes per hour will be permitted in addition to above.*

8.2.2 Provision of Amanuensis: The service of amanuensis, reader, lab assistant can be availed as per requirement of the subject concerned. The following category of learners will be eligible for this facility:

- a. Learners with Autism
- b. Cerebral Palsy
- c. Intellectual Disability including Mental Retardation
- d. Multiple Disabilities
- e. Blindness, Low Vision
- f. Speech or Hearing Impairment
- g. Any other disability such as learners with specific learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia certified as per procedure at 8.1.
 - i) Learners with poor hand function and speech and hearing impairments may be provided amanuensis who can understand their communication including sign language.
 - ii) Learners with hand injury may be provided with the facility of amanuensis.
 - iii) In case of sudden illness resulting in temporary disability, service of amanuensis will be allowed on furnishing of duly certified medical certificate specified at 8.1
 - iv) The learners with disabilities who may choose to use the amanuensis may be permitted to draw the diagrams etc. themselves if they so desire.
 - v) Learners with disabilities may be provided with lab assistant as per the requirement of the particular subject.

- vi) Learners with disabilities may be provided with the service of reader as and when required.
- vii) In case the learner needs a care giver inside the examination hall during the examination, a prior application in the given format has to be submitted along with the application form and permission has to be obtained.
- viii) In case the learner needs the care giver to help him/her reach the examination room and find his/her particular seat, a prior application in the given format has to be submitted along with the application form and permission has to be obtained.
- ix) In specific cases near relatives, care giver or concerned teacher may be present in the examination hall only for the purpose of motivation and support to the learner. Prior permission of which will have to be obtained from the concerned Regional Director.

Note:

- i) The terms **scribe** and **amanuensis** are synonymous and any other term signifying the same can be used for this purpose. In this document the term **amanuensis** has been used.
- ii) The learner is allowed to opt for different amanuensis for different subjects if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the Amanuensis is required.
- iii) For the format of application for the entry of the care giver inside the premises of the examination centre refer to Annexure.
- iv) Amanuensis/scribe can be arranged by the learner and can also be provided by the Centre Superintendent. The procedure of approval and eligibility of amanuenses is subject to provisions indicated in this chapter.
- v) Lab Assistant to be provided by the Centre Superintendent only.

8.2.3 (a) Eligibility to be an Amanuensis

- i) The Amanuensis, Reader, Lab Assistant should not be related to the examinee.
- ii) The amanuensis may be a learner of any age or class.
- iii) There will be flexibility in accommodating any change in amanuensis, reader, lab assistant in case of emergency. More than one amanuensis, reader, lab assistant for writing different papers as per the requirement of the learner will be allowed.
- iv) Learner shall also have the option of meeting the amanuensis a day before the examination in presence of the centre superintendent.
- v) The Centre Superintendent will ensure the provisions are granted to the learner and inform compliance to the Regional Director. The Centre Superintendent of Examination Centre concerned may choose a suitable person from the school as far as possible and forward his/her name with photograph immediately to the

concerned Regional Director with a report giving full particulars of the learner and of the amanuensis, reader, lab assistant for consideration and approval.

8.2.3 (b) *Fee for amanuensis, reader, lab assistant , interpreter using sign language:*

- i) A fee of Rs. 100/- per session of examination will be given to the amanuensis per learner with disability by the Superintendent of the Examination Centre. The remuneration of the categories such as reader, lab assistant and interpreter using sign language will be as per the 3.2.1 payment norms of the staff. The learners under the category 8.2.2 (except for iv) will not be required to pay any charge/ fee.
- ii) Learners with temporary disabilities using the facility of amanuensis will have to pay the fee themselves.

8.2.4 Use of Computers: Learners with minimal hand function, blindness and low vision and learners with learning disability, cerebral palsy, autism and any other disability will be allowed to use computer if they *make a request in advance to the concerned Regional Director*:

- i) Learners may bring their own computers along with assistive devices if they so wish.
- ii) They may also bring the required software (including the Text Reading Software) to enter the response.
- iii) Centre superintendent would ensure adequate power supply and a printer to print the answer scripts of the learners using computers.

Note: Centre Superintendent will have the right to check the machines for no pre-fed information *Learner will need to report one hour in advance to complete these formalities.*

Centre Superintendent may ensure requisite number of computers with hardware, software, and removable storage devices.

8.2.5 Seating Arrangements and other Support:

- a. Wheel chair user and mobility impaired learners will be given facility to write the examination on the ground floor in case the examination room is inaccessible.
- b. Building should be accessible and proper ramps and other support should be available. Centre superintendent will ensure the availability of an accessible toilet for learners with disability.
- c. The Centre Superintendent will make arrangements to seat maximum of four learner in a separate Examination Room with a separate invigilator for supervision.
- d. However, single room with an invigilator may be made available for learners with specific disability, if so required.

- e. The examination room should be well lit and ventilated away from noise and distractions.

8.2.6 The Centre Superintendent(s) will print and pack the answer scripts of learners with disabilities as per the serial number of the examinee in a separate envelop and send to the concerned Regional Office. The envelope should be superscribed with “Answer sheets of learners with disabilities”. A separate column will be provided on the title page of the answer book for indicating the category of disability as per table no 8.1:

Table No 8.1 Code for marking different disabilities

S.No	Category of Disability	Code
1.	Blindness	B
2.	Low Vision	LV
3.	Locomotor Disability	L
4.	Hearing and speech Impairment	HI
5.	Leprosy cured	LC
6.	Mental Illness	MI
7.	Mental Retardation	MR
8.	Autism	Aut
9.	Cerebral Palsy	CP
10.	Multiple Disabilities	MD
11.	Specific Learning Disabilities	SLD

8.2.7 **Learners with Specific Needs** registered under the SAIED AIs will have their study Centre as examination centre also. During examination the invigilators deputed by NIOS will monitor the examination proceedings. To facilitate easy access, a few selected schools will be made examination centers for learners with disabilities. However, NIOS reserves the right to allot any centre other than SAIED in the larger interest of the learner and feasibility. However, all necessary support will be provided to learners with disability appearing in examinations centres other than the SAIED centres.

8.3 SPECIFIC PROVISIONS¹ : THESE ARE SPECIFIC PROVISIONS IN ADDITION TO THE GENERAL PROVISIONS MENTIONED AT 8.2

8.3.1 Learners with blindness and low vision

- i. Learners with blindness and low vision will be provided with alternate questions in the theory papers in place of the question related to marking and labelling of maps, construction of geometrical figures and diagrams/ graphs etc. wherever applicable at secondary and senior secondary level.
- ii. Visually Impaired Learners may be allowed to use amanuensis/take examination using Braille typewriter, or computer. The learners should arrange to bring their own Braille Typewriter, etc., for examination purposes.
- iii. Equipment such as Taylor frame and geometry drawing kit will be allowed in the Examination Hall. Prior permission for the same may be obtained from the concerned Regional Director.

8.3.2 Learners with Hearing Impairment

- i. Interpreter using sign language may be allowed in the Examination Room to help the learner with hearing impairment to understand the instructions.
- ii. One interpreter may be adequate for each Examination room. The Centre Superintendent may take decision regarding arrangement of an Interpreter.

Note: The learner is allowed to opt for different scribe for different subjects if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the scribe is required.

8.3.3 Learners with Autism, Cerebral Palsy, Intellectual Disability (Mental Retardation), Multiple Disabilities

- i) Computers with adapted hardware like trackball instead of mouse, augmentative communication boards (illustrative and not exhaustive) may be allowed.
- ii) Intellectual disability (Mentally Retarded) learners may opt for project work as an alternative for practical.
- iii) Adapted chair, table, bed, etc., may be allowed in the Examination room in case of learners with specific disabilities who need them
- iv) Provision may also be made for reading out the questions wherever necessary.

Note: Learners may arrange for their own tools and equipment.

¹ Many learners with disability now request for question papers in alternative format. This involves policy decision and advance preparation. NIOS will announce it as and when mechanism is in place.

8.3.4 Learners with Learning Disability

Provision of amanuensis, use of computer and additional time is permitted as per the procedure specified at 8.1 and also as mentioned under general conditions.

8.3.5 Leprosy-Cured Learners

General provisions will be applicable to leprosy cured learners on submitting medical certificate as mentioned in 8.1

Note:

- i) Any learner with a disability, who is not covered under the above provisions, should approach the concerned Regional Director at least four weeks prior to the commencement of examination for availing certain accommodations during the examination.
- ii) Wherever remuneration has not been indicated in table no. 3.2.1 the remuneration would be that of the invigilator.
- iii) The learner can opt for more than one clause from the above mentioned clauses on the basis of his/her needs.

APPLICATION BY THE PARENT

Name: _____

Relationship with the Examinee: _____

Parent/Teacher/Care Giver/Any Other (please specify): _____

Address: _____

Contact No. _____

E-mail Id: _____

Date: _____

To,

The Regional Director,
National Institute of Open Schooling,
Regional Centre: _____

Subject: Application for need specific provisions to be made available during the NIOS examination.

Sir,

It is submitted that my son/daughter/ward who is a person with disability/special needs will be appearing in the NIOS examination scheduled from _____ to _____ for Block 1/ Block 2/ On-Demand Examination.

Details of the examinee:

1. Name: _____

2. Enrolment Number: _____

3. Programme enrolled in: Secondary/ Senior Secondary/ Vocational/ OBE/ Life Enrichment/ Life Skills Programme (Tick the Appropriate one): _____

4. Nature of Disability: _____

5. Certificate issued by: Name of the Hospital (Government Hospital/Government Medical Institute only): _____

6. Medical Certificate Sl. No. _____ Date: _____

7. Copy of the Medical Certificate with recommendations.

8. Subject-wise specific provisions required:

S.No.	Subject and Code	Specific Provisions Required Indicate the clause of provisions mentioned in appendix		Details of self arranged assistive devices. Details of amanuensis/ care giver in the given format at Annexure 2
		From the Centre Superintendent	Self arranged	

You are kindly requested to provide the above mentioned general and specific provisions for my son/ daughter/ward during the examination. The required documentary proofs are enclosed.

Yours sincerely,

Enclosure: Attested Copies of:

1. Copy of the medical certificate
2. Copy of the identity card of the examinee
3. Bonafied Certificate with photograph of the amanuensis affixed and signed by the Principal
4. Copy of the identify card of the amanuensis.*
5. Copy of the identity card of any other person who will accompany the examinee.*

* The amanuensis and the accompanying person will be required to carry the same identity proof during the examination.

Appendix - II

PROFORMA FOR INFORMATION REGARDING AMANUENSIS/LAB ASSISTANT/ READER TO BE ISSUED BY STUDY CENTRE

(To be submitted to the Regional Director, two weeks prior to the examination.)

Name: _____

Name of the Father/Mother/Guardian: _____

Details of Educational Qualification:

Whether the Amanuensis has studied the same subjects? No/Yes

If yes, the Amanuensis should be one class junior to the examinee. Refer to the Clause 8.2.3 (iii)

The above person will act as Amanuensis for:

Name of the Examinee:

Enrolment No.:

Study Centre name:

Study Centre No.:

Subject and Date of the Examination:

1. _____

2. _____

3. _____

I hereby declare that I have read the clause 8.2 of the NIOS Guidelines for Centre Superintendents for Theory Examination/ Chapter 6 of Prospectus and the Amanuensis selected is as per the norms.

Signature of the Head of the Institution

Name

Designation

Seal

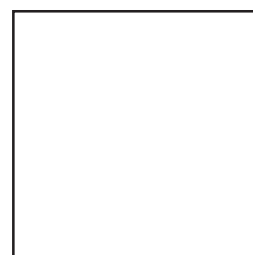
Appendix - III

**CERTIFICATE ISSUED BY STUDY CENTRE FOR NEAR RELATIVES, CARE GIVER OR
CONCERNED TEACHER TO ACCOMPANY LEARNERS WITH SPECIFIC DISABILITIES
DURING EXAMINATION IN SPECIFIC CASES**

(To be submitted to the Regional Director, two weeks prior to the examination)

Name: _____

Relationship with the Examinee:



The above person will act as a support which includes motivating and helping the examinee find his/
her examination room during the examination:

Name of the Examinee:

Enrolment No.:

Study Centre name:

Study Centre No.:

Subject and Date of the Examination:

1. _____

2. _____

3. _____

I hereby declare that I have read the clause 8.2.2 (ix) of the NIOS Guidelines for Centre Superintendents for Theory Examination/ Chapter 6 of Prospectus and the same has been informed and explained to the above mentioned person.

Signature of the Head of the Institution

Name

Designation

Seal

MEDICAL CERTIFICATE

Date: _____ OPD NO. _____

Name of the Child: _____

Date of Birth: _____ Age: _____ Sex: _____

Date of Registration: _____ LD No.: _____

Father's Name: _____

Mothers Name: _____

School's Name: _____ Class Studying in _____

Psychological Assessment: _____ Date: _____

ISC Verbal IQ: _____ Performance IQ: _____ Global IQ: _____

Interpretation: _____

KBI Performance IQ: _____

Educational Assessment: _____ Date: _____

Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, Slow Learner, Intellectual Disability, Autistic ADHD

Diagnostic: _____

Recommendations

1. Remedial Education
2. Treatment for ADD/ADHD
3. Provisions
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Signature of the Doctor with seal

For details please read Chapter 6 of Prospectus/Chapter 8 of Guidelines for Centre Superintendent for Theory Examination.

Provision of Additional Time

- ◆ Additional 20 minutes per hour of examination
- ◆ Short break of not more than 10 minutes per hour of examination
- ◆ Learners with Learning Disability additional time has to be provided.

Provision of Amanuensis

- ◆ Service of scribes who can understand their communication including sign language to learners with poor hand function and speech and hearing impairments.
- ◆ Service of amanuensis/scribe for learners with hand injury.
- ◆ Service of amanuensis for learners with temporary disability.
- ◆ Permission to draw diagrams, etc. even by those who choose to use the amanuensis.
- ◆ Services of lab assistant may be provided as per the requirement of the particular subject to the learners with disabilities.
- ◆ Service of reader may be provided as and when required by the learners with disabilities.
- ◆ For learner with temporary disability, a fee of Rs. 100/- per session of examination will have to be paid by the learner.
- ◆ Amanuensis for learners with Visual Impairment.
- ◆ Interpreter using sign language may be allowed to help the learner with hearing impairment to understand the instructions.
- ◆ Services of amanuensis for learners with Learning Disability.

Note: The learner is allowed to opt for different scribe for different subjects if necessary. The learner will have to clearly specify the language in which the scribe is required.

Amanuensis/scribe can be arranged by the learner and can also be provided by the Centre Superintendent.

Lab assistant/Reader to be provided by the Centre Superintendent only.

Assistive Devices

- ❖ Learners may bring their own computers along with assistive devices if they so wish.

- ❖ They may also bring the required software (including the Text Reading Software) to enter the response.
- ❖ Permission to write examination using Braille typewriter, or computer by Visually Impaired Learners. However, the learners should arrange to bring their own Braille Typewriter, etc.
- ❖ Permission to use equipment such as talking calculator, abacus, Taylor frame and geometry drawing kit in the Examination Hall has to be taken from Regional Director.
- ❖ Permission to use computers with adapted hardware like trackball instead of mouse, augmentative communication boards (illustrative and not exhaustive).
- ❖ Permission to use calculator for learner with Dyscalculia. However, learners may arrange for their own tools and equipment.
- ❖ Permission to opt project work as an alternative for practical by Intellectual disability (Mentally Retarded) learners.
- ❖ Permission to use adapted chair, table, bed, etc., in the Examination room in case of learners with specific disabilities.
- ❖ Provision for reading out the questions wherever necessary.
- ❖ Provision for learners with Learning Disability to use computer in the examination.

Note: The learners need to report 1 hour before the commencement of the examination for pre-checking of the assistive devices that he/she will bring to the examination.

Learners may arrange for their own assistive device.

Seating Arrangements and other Support

- a) Provision to write the examination in ground floor Wheel chair user and mobility impaired learners, in case the examination room is inaccessible.
- b) Provision of ramps
- c) Accessible toilets
- d) Provision for single room for learners with specific disability with one invigilator.

Provision of alternate questions

For learners with blindness and low vision, replacement of question related to marking and labelling of maps, construction of geometrical figures and diagrams/ graphs etc. at secondary and senior secondary level.

Presence of near relatives, care givers or concerned teacher

- ❖ Permission for the presence of the care giver inside the examination room during the examination
- ❖ Permission for the care giver to help the learner reach the examination room and find his/her particular seat.
- ❖ In specific cases near relatives, care giver or concerned teacher may be present in the examination hall only for the purpose of motivation and support to the learner. Prior permission of which will have to be obtained from the concerned Regional Director.

Note:

- ✓ The learner can opt for more than one clause from the above mentioned clauses on the basis of his/her needs.
- ✓ The learner who is leprosy cured must submit the medical certificate to avail the provisions and relaxations of additional time, amanuensis, computer, sitting arrangements.
- ✓ Any learner with a disability, who is not covered under the above provisions, should approach the concerned Regional Director at least four weeks prior to the commencement of examination for availing certain accommodations during the examination.

PROFORMA FOR ATTENDANCE SHEET*
(April/Oct 20..... Secondary /Sr. Secondary Examination)

Examination Centre No._____ **Name of Centre**_____

Subject_____ **Paper**_____ **Date**_____

Roll No.	Name of Learner	Serial No. of Answer Book	Signature of learner

Signature of Invigilator countersigned by Centre Superintendent & OSD of NIOS

Note:

1. Specimen signature of learner must be verified by the Invigilator with the signature of the learner on the I. Card/Intimation Letter.
2. If the learner is absent, the Invigilator should write ABSENT in the column of signature of the learner and encircle the Roll No. with RED INK.

* To be used only if the Computerized Attendance Sheet is not received at the Centre.

PROFORMA OF SEATING PLAN
(Distribution of Multiple - Sets of Question Paper)

Room No. _____ Floor _____

Examination Centre No. _____ Name of Centre _____

Subject _____ Paper _____ Date _____

I Row	II Row	III Row	IV Row
A	B	C	A
B	C	A	B
C	A	B	C
A	B	C	A
B	C	A	B
C	A	B	C
A	B	C	A
B	C	A	B
C	A	B	C
A	B	C	A

Total No. of Learner:

Sign. of Centre Superintendent

Verified by the OSD

PROFORMA FOR 'UFM CASES'
(Secondary/ Sr. Secondary)

1. Centre No _____ Name of Centre _____
2. Roll No _____ Name of Learner _____
3. Statement from the Learner to be attached with the report.
4. Subject _____
5. Date and Time of incident _____ Date _____ Time _____
6. Mode of Unfair means used in examination and circumstances in which caught.

7. Type of copying material found from the learner i.e. help book, loose printed/hand written sheets. No. of pages/ loose sheets found should also be indicated

8. Place from here copying material recovered, e.g. pant pocket, shirt pocket, beneath desk or in the answer book, inside shoes/socks etc
9. Any other information

Sign. of the
Learner

Sign. of Member
of Flying Squad

Sign. of Member
of Flying Squad

Witness of
Centre Superintendent/
Incharge/Observer
Invigilators signature

IMPORTANT

1. Please make the report in duplicate, one copy be attached with the answer book of the learner and the other copy be sent to Dy. Director (Exams)/Concerned Regional Director the same day for necessary action.
2. If the learner is caught copying, please encircle the portion copied in the Answer Book as well as in the copying material and mention its page no. on top of the answer book and the copying material.
3. Statement from the Learner to be attached with the report.
4. The 2nd Answer sheet should be issued to the learner immediately and the learner should not be debarred from taking the future examinations. If the learner refuses to accept the 2nd copy please write down this fact in para 6 above and on the cover page of the first Answer Book of the learner.
5. The Head/Member of Flying Squad/Centre Superintendent should record the Roll No, of the learner on the material recovered and sign it after numbering it.
6. The Head Member of Flying Squad should record on the Answer Book the fact and brief details of the UFM case.

PROFORMA FOR APPLICATION TO LODGE F.I.R. WITH THE POLICE

Ref. No. _____

Dated _____

The Station House Officer

Subject : *Use of Unfair Means (UFMs) in the Examination of National Institute of Open Schooling, Roll No.* _____

Dear Sir,

_____ (Name) Roll No. _____ is appearing at the Secondary/Sr. Secondary Examination of National Institute of Open Schooling being held in our Centre. Today the (Day) _____ (Date) _____ in subject _____

This learner has resorted to use of Unfair Means by:

- a. misbehaving with the Invigilator/ Undersigned;
- b. tearing off the answer-book and running away from the Centre;
- c. not depositing the answer-book and running away with the answer book;
- d. allowing the other person to take examination in place of real learner. (Impersonation)

You are requested to look into the matter and take necessary action as per the law of the land.

Yours faithfully,

Name _____

Designation _____

Address _____

Examination Centre No. _____

OTHER PARTICULARS OF THE LEARNER ARE :

Name _____

Son/Daughter of _____

Address _____

PROFORMA FOR FORWARDING UNFAIR MEANS CASES
(April/Oct 20..... Secondary /Senior Secondary Examination)

1. Name of Learner _____
2. Roll No. _____
3. Examination Secondary/Sr. Secondary _____
4. Date _____
5. Subject & Paper _____
6. Time of the Incident _____
7. Circumstances under which caught _____
8. Unfair means material recovered _____
9. Whether Statement received from the learner Yes/No _____
10. Whether 2nd copy of Answer Book was given Yes/No _____ Serial No. of Answer Book _____
11. Was Statement of Invigilator obtained Yes/No _____
12. Remarks of Centre Superintendent :

Sig. of Centre Supdt with rubber stamp. _____

Date : _____ Name of Centre Superintendent _____

Exam Centre No. _____ Address _____

Enclosures:

1. First/Second Copies of Answer Book 1/2 copies _____
2. Statement of Learner Enclosed/not enclosed _____
3. Statement of Invigilator Enclosed/not enclosed _____
4. Unfair aids/materials recovered Pages _____
5. Filled up Proforma of UFM cases as per Annexure –3

(Note: Please use separate proforma for each case)

PROFORMA FOR ABSENTEE STATEMENT
(April/Oct 20..... Secondary /Sr. Secondary Examination)

Name of the Centre _____ Exam Centre No. _____ Date: _____

1. Details of Absentee's Roll No. (s)

2. Details of Partly Absentee Cases

<i>S. No.</i>	<i>Roll No. (s)</i>	<i>Subject (s)</i>

3. Details of Unfair Means Cases

<i>S. No.</i>	<i>Roll No. (s)</i>	<i>Subject (s)</i>

4. Details of Transfer Case Appeared

<i>S. No.</i>	<i>Roll No. (s)</i>	<i>Subject in appeared</i>	<i>Transfer from Centre No.</i>	
			<i>which ..</i>	<i>..to..</i>

5. Details of Changed Subject by the Learners

<i>S. No.</i>	<i>Roll No. (s)</i>	<i>Subject (s) changed</i>	
		<i>from</i>	<i>to</i>

Signature of OSD of NIOS

Signature of Centre Superintendent (With Rubber Stamp)

Note: This may please be returned to the concerned Regional Director soon after the Examination is over along with the Attendance Sheets, duly attested by the Centre Superintendent. This should be prepared separately for Secondary and Senior Secondary examinations.

PROFORMA FOR STATEMENT OF UN-USED AND USED ANSWER BOOKS (April /Oct 20..... Secondary /Sr. Secondary Examination)

1. **Number of Blank Answer Scripts received** _____
2. **Serial No. From** _____ **To** _____
3. **Date-wise Status of Un-used Answer Books – Secondary/Sr. Secondary**

[illegible]

**PROFORMA FOR
IMPRESSION OF SEAL USED WHILE FORWARDING ANSWER BOOKS
(April /Oct 20..... Secondary /Sr. Secondary Examination)**

Exam Centre No. _____

Name of Centre _____

Signature of Centre Superintendent

Name : _____

Address of Centre : _____

Note: Change in seal, if any, should be intimated immediately to the NIOS/concerned Regional Directors.

**PROFORMA OF
CONSOLIDATED RECORD OF DESPATCH OF ANSWER BOOKS BY POST
(April /Oct 20..... Secondary /Sr. Secondary Examination)**

Exam Centre No. _____ **Name of Examination Centre** _____

Address of Post Office through which Speed Post / _____

Registered insured parcel has been despatched _____

Date of Exam .	Secondary			Senior Secondary			Total Postal Charges
	Subject	Speed Post No. & Date	Postal Charges	Subject	Speed Post No. & Date	Postal Charges	
Grand Total							

Examination Centre No. _____

Signature of Centre Superintendent
and Office Seal

PROFORMA FOR
DATE WISE AND SUBJECT WISE ‘CONSOLIDATED DETAILS OF THE EXAM’

Exam Centre No. _____ Level : Sr. Sec./ Sec _____

Address of Centre _____

Date	Subject with Code Th./ Pr/ Voc.	No. of Learners (with medium)		No. of Learners Detected using UFM	No. of Invigilators Employed	No. of Visits By Observers/ Flying squad	Remarks
		Allotted	Appeared				
1	2	3	4	5	6	7	8

- Notes :**
1. If your Centre was having learners both for Sr. Sec. and Sec., **separate sheets may be prepared for each.**
 2. Two copies may be prepared one may be sent to concerned Regional Director and the other may be retained by the Centre Superintendent.

Prepared by _____

Checked by _____

Signature of Centre Superintendent _____
with seal

CONSOLIDATED BILL FOR EXAM CENTRE CHARGES FOR APRIL-OCT./20.... EXAMINATION
(TO BE FILLED IN BY CENTRE SUPERINTENDENT)

1. Examination _____ Examination Centre No _____
2. Name (in capital letters) & Address of the Centre Superintendent

3. Designation of Centre Supdt _____
4. Permanent address of Centre Superintendent for correspondence after the conduct of the Examination

5. No. of learner registered for Examination _____
6. Details of claim for exam centre charges

<i>Particulars</i>	<i>Amount/Rs Claimed by Exam. Centre</i>	<i>Amount (Rs.) admitted by NIOS</i>
(A) Remuneration of Centre Superintendent (<i>Bill Proforma - 2</i>)	_____	_____
(B) Remuneration of Dy. Superintendent (<i>Bill Proforma - 3</i>)	_____	_____
(C) Remuneration of Invigilators (<i>Bill Proforma - 4</i>)	_____	_____
(D) Remuneration of Clerical & Class IV Staff (<i>Bill Proforma 5</i>)	_____	_____
(E) Seating arrangement Furniture charges (<i>Bill Proforma - 6</i>)	_____	_____
(F) Contingent charges (<i>Bill Proforma - 7</i>)	_____	_____
(G) Conveyance and remuneration for collection of question papers (<i>Bill proforma - 8</i>)	_____	_____
(H) Charges paid to the custodian of a Question papers (Original receipt to be attached/ <i>Proforma-9</i>)	_____	_____
(I) Postal Charges	_____	_____
(J) Bank Details for Payment (School's Bank details only)	_____	_____
(i) Name of the Payee		
(ii) A/c No. of the Examination Centre/Institute		
(iii) Name and Address of the Bank		
(iv) IFC Code of the Bank		

Total	=	_____
Less Advance	=	_____
Net amount claimed	=	_____

(Signature of Centre Superintendent with Seal)

(FOR USE IN THE NIOS OFFICE)

Total Bill Claimed = _____ Less : Advance Paid _____
 Less : Deductions (if any) _____ Net amount payable
 Rs. _____ to Sh. _____.

Accounts Officer

Exam Centre Bill Proforma - 2

REMUNERATION BILL FOR THE 'CENTRE SUPERINTENDENT'

1. Name of the Examination : Secondary/Sr. Secondary/Vocational

2. Centre No. & Name of the Examination Centre _____

3. Remuneration for working as Supdt of NIOS Examination for _____ day(s):

@ Rs. 750/- per session.

Rs _____

4. Details of Duty during Examinations

S. No.	Date of Examination	Subject & Paper	Remarks
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Signature of the Centre Superintendent

Name (in block letters)

Dated : _____

Postal Address _____

(FOR OFFICE USE)

Exam Centre Bill Proforma - 3

REMUNERATION BILL FOR THE 'DY. CENTRE SUPERINTENDENT'

1. Name of the Examination : Secondary/Sr. Secondary/Vocational

2. Centre No. & Name of the Examination Centre _____

3. Remuneration for working as Dy. Centre Supdt of NIOS Examination for _____ day(s):
@ Rs. 600/- per session. Rs _____

4. Details of Duty during Examinations

S. No.	Date of Examination	Subject & Paper	Remarks
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Signature of the Dy. Centre Superintendent

Name (in block letters)

Dated : _____

Postal Address _____

(FOR OFFICE USE)

REMUNERATION BILL FOR 'INVIGILATORS'
April/Oct., 20..... Secondary/Sr. Secondary/Vocational Examination

1. Name of Examination _____
2. Centre No. and Name of Examination Centre _____

(To be filled up by Centre Superintendent)

S. No.	Name of the Invigilator	Dates of Duty	No. of days	Amount Paid (@ Rs. 500/ per day)	Signatures Invigilator

Total amount paid_____

Signature of the Centre Superintendent _____

Exam Centre No. _____

Office Seal

(PLEASE FILL UP THE DETAILS PRINTED OVERLEAF)

Date	No. of Learners	No. of Invigilators	No. of Rooms	Subject & Paper	Remarks

Signature of the Centre Superintendent_____

Exam Centre No._____

Office Seal

BILL FOR 'CLERICAL AND CLASS-IV STAFF' FOR APRIL/OCT., 20....

EXAMINATION

(To be filled up by Centre Superintendent)

1. Name of Centre _____ **Examination Centre No.** _____

2. Name of the Centre Supdt _____

3. Name of the Examination _____ **Sec./Sr.Sec./Voc held in** _____

S.No.	Name of the Staff deployed	Designation	No. of Days	Rate	Amount paid	Signature
	Clerical Staff			Rs. 300/- Per Session		
1						
2						
3						
4						
	Class IV Staff Peon/Sweeper/ Waterman			Rs. 225/- Per Session		
1						
2						
3						
4						
5						

(Signature of the Centre Superintendent)

Centre No. _____

Office Seal _____

BILL FOR SEATING ARRANGEMENT AND FURNITURE CHARGES

(April/October., 20.... Examination)

1. **Name of the Examination** Secondary/Sr. Secondary/Voc. Examination _____
2. **Examination Centre No.** _____
3. **Name of the Centre Superintendent** _____
4. **Name of the Centre** _____

Date/Month of the Examination				
Total				
No. of learners Registered each day				
Total				
				Grand Total

5. **No. of Learners allotted (individual learners) (Not to be calculated Subjectwise or Cumulative)**

Total Amount Claimed

6. **Furniture charges**

Amount claimed = No. of learners allotted _____ × Rs. 50.00 = Rs. _____

Grand Total: =Rs. _____

(Signature of the Centre Superintendent)

Office Seal _____

Note :

1. Seating arrangement should be strictly in accordance with norms and as per seating plan depicted on the notice board before the start of the examination in each session. **Please enclose copies of seating plan for each day of examination for each room.**
2. Details of the furniture taken on hire and details of furniture used from the centre itself may be enclosed.

BILL FOR CONTINGENT CHARGES

(April/October., 20.... Examination)

1. **Examination Centre No.** _____
 2. **Name of the Centre**_____
 3. **Name of the Centre Superintendent..**_____
 4. **No. of Learners allotted** _____
 5. **Name of the examination** Secondary/Sr. Secondary _____
 6. **Contingent charges @ Rs. 8.00 × (No. of learner allotted) = Rs.** _____
 7. ***Cost of packing cloth purchased vide cash memo Rs.** _____
(Cash Memo No. _____dt_____from_____)
- Total Rs. _____

Certified that the amount claimed above was actually spent for the purpose given against each and that the articles purchased have been consumed wholly/partly in connection with the conduct of the examination and the balance (if any) is shown herewith. (*Kindly see instructions below*)

Signature of the Centre Superintendent
(Office Seal)

* For Outside Delhi Centres Only.

INSTRUCTIONS

1. *Centre Superintendents are authorised to purchase petty articles like, ordinary and cloth lined envelopes, sutli, match box, candle, plastic ropes, thread balls, tags, needle, sealing wax, cellotapes, Gum, Pencils, Wrapping Paper, Parcel ink and other despatch material etc. for which contingent charges @ Rs. 8.00 per learner allotted will be paid as lump sum charges, subject to a minimum of Rs. 1000/- per centre. Examination Centre having both Secondary and Senior Secondary learner will be treated as one centre only.*
2. *For outside Delhi Centres, cost of packing cloth and postage charges will be admissible in addition to the above.*

BILL FOR CLAIMING 'CONVEYANCE AND REMUNERATION'
(April/October., 20... Examination)
(FOR COLLECTION OF QUESTION PAPERS/DEPOSITION OF ANSWER BOOKS)

1. Examination Centre No. _____
2. Name of the Centre Superintendent _____
3. Distance of Exam. Centre from Bank _____
4. Distance of Exam. Centre from Post Office _____
5. **Conveyance Charges for Collection of Question Papers from the Bank**
 - (i) Remuneration for _____ day(s) @ Rs. 100/- per day: Rs. _____
 - (ii) Conveyance charges for _____ day(s) @ Rs. 150/200 per day: Rs. _____
(for onward journey)
 - (iii) Conveyance charges for _____ day(s) for return journey from Bank to Examination
Centre (actual taxi charges) Rs. _____

Sub Total amount : Rs. _____
6. **Conveyance Charges for the deposition of Answer Books/Return of Stationery**
 - (i) Auto charges (actual) for _____ day(s)
from Examination Centre to depositing centre/post office : Rs. _____
 - (ii) Actual bus charges for return Journey for _____ day(s)

: Rs. _____

Sub Total amount : Rs. _____
7. **Net amount claimed towards Conveyance charges** : Rs. _____

(Signature of Centre Superintendent with Office Seal)

Receipt for Storage Charges to the Custodian Of Question Papers

(Payment to be made by the Examinations Centre Superintendent to the Custodian of Question Papers from the Centre Advance)

Received Rs. _____ (in words _____)

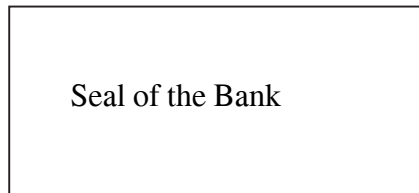
Vide (Cash/cheque) _____ Cheque no. _____ dated _____

Bank _____ from (name of the Centre Superintendent) _____

(Name of the Exam Centre) _____ Centre No. _____

For storage of question papers of National Institute of Open Schooling, Regional Centre _____ Secondary/Sr. secondary/Vocational of March-April/Oct-Nov. Examinations.

Dated: _____



Signature of the Receiver _____

Name of the Receiver _____

Designation _____

Name of the Bank _____

Branch Address _____

Contact No. _____

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
LIST OF REGIONAL CENTRES AND STATES COVERED
UNDER EACH REGIONAL CENTRE

Name of the Region	Address of Regional Centre & Contact Number	States Covered
1. Bengaluru	National Institute of Open Schooling Office of the Director (Vocational Education) 3rd Floor, PUE Bhawan, 18th Cross Sampige Road, Malleswaram, Bangluru - 560012, Karnataka Ph.: 080-23464223 Email: rcbengaluru@nios.ac.in	Karnataka
2. Bhopal	National Institute of Open Schooling Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal - 462002 (M.P.) Ph.: 0755-2661842, 2660331 E-mail: rcbhopal@nios.ac.in	Madhya Pradesh
3. Bhubaneswar	National Institute of Open Schooling ELTI Campus, Maitri vihar, Chandrashekhar Pur, Bhubaneswar - 751023 (Odisha) Ph. No. 0674-2302688, E-mail: rcbbbsr@nios.ac.in	Odisha
4. Chandigarh	National Institute of Open Schooling YMCA Complex, Sector-11C, Chandigarh-160011 Ph.: (O) 0172-2744915, 3950979 E-mail: rcchandigarh@nios.ac.in	Punjab, Chandigarh, & Haryana (Excluding Gurgaon, Faridabad, Jhajjar & Palwal)
5. Chennai	National Institute of Open Schooling Govt. Model Higher Secondary School Lady Wellington Campus Triplicane,, Chennai-600005 Phone No. 044-28442237; E-mail: rcchennai@nios.ac.in	Tamil Nadu, Pondicherry
6. Delhi	National Institute of Open Schooling A-31, Institutional Area, NH-24, Sector-62, NOIDA- 201309 Ph: (O) 0120-2404914, 2404915 E-mail: rcdelhi@nios.ac.in	NCT of Delhi and bordering Distts. of NCT in Uttar Pradesh and Haryana comprising of Distts. of Gautam Buddh Distt. - Gautam Buddha Nagar (U.P.) Nagar (Noida and Greater Noida), Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad, Jhajjar and Palwal
7. Dehradun	National Institute of Open Schooling B.S.N.L. Telephone Exchange Building Turner Road, Near ISBT, Clement Town, Dehradun - 248002, Uttarakhand Ph.: (O) 0135- 2629166; 2623929 E-mail: rcdehradun@nios.ac.in	Saharanpur, Muzaffar Nagar, Moradabad and J.P. Nagar (Amroha) districts of U.P. Uttarakhand, Meerut, Bagpat Bulandshar, Sambhal, Shamli

Name of the Region	Address of Regional Centre & Contact Number	States Covered
8. Gandhinagar	National Institute of Open Schooling 7th Floor, 'D' Wing M.S. Building, Near Pathikashram Bus Stand, Sector-11 Gandhi Nagar-382011, Gujarat Ph.: 079-23220410 Email: rcgandhinagar@nios.ac.in	Gujarat
9. Gangtok	National Institute of Open Schooling Old Boys Hostel, SNT Colony, Daragaon, Tadong, Gangtok, Sikkim - 737102 Ph.: 03592-291089 E-mail: rcgangtok@nios.ac.in	Sikkim, Siliguri and Darjeeling District of West Bengal
10. Guwahati	National Institute of Open Schooling Building of Assam Publication Board, (Near Assam Board of Secondary Education) Ist Floor, Bamunimaidan, Guwahati-781021 (Assam) Ph. (O): 0361-2650541, 2651201 E-mail: rcguwahati@nios.ac.in	Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya Mizoram and Tripura
11. Hyderabad	National Institute of Open Schooling IV Floor, Sri Krishna Devaraya, Telugu Basha Nilayam, Trust, No 4-4-8, Sultan Bazar, Hyderabad - 500095. Ph.: (O) 040-24162859 E-mail: rchyderabad@nios.ac.in	Telangana
12. Jaipur	National Institute of Open Schooling Shree Krishnan, 5-6, Padmavati Colony-1 Adjacent To Mansarovar, Metro Station Kings Road, Nirman Nagar, Jaipur-302019 Ph.: (O) 0141-2292818, 2290057 E-mail: rcjaipur@nios.ac.in	Rajasthan
13. Jammu	National Institute of Open Schooling H.No. 187-P/B Sector-1, Trikuta Nagar, Jammu-180020 rcjammu@nios.ac.in	Jammu & Kashmir Leh and Ladakh
14. Kochi	National Institute of Open Schooling 6th Floor, Kerala State House Board Building Panampilly Nagar, Kochi-682036 (Kerala) Ph.: 0484-2310032, 9746888988 E-mail: rckochi@nios.ac.in	Kerala & Lakshdweep

Name of the Region	Address of Regional Centre & Contact Number	States Covered
15. Kolkata	National Institute of Open Schooling CL 18A, Sector-2, Salt Lake City, Near CK Market, Tank No.9 and Aruna Moyee Bus Stand, Kolkata-700091(WB) Ph.: (O) 033-24797714, E-mail: rckolkata@nios.ac.in	West Bengal (Excluding Siliguri and Darjeeling), Andaman and Nicobar Island
16. Prayagraj	National Institute of Open Schooling 19/17, Kasturba Gandhi Marg, Kachahari Road Prayagraj - 211002 (Uttar Pradesh) Ph.: (O) 0532-2548154 e-mail: rcallahabad@nios.ac.in	Uttar Pradesh
17. Patna	National Institute of Open Schooling Lalit Bhawan, Ground Floor, Jawahar Lal Nehru Marg, Bailey Road, Patna - 800001 (Bihar) Ph.: (O) 0612-2545051 E-mail: rcpatna@nios.ac.in	Bihar
18. Pune	National Institute of Open Schooling C/o Indian Institute of Education Campus, 128/2 JP Naik Road, Sriniketan Society, (Near Solaris Club) Kothrud, Pune-411029 (Maharashtra) Ph.: (O) 020-25444667, 25439763 E-mail: rcpune@nios.ac.in	Maharashtra, Goa, Daman & Diu, Dadar & Nagar Haveli
19. Raipur	National Institute of Open Schooling BTI Ground DIET Campus Shankar Nagar, Raipur-492007 Ph.: 0771-2442147, 2442167 E-mail: rcraipur@nios.ac.in	Chhattisgarh
20. Ranchi	National Institute of Open Schooling Old B.Ed. Building (Ground Floor) Zill School Campus, Near Shaheed Chowk, Ranchi-834001 Ph.: 0651-2217030 E-mail: rcranchi@nios.ac.in	Jharkhand
NIOS Cell		
21. Darbhanga	NIOS Cell Mohalla Kadirabad Near Bus Stand (West of Pashu Palan Vibhag) Beside Churi Market, Distt. Darbhanga-846004 Ph.: 0627-2250628	

Name of the Region	Address of Regional Centre & Contact Number	States Covered
22. Shillong	NIOS Cell Directorate of Educational Research & Training Campus (DERT), Laithumkhrum Shillong, Meghalaya-793011 E-mail: shillongcentre@nios.ac.in	Meghalaya
23. Port Blair	NIOS Cell Adult Education in the Directorate A&N Administration Shiksha Sadan A&N Island, Port Blair	Port Blair

NOTES

1. *In the event of any doubt arising in the interpretation of provisions, practices and rules, the decision of the Chairman, NIOS will be final.*
2. *The NIOS reserves the right to amend, modify or alter any of these rules and bring them into effect through notification. Once notified, the rules would come into force.*
3. *In the event of the last date so specified happens to be a public holiday, Saturday/ Sunday, the next working day will automatically be treated as the last date for the purpose.*
4. *Any dispute arising out of the application of these provisions, practices and rules or matters arising out of them will be subject to the jurisdiction of Courts in Gautam Budh Nagar, NOIDA, U.P.*
5. *Every care has been taken to print correct information to the minutest possible level. The NIOS, however, is not responsible for any inadvertent mistakes cropping up during printing and publishing of the Guidelines.*

**OFFICERS OF THE EVALUATION DEPARTMENT
TO BE CONTACTED IN EMERGENCY
Telephone Numbers/EPABX: 0120-4089 800**

Sl. No.	Name/Designation/E-mail	Office Number	Mobile Number
1.	Sh. Karnail Singh Director (Evaluation) direval@nios.ac.in	0120-4089893 0120-4089844	—
2.	Sh. Aditi Ranjan Rout Deputy Director (Eval.)	0120-4089850	—
3.	Sh. V. Sathish Assistant Director (Eval.) adsecret@nios.ac.in	0120-4089868	09911611294
4.	Sh. L.N. Rastogi Section Officer (Result Cell)	0120-4089841	—
5.	Sh. K. Srinivas Section Officer (Secret)	0120-4089870/77	09810523318

LIST OF REGIONAL DIRECTORS OF NIOS

Sl. No.	Designation/E-mail	Office Number	Mobile Number
1.	Regional Director Bengaluru rdbengaluru@nios.ac.in	080-23464223	09810565173
2.	Regional Director Bhopal rdbhopal@nios.ac.in	0755-2660331	09707077905
3.	Regional Director Bhubaneswar rdbbsr@nios.ac.in	0674-2302688	09401212621 09334356745
4.	Regional Director Chandigarh rdchandigarh@nios.ac.in	0172-2743915 0172-3250979	09910253790
5.	Regional Director Chennai rdchennai@nios.ac.in	044-28442237	09444202811
6.	Regional Director Dehradun rddehradun@nios.ac.in	0135-2532566	09818352978
7.	Regional Director Delhi rddelhi@nios.ac.in	0120-2404915 0120-2404469	09289441475
8.	Regional Director Gandhi Nagar rdgandhinagar@nios.ac.in	079-23220410	09818463040
9.	Regional Director Gangtok rdgangtok@nios.ac.in	03592-291089	09475654336
10.	Regional Director Guwahati rdguwahati@nios.ac.in	0361-2650541 0361-2651201	09953471098
11.	Regional Director Hyderabad rdhyderabad@nios.ac.in	040-24750712	07888621145
12.	Regional Director Jaipur rdjaipur@nios.ac.in	0141-2292818 0141-2290057	08619684966
13.	Regional Director Jammu rdjammu@nios.ac.in	0191-2574646	09472276589
14.	Regional Director Kochi rdkochi@nios.ac.in	0484-2310032 0484-4035540	09746888988
15.	Regional Director Kolkata rdkolkata@nios.ac.in	033-24797714	09635173982
16.	Regional Director Patna rdpatna@nios.ac.in	0612-2545051	08329382186
17.	Regional Director Prayagraj rdallahabad@nios.ac.in	0532-2548154	08638092026
18.	Regional Director Pune rdpune@nios.ac.in	020-29994803	08788081955
19.	Regional Director Raipur rdraipur@nios.ac.in	0771-2442147	08699025321
20.	Regional Director Ranchi rdranchi@nios.ac.in	0651-2217030	09429277513